

केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु

59 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013



विषय सूची

	पेज सं.
अध्याय -1	
संगठनात्मक ढांचा	
बोर्ड का गठन	1
बोर्ड का संगठन	1
टी बोर्ड – संरचना व स्थायी समितियाँ	1
उपाध्यक्ष का चुनाव	2
टी बोर्ड का कार्य	2
निधि के स्रोत	2
चाय उपकार	2
प्रशासनिक ढांचा	2
भारत में कार्यालय, क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय कार्यालय	2
समुद्रपारीय कार्यालय	2-3
टी बोर्ड अनुसंधान केन्द्र	3
मुख्यालय की कार्यकारी गतिविधियाँ	3-4
टी बोर्ड द्वारा पदत सेवाओं का प्रमुख लक्ष्मण	4-5
टी बोर्ड की जन - शक्ति (समूह वार)	5
बोर्ड की विदेशी कार्यालय में भारतीय अधिकारियों की संख्या	5
अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग	6
भर्ती अभियान	6
प्रशासनिक परिवर्तन	6-7
अध्याय - 2	
अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय चाय	
व्यापक सिंहावलोकन	8
वैश्विक चाय परिदृश्य	8
2012 में वैश्विक चाय परिस्थिति	9-10
चाय मूल्य	10-11
भारतीय चाय परिदृश्य	11-14
प्राथमिक विपणन	14-15
घरेलू खपत	15
अध्याय - 3	
वित्त	
प्रस्तावना	16
उपकर आय	16
अनुसंधान एवं विकास अनुदान	16
अनुसंधान (ए.एस.आई.डी.ई)	16
सहायिकी	16
विपणन सुलभ अभिक्रम योजना	16

विषय सूची

	पेज सं.
ऋण कार्पस निधी	16
विशेष प्रयोजन चाय निधी पुंजी	16
प्राप्तियाँ	17
व्यय-(गैर योजना)	17
व्यय - अनुसंधान व विकास अनुदान	17
व्यय सहायिकी	17
विपणन सुलभ अभिक्रम योजना	18
अनुसंधान योजना (एएसआईडीई)	18
व्यय - ऋण योजना	18
वर्ष के दौरान योजना पर कुल व्यय	18
अध्याय -4	
चाय विकास	
प्रस्तावना	19
विकास समिति	19
विकास समिति द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण सिफारीशों	19-20
विकासात्मक योजनाएं	20
भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	20-22
वर्ष 2012-13 में संवितरित कार्यालयों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	22
विशेष प्रयोजन चाय निधी योजना	23
वर्ष 2012-13 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	23
ईकाई लागत को आगे और संशोधन हेतु तकनीकि समिति का गठन	23
XII वीं योजनावधि में प्लानघटक का विच्छेदन	24
बैंकों के कंसोर्टियम के साथ हुए सामान्य ऋण समझौते का समापन	24
जिर्णोद्वार छंटाई के लिए सहायिकी	24
पुराने चाय क्षेत्रों के लिए आयु सीमा में छूट	24
अन्य	24
गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना (क्यू यू एंड पीडीएस)	24-25
भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	25
ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	26
मानव संसाधन विकास योजना	26
मानव संसाधन विकास के अधीन प्रशिक्षण/संगोष्ठि (कार्यकलाप, लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ)	26
व्यवसायिक प्रशिक्षण	26
विकास अनुदान	27
अनुसूचित जाति सब-प्लान स्कीम	27
एस सी एस पी योजना के अधीन दी जाते वाली वस्तुएँ	27-28
स्व.स.स. निधी की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ	28
ऋण योजनाओं हेतु परिक्रामी कॉर्पस	29
बंद चाय बागान	29
बंद चाय संपदा का वर्ष-वार पुनःखोला जाना	29

विषय सूची

	पेज सं.
अध्याय - 5	
चाय अनुसंधान	
सहायता अनुदान	30
प्लान योजनाएं	30
उपासी टीआरएफ में 11वीं योजना अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति	30
उपासी टीआरएफ, कूनूर में हार्ड-टेक चाय कारखाने का निर्माण	30-31
गैर-रसायनिक नियंत्रण पद्धतियों के विशेष संदर्भ सहित चाय हेतु एकीकृत कीटनाशक का विकास एवं रोग प्रबंधन (आईपीडीएम) नीति	31
चाय में ट्रांसक्रिप्टोमिक प्रक्रिया द्वारा फाईटोपैथोजेनिक दबाव के दौरान जीन प्रकटीकरण का विश्लेषण	31-32
चाय में भारी धातुओं व कीटनाशी अवशेषों पर अध्ययन	32
टीआरए, टोकलाई, असम में 11वीं योजना अनुसंधान परियोजना	32
मृदा उत्पादकता की निरंतरता कुछ रणनीतियाँ	32
क्षेत्रीय केन्द्रों एवं टोकलाई में गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाओं की शृंखला की स्थापना तथा वर्तमान विश्लेषणात्मक क्षमताओं का सशक्तिकरण	32-33
चाय की टहनियों के प्रसंस्करण के दौरान स्ट्रेस संबंधी जैव रसायनिक परिवर्तनों का अण्विक आयात तथ्यांतर चाय की गुणवत्ता से उनका सम्बन्ध	33
उत्तर भारत के चाय रोपणों में चाय कीट एवं ब्लिस्टर ब्लाइंट रोग की रोकथाम के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का विकास	33
कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	33-34
वजनदार धातुओं पर अध्ययन - चरण - II	34
स्टेबल गुणवत्ता जिनेटाइप्स के विकास हेतु बायोटिक एवं एबॉयोटिक स्ट्रेस विश्लेषण	34
उत्तर बंगाल क्षेत्रीय अनुसंधान व विकास केन्द्र, चाय अनुसंधान संघ, नागराकाटा	34
उत्तर बंगाल में चाय की वर्तमान कीट समस्या और उसके संभावित प्रबंधन अध्ययन	34
कम लागत में सिचाई करने की दृष्टि को मृदा की विशेषताएँ, फिजियोलॉजी एवं उपज पर दुर्भिक्ष और तराई के चाय क्षेत्रों में सूखे का अध्ययन	34-35
हरि चाय विनिर्माण व सीटीसी के संबन्ध में चाय प्रक्रमण के जैव रसायनिक पहलुओं पर अध्ययन	35
डॉ. बीसी. गुहा सेन्टर फॉर जेनेटिक इंजिनियरिंग एण्ड बायोटकनोलॉजी (जीसीजीआबी), कोलकाता विश्वविद्यालय	35
चाय उत्पादों के स्वास्थ्यकारी प्रभावों का मूल्यांकन तथा उच्च क्षमतायुक्त चाय टैबलेट के सूत्रीकरण हेतु एमफीसीमेटस फेफड़े की क्षति के रोग पर चाय फ्लेवीनॉएडस की कोडयूलेटरी भूमिका।	35
भारतीय तकनीकी संस्थान, खड़गपुर चाय के विदरींग, मैसरेशन, रोलिंग, घमीरीकरण व सुखेकरण में प्रक्रमण पैरामीटरों का मालकीकरण	35
डीटीआरडीसी, टि बोर्ड, कर्सियांग, पश्चिम बंगाल एवं यूबीकेवी, पुंडीबारी, कुचबिहार, पश्चिम बंगाल	35
पश्चिम बंगाल के अम्लीय मृदा में चाय (केमेलिया सेनेसिस एल) के लिए फस्फेट घुलनशील जैव उर्वरक का विकास	36

विषय सूची

	पेज सं.
भारतीय चाय के परिमेय भौतिक मानको का कापर्स सृजन (सी-डैक परियोजना)	36
विनियामक मुद्दे व प्रोद्योगिकी सहायता	36
प्रबंधन परिषद/ट्रस्टी बोर्ड/वैज्ञानिक सलाहकारी समितियों प्रतिभागिता	36
अध्याय - 6	
चाय संवर्धन	
परिचय:	37
निर्यात संवर्धन समिति	37
भारत में चाय उपभोग एवं भात से चाय निर्यात का व्यापक परिदृश्य	37
भारत से चाय निर्यात का व्यापक परिदृश्य:	37-38
बाजार संवर्धन योजना (एमपीएस) के तरह संचालित संवर्धन गतिविधियाँ:	38
घरेलू संवर्धन	38
विदेशों में संवर्धन	38
प्रचार सामग्री का उत्पादन	38
निर्यातकों को प्रोत्साहन	38
कानूनी परामर्श प्रभार	38-39
बोर्ड के मुख्यालय द्वारा संचालित गतिविधियाँ	39
भारतीय चाय की बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण-उपलब्धियाँ	39-40
भारत में घरेलू संवर्धन में टी बोर्ड की सहभागिता	40
समीक्षाधीन वर्ष में भाग लिए गए अंतर्राष्ट्रीय आयोजन	42
विदेशी कार्यालयों के अधीन न आनेवाले देशों में संवर्धनात्मक गतिविधियाँ	42
सं.रा. अमेरिका	42-43
कनाडा -	43
आस्ट्रेलिया	43
जापान	43
विदेश स्थि कार्यालयों के संवर्धनात्मक कार्य	43
लंदन कार्यालय	43-46
यूनाइटेड किंगडम	46
जर्मनी	46-47
पोलैण्ड	47
फ्रांस	47
मॉस्को कार्यालय	47-48
बाजार की स्थिति एवं निर्यात निष्पादन	48
रूस	48
कजाकिस्तान	48-49
युक्रेन	49
दुबई कार्यालय	49
मेले व प्रदर्शनियाँ	49

विषय सूची

	पेज सं.
प्रतिनिधिमंडल	49-50
बाजार परिदृश्य	50
वाना देशों द्वारा आयातित चायों के प्रकार	50
यूनाइटेड अरब अमीरात (यू.ए.ई)	50
मिश्र अरब गणराज्य	50-51
ईरान	51
सऊदी अरब	51
पाकिस्थान एवं आफगानिस्तान (कुल निर्यात मात्र)	51
अन्य कार्यक्रम	51
प्रमुख देशवार निर्यात अनुलग्नक)	52
अध्याय - 7	
अनुज्ञापन	
प्रस्तावना	53
निर्यातक अनुज्ञापन	53
अस्थायी निर्यात अनुज्ञापन की स्थिति	53
वितरक अनुज्ञापन	54
चाय अवशेष अनुज्ञापन	54
चाय अवशेष अनुज्ञापन के वर्ष 2012-13 के दौरान जारी/नवीकरण की स्थिति	54
पंजीकरण – सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर.सी.एम.सी.)	55
चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश	55-56
चाय विनिर्माण इकाई का पंजीकरण	56
नीलामी आयोजकों एवं नीलामी दलालों का पंजीकरण	56-57
ई-नीलामी की स्थिति	57
वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान ई-नीलामी की द्वारा चाय का विक्रय	58
भूमिका	59
क्रेताओं का पंजीकरण	59
स्वादयुक्त चाय विनिर्माताओं का पंजीकरण	59
चाय में अनुज्ञेय स्वाद	59-60
विस्तार / प्रतिस्थापना रोपण परमिट	60
जारी परमिट की स्थिति	60
चाय रोपण की अनुमति	60
चाय रोपण हेतु दी गई अनुमति की स्थिति	61
स्वामित्व परिवर्तन (क्षेत्रवार कुल)	61
चाय भंडारण अनुज्ञापन	61
चाय भंडारण हेतु जारी/नवीकृत अनुज्ञापनों की स्थिति	61
चाय परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूचीकरण	61

विषय सूची

	पेज सं.
चाय परिषद	62
अध्याय - 8	
सांख्यिकी	
प्रस्तावना :	63
प्रकाशन	63
चाय मूल्यों का अनुवीक्षण:	63
कर एवं शुल्क	63
उत्पाद शुल्क	63
निर्यात शुल्क	63
आयात शुल्क	63
चाय उपकर	63
वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान चाय उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र की स्थिति	64
31-12-2011 तक क्षेत्र एवं उत्पादन	64
विगत तीन वित्तीय वर्ष दौरान भारत में चाय का उत्पादन	64
भारतीय चाय का श्रेणीवार उत्पादन	65
भारत से चाय का निर्यात	66
प्रमुख देशों को किए गए निर्यात	66
भारत में चाय आयात	67
नीलामी केन्द्रों पर चाय मूल्य:	67
चाय संपदाओं में श्रमिकों की भूमिका	68
वर्ष 2012 में मुख्य चाय उत्पादक देशों की उत्पादन की हिस्सेदारी	68
वर्ष 2012 में मुख्य उत्पादनकारी देशों द्वारा निर्यात में हिस्सेदारी	69
विश्व नीलामी में बिकी चाय मूल्य:	69
विश्व में चाय की मांग एवं आपूर्ति	69
अध्याय - 9	
श्रम कल्याण	
प्रस्तावना	
स्वास्थ्य	70
वर्ष 2012-13 के दौरान दी जाने वाली सहायता का विवरण	70-71
शिक्षा :	71
स्काउटिंग व गाइडिंग	71
क्रीड़ा	71-72
प्रशिक्षण	72
व्यय का संरांश	72
अध्याय - 10	
हिन्दी कक्ष	
प्रस्तावना	73

विषय सूची

	पेज सं.
रा.भ.अधिनियम 1963 का अनुपालन	73
हिन्दी पुस्तकों का क्रय	73
हिन्दी में पत्राचार	73
हिन्दी रिपोर्ट	73
हिन्दी कार्यशाला का आयोजन	73
हिन्दी प्रशिक्षण	73
हिन्दी सप्ताह का आयोजन	73
वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन	73
बोर्ड रा. भा. का समिति की बैठकें	73
द्विभाषी कंप्यूटरों का प्रावधान	74
कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहन	74
तिमाही प्रगति रिपोर्ट	74
क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण	74
विशेष उपलब्धियाँ	74
अध्याय - 11	
आपूर्ति	
प्रस्तावना	75
उर्बरक	75
रॉक फॉस्फेट	76
अन्य गतिविधियाँ	76
अध्याय - 12	
मानव संसाधन विकास	77
मा स वि संबंधी गतिविधियाँ	77
अध्याय-13	
सतर्कता प्रकोष्ठ	78
अध्याय - 14	
विधि प्रकोष्ठ	79
अनुलग्नक - 1	
01.04.2012 से 31.03.2013 तक अवधि हेतु बोर्ड सदस्यों की सूची बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य	80-81
अनुलग्नक-2	
वर्ष 2012-13 हेतु स्थायी समितियों की संरचना	82-84
अनुलग्नक-3	
भारत एवं विदेश स्थित टी बोर्ड के कार्यालयों के पते	85-86



संगठनात्मक ढांचा व कार्य

बोर्ड का गठन

वर्तमान टी बोर्ड, जिसे अधिनियम, 1953 के अनुच्छेद-4 के तहत स्थापित किया गया था, का गठन 1 अप्रैल 1954 को हुआ था। यह केन्द्रीय टी बोर्ड और भारतीय चाय अनुज्ञापन समिति जो क्रमशः केन्द्रीय टी बोर्ड अधिनियम, 1949 और भारतीय चाय नियंत्रण अधिनियम, 1938 जो निरसित थे, के अधीन कार्य कर रहा था। पूर्ववर्ती दोनों निकायों की गतिविधियाँ मुख्यतः चाय खेती का नियमन तथा उस समय लागू अंतर्राष्ट्रीय चाय निर्यात एवं चाय खपत के संवर्धन तक ही सीमित थी। वर्तमान टी बोर्ड को भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास का कार्य प्रभारित किया गया है।

बोर्ड का संगठन

बोर्ड का गठन अध्यक्ष एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त चाय उद्योग के विभिन्न विभागों से संबन्धित 30 सदस्यों से हुआ है। प्रत्येक तीन वर्ष में ज का पुनर्गठन होता है। बोर्ड के वर्तमान सदस्यों की सूची (2011-14) अनुलग्नक-1 में देखी जा सकती है।

टी बोर्ड गठन

- 3 सदस्यो संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 8 सदस्य चाय संपदाओं के मालिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 6 सदस्य सरकार के प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 2 सदस्य चाय निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों सहित डीलरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 5 सदस्य श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 2 सदस्य चाय विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- 2 सदस्य उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 2 सदस्य अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बोर्ड की स्थायी समितियां निम्नवत है :

1. कार्यापालक समिति
2. निर्यात संवर्धन समिति
3. श्रम कल्याण समिति एवं
4. विकास समिति
5. अनुज्ञापन समिति (उत्तर)
6. अनुज्ञापन समिति (दक्षिण)

कार्यपालक समिति

अध्यक्ष समेत 09 सदस्यों द्वारा बनी यह समिति बोर्ड के प्रशासनिक मामलों को देखती है।

निर्यात संवर्धन समिति

अध्यक्ष समेत 07 सदस्यों द्वारा गठित यह समिति बोर्ड द्वारा लागू विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं के परिपालन के निरीक्षण एवं निर्यात संवर्धन मामलों पर बोर्ड को सलाह देती है।

श्रम कल्याण समिति

अध्यक्ष समेत 09 सदस्यों द्वारा बनी यह समिति बोर्ड को श्रम कल्याण उपायों से संबंधी मामलों पर सलाह देती है जो रोपण श्रम अधिनियम 1951 के तहत शामिल नहीं हैं। यह समिति बोर्ड को रोपण कर्मचारियों एवं उनके प्रतिपाल्यों के हितों हेतु विभिन्न कल्याण योजनाओं को लागू करने में मार्गदर्शन करती है।

विकास समिति

अध्यक्ष समेत 7 सदस्यों से बनी यह समिति बोर्ड द्वारा चलाई गई विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की देख-रेख के लिये जिम्मेदार है एवं चाय उत्पादन व उत्पादकता के सुधार संबंधी मामलों पर बोर्ड को परामर्श देती है।

अनुज्ञापन समितियाँ

(1) अनुज्ञापन समिति दक्षिण भारत (4 सदस्यों सहित) तथा उत्तर भारत (अध्यक्ष सहित 7 सदस्य) के लिए चाय अनुज्ञापन जारी करने में सुधार सम्बंधी मामलों में बोर्ड को सुझाव देती है तथा यह समिति उत्तर तथा दक्षिण भारत में चाय उत्पादनकर्ताओं, विनिर्माताओं, निर्यातकों, ब्रोकरों, नीलामी व्यवस्थापकों एवं 'चाय अवशिष्ट' की क्रियाओं के निरीक्षण के लिए बोर्ड द्वारा चलाई गई विभिन्न अनुज्ञापन योजनाओं पर ध्यान देने के लिए उत्तरदायी है।

ये समितियाँ, कार्यापालक समिति अथवा बोर्ड द्वारा समय-समय पर



दिए गए निर्देशों, आदेशों के तहत बोर्ड के कार्यों को करेगा जो कि अधिनियम के अध्याय-III वं IV से सम्बद्ध है, चूँकि ऐसे कार्य क्रमशः उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के चाय संपदाओं से संबंधित हैं।

महत्वपूर्ण सिद्धान्तों व नीतियों के प्रश्नों से संबंधित मामले अनुज्ञापन समिति द्वारा दक्षिण भारत हेतु अध्यक्ष को सम्बोधित किया जाएगा, जो यदि आवश्यक हो, तो उत्तर भारत के लिए अनुज्ञापन समिति से विचार-विमर्श कर सकते हैं एवं यदि वे आवश्यक समझें तो निर्देश जारी कर सकते हैं। अध्यक्ष, यदि उचित समझें तो ऐसे निदेश जारी करने से पूर्व अनुज्ञापन समितियों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

नायब अध्यक्ष का चुनाव

श्री दिनेश कुमार शर्मा, सभापति, अखिल असम लघु चाय उत्पादक संस्था, लाचित नगर, पोस्ट रुपाई साडडिंग, जिला-तिनसुकिया, पिन-786153 असम, ने चाय नियम, 1954 के नियम 9(1) की शर्तानुसार बोर्ड के नायब अध्यक्ष के रूप में 31.03.2013 तक कार्य किया।

बोर्ड का कार्य

संक्षेप में टी बोर्ड के मूल कार्य निम्नवत है :

- ए) चाय की खेती, उत्पादन एवं विपणन के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रस्तुतीकरण।
- बी) चाय विनिमाताओं, ब्रोकरों, चाय अवशिष्ट डीलरों एवं चाय मिश्रण के व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों आदि का पंजीकरण एवं अनुज्ञापन।
- सी) निर्यात संवर्धन।
- डी) चाय की गुणवत्ता में सुधार व चाय उत्पादन के आवर्धन के लिए अनुसंधान व विकास गतिविधियों में सहायता।
- ई) श्रम कल्याण योजनाओं द्वारा चाय रोपण कर्मचारियों एवं उनके प्रतिपाल्यों को सीमित रूप में आर्थिक सहायता देना।
- एफ) लघु उत्पादकों के असंगठित क्षेत्र को आर्थिक व तकनीकी सहायता देना व प्रेरित करना।
- जी) सांख्यिकी डाटा व प्रकाशन का संग्रह व रख - रखाव।
- एच) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर नियत अन्य गतिविधियाँ।

निधि का स्रोत :

उपरलिखित कार्यों के लिए निधि सरकार द्वारा योजना व गैर योजना वजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

गैर योजना निधि का उपयोग पूरी तरह से प्रशासनिक तथा स्थापना शुल्कों के लिए किया जाता है, जिसका मुख्य स्रोत चाय पर लगाया गया उपकर है। उपरलिखित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्यन्वयन सहित अन्य गतिविधियों के लिए योजना बजट आबंटन से निधि मुहैया करायी जाती है।

चाय उपकर :

चाय उपकर, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25(1) के तहत भारत में सभी प्रकार के चाय उत्पादन पर लगाया जाता है। उपरलिखित अधिनियम के तहत भारत में उत्पादित प्रति किलोग्राम पर 50 पैसे उपकर लगाया जाता है। वर्तमान में, यद्यपि 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपकर संग्रह किया जाता है परन्तु दार्जिलिंग चाय हेतु केवल 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर है। वर्तमान में उपकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा संग्रहीत की जाती है एवं संग्रह के व्यय को काटकर भारत की समेकित निधि में जमा की जाती है। संसद के निर्देश पर अनुमोदित बजट के आधार पर समय - समय पर टी बोर्ड के पक्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि प्रदान की जाती है।

प्रशासनिक ढांचा :

बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है एवं इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है एवं उनकी सहायता के लिए कोलकाता में उपाध्यक्ष तथा गुवाहाटी व कुनूर में कार्यपालक निदेशक है। भारत में बोर्ड के उन्नीस (19) कार्यालय एवं विदेश में 3 कार्यालय निम्नलिखित जगहों पर अवस्थित हैं।

भारत में कार्यालय :

अगरतला, कोची, कूनूर, कोट्टायम, डिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जलपाईगुड़ी, जोरहाट, कार्सियांग, मुंबई, नई दिल्ली, पालमपुर, सिल्चर, सिलीगुड़ी, तेजपुर, कुमिली, गुडलूर, कोयम्बटूर व ईटानागर।

समुद्रपारीय कार्यालय :-

टी बोर्ड के समुद्रपारीय कार्यालय लंदन, दुबई व मास्को में अवस्थित हैं। इन सभी कार्यालयों की स्थापना भारतीय चाय निर्यात को समृद्ध करने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक उपायों के लिए की गई है। ये कार्यालय विशिष्ट क्षेत्रों के भारतीय चाय आयातकों के साथ भारतीय निर्यातकों के विचार विनिमय के लिए सम्पर्क कार्यालय की भूमिका निभाते हैं।



क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय एवं कार्यपालक निदेशकों के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन हैं निम्नवत हैं :-

मुख्यालय कोलकाता के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन कार्यालय	कार्यपालक निदेशक, उत्तर पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत कार्यालय	कार्यपालक निदेशक, कूनूर, के अंतर्गत कार्यालय
नई दिल्ली	गुवाहाटी	कूनूर
मुंबई	सिल्चर	कोयम्बटूर
सिलीगुड़ी	जोरहाट	कोची
पालमपुर	डिब्रुगढ़	कुमिली
कार्सियांग	तेजपुर	गुडलूर
जलपाईगुड़ी	अगरतला	
	ईटानगर	

टी बोर्ड ने लघु चाय उत्पादकों के हित में डिब्रुगढ़ में एक पृथक निर्देशालय की स्थापना की है। लघु चाय उत्पादकों के हितों की कुशलतापूर्वक देखरेख एवं लघु चाय उत्पादकों से संबंधित मामलों के निपटान में गति लाने के अतिरिक्त, विशेष रूप से लघु चाय उत्पादकों की गतिविधियों की देख-रेख के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों के अनुमोदन हेतु मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही, उत्तर-बंगाल क्षेत्र के कार्यों को सुधारने के लिए उत्तर बंगाल क्षेत्र में एक कार्यपालक निदेशक के पद के सृजन हेतु पृथक प्रस्ताव भी भेजा गया है।

टी बोर्ड अनुसंधान केंद्र :

परियोजना निदेशक के प्रभार के अधीन कार्सियांग में दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र अवस्थित है।

मुख्यालय की कार्यकारी गतिविधियाँ :

1) विभाग :

- क) सचिव के अधीन सचिवालय, स्थापना तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख है एवं वे बोर्ड के कार्यालय के विभिन्न विभागों से समन्वय रखते हैं।
- ख) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के अधीन वित्त शाखा आंतरिक लेखा परीक्षा व चाय बागानों को आर्थिक सहायता देने, लेखा के रख-रखाव हेतु उत्तरदायी हैं।
- ग) चाय विकास निदेशक के अधीन विकास निदेशालय, विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के निरूपण तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है एवं आवश्यक इनपुटों की खरीद, वितरण और संचालन के लिए उद्योगों/चाय संपदायों की सहायता करता है।

घ) चाय संवर्धन निदेशक के अधीन संवर्धन निदेशालय, भारत और विदेशों में चाय संवर्धन व विपणन संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है।

ङ) अनुसंधान निदेशक के अधीन अनुसंधान निदेशालय, देश में विभिन्न चाय अन्वेषण संस्थानों द्वारा किए गए चाय अनुसंधान के साथ समन्वय स्थापन एवं टी बोर्ड के निजी अनुसंधान केन्द्रों के कार्यों के निरीक्षण हेतु उत्तरदायी है।

च) अनुज्ञापन नियंत्रक के अधीन अनुज्ञापन विभाग है, चाय उत्पादकों, निर्माताओं, निर्यातकों, दलालों एवं नीलामी आयोजकों के अनुज्ञापन जारी करने तथा "चाय अवशिष्ट" की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी है।

चाय संपदाओं/बागानों की अनुमति व पंजीकरण (चाय अधिनियम की धारा 12, चाय नियम 1954 के 30, 30ए, 30बी, एवं 31) एवं चाय अवशिष्ट एवं चाय भंडारण का अनुवीक्षण तथा पंजीयन (चाय अधिनियम की धारा 30 तथा चाय (अवशिष्ट) आदेश, 1059) चाय विनिर्माताओं, चाय नीलामीकर्ता तथा चाय ब्रोकरों का अनुवीक्षण व पंजीयन (चाय अधिनियम की धारा 30 के साथ चाय (विपरणन नियंत्रण आदेश, 2003) पढ़ा जाय)

छ) कल्याण संपर्क अधिकारी के अधीन श्रम कल्याण विभाग, बोर्ड की कल्याण योजना, जो रोपण श्रम अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं, के क्रियान्वन संबंधी कार्यों की देख-रेख करती है।

ज) सांख्यिकीविद के अधीन सांख्यिकी विभाग, चाय क्षेत्र का उत्पादन, निर्यात व अन्य संबंधित आंकड़ों के संग्रहण एवं लागत अध्ययन के साथ देश में विभिन्न चाय उत्पादक क्षेत्रों में किए गये आर्थिक तकनीकी सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी है।



झ) हिन्दी अधिकारी के अधीन हिन्दी प्रकोष्ठ, राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन व तत्संबंधी उपायों की देखभाल के लिए उत्तरदायी होता है।

ज) दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र : टी बोर्ड का कार्सियांग में एक निजी चाय अनुसंधान केंद्र है। इस केंद्र में कार्य क्षेत्र के साथ-साथ पुनरोपण के विशिष्ट बिषयों, नवोदिन चाय प्रबंधन, फसल जीवनत्व, क्लोन चयन, जैव कीटनाशक दवाईयाँ, अवशिष्ट विषाक्तता, उर्वरता स्तर व चाय की पोषण उदग्रहण, सुगंधित अवयव व सुगंधित चाय की निर्माण तकनीक इत्यादि पर प्रयोगशालात्मक परीक्षण किया जाता है। दार्जिलिंग चाय अनुसंधान व विकास केंद्र कई वैज्ञानिक पत्रों का प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के हिस्से के रूप में तकनीकी बुलेटिन का प्रकाशन करता है, इसके साथ ही चाय संपदाख्यों में परामर्शी परिदर्शन भी करता है।

टी बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं का प्रमुख लक्षण :

उपर्युक्त विभागों द्वारा वर्ष के दौरान किए गये क्रियाकलापों की रिपोर्ट अन्यत्र दी गई है। बोर्ड द्वारा उद्योगों को दी गई सेवाओं का संक्षिप्त सारांश निम्नवत है :

चाय विकास :

चाय उत्पादकता तथा चाय उत्पादन में समग्र उन्नति एवं उत्पाद की गुणात्मक वृद्धि हेतु बेहतर प्रक्रमण सुविधाओं के निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा परिचालित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सभी संस्थाओं जैसे - बड़े, मध्यम एवं लघु रोपण के हितों पर सम्पयक विचार किया जाता है। अन्य उद्योगों की तरह, कुछ चाय ईकाइयों को भी समस-समय पर नुकसान का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार के चाय बागान के मामलों को चाय अधिनियम के प्रावधानों के तहत देखा जाता है। वित्तीय सहायता के अलावा, चाय बगानों को बेहतर कार्यों के लिए रियायती कर (आयकर अधिनियमकी धारा 33ए बी) के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन भी बोर्ड द्वारा दिया जाता है।

विकास हेतु ध्यान देने वाले क्षेत्रों में से एक है लघु रोपण क्षेत्र। लघु इकाइयों की निम्न उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड विभिन्न प्रकार के विकासात्मक उपायों जैसे-चाय खेती की उन्नत पद्धतियों पर प्रशिक्षण व प्रदर्शन, सहायिकी मूल्य पर रोपण समग्रियों की आपूर्ति हेतु चाय नर्सरियों की स्थापना, रोपणकर्ताओं के लिए विभिन्न चाय रोपण क्षेत्रों के परिदर्शन के लिए अध्ययन दौरे की व्यवस्था करना। इन गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए, बोर्ड द्वारा एक लघु चाय उत्पादक निदेशालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय डिब्रुगढ़ है।

चाय अनुसंधान :

चाय उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एक महत्वपूर्ण स्रोत है। परंपरागत रूप से चाय पर अनुसंधान स्वयं उद्योग द्वारा ही किया जाता है। देश में चाय पर अनुसंधान के लिए चाय अनुसंधान संघ का टोकलाई प्रयोगात्मक स्थल (टीआरए) एवं दक्षिण में उपासी का चाय अनुसंधान संस्थान दो महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र हैं। टी बोर्ड दार्जिलिंग चाय की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्सियांग में एक अनुसंधान केंद्र की देखरेख करता है। आईएचबीटी द्वारा कांगड़ा अंचल में पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या के लिए पालमपुर एवं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय (एचपीकेवीवी) में भी कुछ कार्य किया जाता है। टी बोर्ड, टीआरए, उपासी-टीआरएफ, एचपीकेवीवी एवं असम कृषि विश्व विद्यालय (जोरहाट) को अनुसंधान कार्य करने तथा चाय बगानों के सलाहकारी सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सहायता अनुदान प्रदान करता है। सहायता अनुदान के अलावा टीआरए एवं उपासी-टीआरएफ दोनों को विभिन्न प्रकार के अनुसंधान व विकास कार्य चलाने के लिए योजनागत परियोजनाओं के तहत अनुदान दिया जाता है।

चाय बगानों तक अनुसंधान खोजों का लाभ पहुँचाने के लिए टीआरए एवं उपासी-टीआरएफ दोनों में सलाहकारी केंद्रों का बेहतरीन नेटवर्क है। दक्षिण भारत में लघु उत्पादकों की सहायता हेतु उपासी विशेष रूप से केवीके चला रही है।

उत्तर पूर्व राज्यों में तकनीकी मानव-शक्ति विकसित करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों की टीआरए द्वारा चाय संस्कृति पर प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है। टी बोर्ड विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों जैसे-इंडियन इन्स्टीट्यूट्स ऑफ पैकेजिंग, सीएफटीआरआई को विशिष्ट परियोजना के तहत ऐसे मदों पर अनुसंधान करने, जो टीआरए के अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल नहीं है एवं उपासी-टीआरएफ, को सहायता अनुदान भी प्रदान करती है।

राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संघ (एनटीआरएफ) की स्थापना चाय उद्योग एवं नाबार्ड से प्राप्त आर्थिक सहायता द्वारा की गई ताकि अनुसंधान गतिविधियों को समृद्ध बनाने एवं अनुसंधान के विविध क्षेत्रों पर नवीन योजनाओं की शुरुआत की जा सके।

अनुसंधान के संवर्धन व संचालन के अतिरिक्त वैकल्पिक टी पैकेजिंग, आईएसओ/पीएफए विनिर्देश, गुणवत्ता अवरोध, विशिष्ट उत्पादों का विकास, जैव/ईको चाय आदि से संबंधित बहुविध तकनीकी कार्यों की देखरेख बोर्ड के अनुसंधान निर्देशालय द्वारा की जाती है। चाय अनुसंधान पर विविध तकनीकी समितियों में अनुसंधान निदेशक द्वारा टी बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया जाता है।



श्रम कल्याण :-

टी बोर्ड चाय रोपण श्रमिकों को कुछ श्रम कल्याण उपाय प्रदान कर रहा है एवं ये सब उपाय रोपण श्रम अधिनियम व नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। बोर्ड का कल्याणमूलक उपाय बागान श्रमिकों के संगे-संबंधियों को प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है साथ ही चाय बागान क्षेत्रों में विद्यार्थियों में स्काउटिंग व गाइडिंग गतिविधियों को प्रदान करने, एंबुलेंस तथा विशिष्ट उपाचार के लिए चिकित्सीय उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। चाय बागान कर्मचारियों को उनके घरों में सुरक्षित पेयजल तथा साफ व सुरक्षित शौचालयों के लिए भी सहायता प्रदान की गयी।

चाय संवर्धन :-

टी बोर्ड का संवर्धनात्मक कार्य साधारणतः लंदन, दुबई एवं मास्को में अवस्थित विदेशी कार्यालयों द्वारा किया जाता है। जबकि संवर्धनात्मक कार्य भारतीय चाय के मूल्यवर्द्धक रूप जैसे - पैकेट चाय, चाय थैलों एवं इन्सर्टेड चाय के रूप में लोकप्रिय बनाने पर जोर देती है, वहीं टी बोर्ड विदेशी देशों मुख्यतः यूके व जर्मनी में चाय परिषद द्वारा चाय को पेय के रूप में लोकप्रिय बनाने में सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त टी बोर्ड ने तीन जिलों- दार्जिलिंग, असम एवं नीलगिरीज की चायों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतीक चिन्हों को भी सफलतापूर्वक लागू किया है।

समुद्रपारीय कार्यालयों की गतिविधियों में शामिल है :-

अंतर्राष्ट्रीय मेलों व प्रदर्शनियों विशेष रूप से खाद्य एवं पेय कार्यक्रम में भाग लेना

- स्पेशियल्टी स्टोर / सुपर मार्केट में फिल्ड सैम्पलिंग
- मीडिया प्रचार
- क्रेतओं - विक्रेताओं की बैठक
- मूल्यवर्द्ध चाय के भारतीय निर्यातकों/विदेशी आयातकों को उनके संवर्धनात्मक एवं विपणन प्रयासों के लड़े संवर्धनात्मक सहारा प्रदान करना
- आयातकों एवं निर्यातकों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए लोकसंपर्क गतिविधियाँ
- भारत एवं आयातक देशों के बीच चाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान प्रदान

टी बोर्ड की जन-शक्ति :-

स्टाफ निरीक्षण इकाई व आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई तथा मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त पदों (बोर्ड विदेशी कार्यालयों को शामिल करके) के आकलन के अनुसार 31.03.2013 तक कूल जन-शक्ति 618 है। बोर्ड के भारत एवं विदेशों में स्थित कार्यालयों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों तथा स्टाफ सदस्यों की मौजूदा संख्या सारणी -1 में दर्शायी गई है।

सारणी -1

भारत में बोर्ड की 31.03.2013 तक समुहवार जन-शक्ति

क्र. सं.		ग्रुप - ए	ग्रुप - बी	ग्रुप - सी	सफाई	कुल
1.	मुख्यालय	19	82	197	07	305
2.	क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय	37	88	176	02	303
3.	टी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	5	01	—	—	06
4.	अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ सदस्य	—	01	—	—	01
	कुल	61	172	373	09	615

बोर्ड की विदेशी कार्यालय में भारतीय अधिकारियों की संख्या (31.03.2013 तक)

समूह "क"	लंदन	दुबई	माँस्को	कुल
निदेशक चाय संवर्धन ग्रेड 1	01	—	—	01



अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग	कुल
ग्रुप -ए	09	03	06	18
ग्रुप-बी	31	04	13	48
ग्रुप-सी	53	18	25	96
सफाई कर्मचारी	07	—	—	07
कुल	100	25	44	169

भर्ती अभियान - वर्ष के दौरान निम्नलिखित पदों को भरने के लिए भर्ती की गई :

ग्रुप -ए	17
ग्रुप-बी	27
ग्रुप-सी	19
कुल	63

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रशासनिक परिवर्तन :

- श्री चन्द्र चूर दासगुप्ता, अनुसंधान अधिकारी अधिकारी (अर्थनीति) ने बोर्ड की सेवा से 31 मई, 2012 के अपराहन से अधिवर्षिता प्राप्त की।
- श्रीमती दीपान्विता पाल मजूमदार ने बोर्ड में प्रचार अधिकारी के रूप में 18 जून, 2012 को कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री जयंत राय अधीक्षक, (साधारण कर्तव्य) 20 जून, 2012 से अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किए गए।
- श्री ज्योतिर्मय कुमार दास, संयुक्त नियंत्रक, अनुज्ञापन (मुख्यालय), ने बोर्ड की सेवा से 30 जून, 2012 के अपराहन से अधिवर्षिता प्राप्त की।
- श्रीमती रेखा घोष, अनुभाग अधिकारी (स्थापना विभाग) की 8 अगस्त, 2012 से संयुक्त नियंत्रक, अनुज्ञापन, के रूप में पदोन्नति की गई।
- श्रीमती रेखा घोष संयुक्त नियंत्रक, अनुज्ञापन (मुख्यालय), ने बोर्ड की सेवा से 31 अगस्त, 2012 के अपराहन से अधिवर्षिता प्राप्त की।
- श्रीमती रोशनी सेन, उपाध्यक्ष, ने प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल की समाप्ति पर 31 अगस्त, 2012 से पद छोड़ दी है।
- श्री राम कृष्ण आचार्य, लेखा अधिकारी, ने बोर्ड की सेवा से 31 अगस्त, 2012 की अपराहन से अधिवर्षिता प्राप्त की।
- संजय कुमार मित्र, उप निदेशक, चाय संवर्धन, ने बोर्ड सेवा से 1 सितंबर, 2012 की पूर्वाहन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त की।
- श्री सुबीर सुंदर दे, लेखाकार, 03 अक्टूबर 2012 से लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए।
- श्री जयंत राय, अनुभाग अधिकारी (अनुज्ञापन), की नियुक्ति 4 अक्टूबर, 2012 से अनुभाग अधिकारी (स्थापना) के रूप में हुई।
- श्रीमती समता साहा, अधीक्षक, (साधारण कर्तव्य) की पदोन्नति 6 अक्टूबर, 2012 से अनुभाग अधिकारी (अनुज्ञापन) के रूप में हुई।
- श्री अनिल कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की नियुक्ति 18 अक्टूबर, 2012 से भूवैज्ञानिक के रूप में हुई।



- 14 श्री पवित्र किशोर घोष, लेखा अधिकारी, ने बोर्ड की सेवा से 31 अक्टूबर 2012 की अपराहन से अधिवर्षिता प्राप्त की।
- 15 श्री पल्लव चौधरी, लेखाकरा, को लेखा अदइकारी के रूप में 19 नवंबर, 2012 से पदोन्नत किया गया।
- 16 श्री कौशिक हलदार, सचिव, ने अपनी प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल की समाप्ति पर 5 नवंबर, 2012 से पद छोड़ दिया।
- 17 श्रीमती सुमिता लाहिड़ी, ग्रेड-1 आशुलिपिक, की 6 दिसंबर, 2012 से चयन ग्रेड आशुलिपिक के रूप में पदोन्नति हुई।
- 18 श्री प्रमोदा कुमार दाश, विधि अधिकारी, की नियुक्ति 6 दिसंबर, 2012 को तदर्थ सचिव के रूप में हुई।
- 19 श्रीमती रजनीगंधा सील नस्कर की नियुक्ति 1 जनवरी, 2013 से अनुज्ञापन नियंत्रक के रूप में हुई।
- 20 श्रीमती नीलम मीणा, आईएएस, ने टी बोर्ड में 7 जनवरी, 2013 को उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- 21 श्री धृतिमान साहा की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 22 श्री पार्थ दास महापात्रा की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकर अधिकारी के रूप में हुई।
- 23 श्री प्रीतम भट्टाचार्य की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 24 श्री एस. अरूण कुमार की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई है।
- 25 श्री भारती राजा की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 26 श्री विवेक की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 27 श्री अभिमन्यू शर्मा की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 28 श्री तुहिन देवनाथ की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 29 श्रीमती टी रूबी मोनिषा की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 30 श्री सुनील कुमार के. की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 31 राकेश तलरू की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 32 श्री उज्ज्वल कुमार झा की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 33 श्री अभिजीत दासकी नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई है।
- 34 श्री सुमन चक्रवर्ती की नियुक्ति 7 जनवरी, 2013 से फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी के रूप में हुई।
- 35 श्री एन. दियानन्द ने 10 जनवरी, 2013 को बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- 36 श्री जी. बौरियाह, निदेशक, चाय विकास, ने 31 जनवरी, 2013 के अपराहन से बोर्ड की सेवा से अधिवर्षिता प्राप्त की।



वैश्विक व भारतीय चाय परिदृश्य का एक व्यापक सिंहावलोकन

2.0 वैश्विक चाय परिदृश्य



उत्तर अमरीका को छोड़कर सभी महाद्वीपों के 30 से अधिक देशों में जिनकी जलवायु 42° उत्तर (जियोर्जिया) व 35° दक्षिण अक्षांश (अर्जेन्टिना) के मध्य है, में चाय उगायी जाती है। 2012 में आकलित वैश्विक उत्पादन 4625 मिलियन कि.ग्रा. रहा। विश्व खपत 4440 मिलियन कि.ग्रा. के लगभग होने के चलते वैश्विक उत्पादन व खपत सुचारु रूप से संतुलित रहती है।

मुख्य चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश चीन, भारत, केन्या व श्रीलंका, है। वैश्विक उत्पादन एवं निर्यात का 78% एवं 71% दर्शाते हैं।

(तालिका-1)


मुख्य उत्पादक एवं निर्यातक देशों का उत्पादन व निर्यात अंश

देश	2012			
	उत्पादन		निर्यात	
	मिलियन कि.ग्रा.	% हिस्सा	मिलियन कि.ग्रा.	% हिस्सा
चीन	1789.75	39	321.79	18
भारत	1126.33	24	208.26	12
केन्या	369.56	8	430.21	24
श्रीलंका	328.4	7	306.04	17
अन्य	1010.59	22	510.21	29
विश्व कुल	4624.63	100	1776.51	100



(तालिका-2 : चाय का विश्व नीलामी मूल्य)

वर्ष	2012					
	भारत	बांगलादेश	श्रीलंका	इण्डोनेशिया	केन्या	लिम्बे
2010	2.29	2.61	3.28	1.82	2.54	1.58
2011	2.23	2.14	3.25	1.97	2.72	1.61
2012	2.28	2.40	3.07	1.97	2.88	1.70



औसतन प्रति व्यक्ति चाय की खपन भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग किस्मों की चाय पर निर्भर करती है। कुवैत, आयरलैण्ड, अफगानिस्तान एवं यूके में 2 किलोग्राम से कुछ अधिक तथा श्रीलंका व पाकस्तान में 1 किलोग्राम के लगभग एवं भारत में 800 ग्राम की खपत है। हालांकि प्रति व्यक्ति खपत में भारत सबसे नीचे है जो कि उसकी वृहत्तम आबादी के चलते और कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत खपत देश में ही होती है। इस प्रकार वैश्व उत्पादन के 20% चाय की खपत भारत में ही होता है। यह स्थिति अन्य चाय उत्पादनकारी देशों की तुलना में पर्याप्त व्यतिरेकी है, विशेषकर केन्या और श्रीलंका जिनकी अपनी घरेलू खपत कम है, और इसी कारण वे अपने उत्पादन का 95 से 98% चाय का निर्यात करते हैं।

2012 में वैश्विक चाय की स्थिति :

उत्पादन

2012 में वैश्विक उत्पादन में 171.16 मि.किग्रा. की बढ़ोतरी हुई। थोक मात्रा में हरी चाय के उत्पादन में वृद्धि चीन से आया। जहाँ तक काली चाय का संबंध पिछले वर्ष की तुलना में भारत में काली चाय के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि श्रीलंका एवं केन्या के उत्पादन (सारणी-5) में गिरावट आई।

सारणी 3 : विश्व का कुल उत्पाद मिश्रण (मि.कि.ग्रा.) :

	2011	2012	2011 की तुलना में वृद्धि
हरी चाय	1370.92	1495.77	124.85
काली चाय	3082.55	3128.86	46.31
कुल	4453.47	4624.63	171.16

सारणी 4

प्रधान काली चाय उत्पादक देशों में चाय उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा. में)

देश	2011	2012	2011 की तुलना में वृद्धि/कमी
भारत	1115.72	1126.33	10.61
श्रीलंका	328.63	328.40	- 0.23
केन्या	377.91	369.56	- 8.35

स्रोत : आईटीसी वार्षिक बुलेटिन सांख्यिकी 2012



निर्यात

2012 में कुल वैश्विक निर्यात 1 प्रतिशत बढ़ा जो 2011 की तुलना में 17.51 मिलियन कि.ग्रा. था (सारणी-6)। कुल वैश्विक निर्यात में केन्या, चीन, श्रीलंका व भारत ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अग्रणी स्थान बरकरार रखा।

सारणी - 5

प्रमुख निर्यातक देशों का कुल उत्पादन में निर्यात % (मिलियन कि० ग्रा- में.)

देश	2011	2012
केन्या में निर्यात मि. क्रिग्रा में	421.27	430.21
उत्पादन का %	111	116
चीन में निर्यात मि. क्रिग्रा में	322.58	321.79
उत्पादन का %	20	18
श्रीलंका में निर्यात मि. क्रिग्रा में.	301.27	306.04
उत्पादन का %	92	93
भारत में निर्यात मि. क्रिग्रा में	215.42	208.26
उत्पादन का %	19	18
अन्य में निर्यात मि. क्रिग्रा में	498.46	510.21
उत्पादन का %	49	50
कुल विश्व निर्यात मि. क्रिग्रा में	1759.00	1776.51
वैश्विक उत्पादन का %	39	38

स्रोत : आईटीसी वार्षिक बुलेटिन सांख्यिकी 2013

चाय मूल्य:

परिवीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय चाय मूल्य स्थिर रहे एवं 2011 (सारणी -7) की सीमा से आंशिक रूप से ऊंचे तथा समान रहे। भारत में, उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में चाय के नीलामी मूल्य में बढ़ोत्तरी देखी गई।



सारणी - 6

अपनी विशिष्ट मुद्राओं में वर्ष 2012 के दौरान प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य

नीलामी केन्द्र	2011	2012
कोलकाता	131.12	149.55
गुवाहाटी ₹	108.47	131.01
सिलिगुड़ी ₹	103.46	120.17
कोच्ची ₹	80.21	96.08
कोयम्बटूर ₹	65.95	83.73
कूनूर ₹	64.05	82.31
चिटागाँव टाका ₹	156.23	196.93
कोलम्बो ₹	359.68	391.47
जकार्ता यूएस \$ सी	160.75	196.53
मोम्बासा यूएस \$ सी	272.00	288.00
लिम्बे यूएस \$ सी	160.75	170.26

स्रोत : आईटीसी वार्षिक बुलेटिन सांख्यिकी 2013, भारतीय नीलामी को छोड़कर

भारतीय चाय परिदृश्य

देश के प्रधान चाय क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, तामिलनाडू एवं केरल राज्यों में अवस्थित हैं। कुल उत्पादन का 98% हिस्सा इन चार राज्यों में होता है। परम्परागत राज्यों में जहाँ छोटे पैमाने पर चाय उगाई जाती वे राज्य हैं - त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार एवं कर्नाटक। गैर-परम्परागत राज्य, जिन्हें हाल ही में भारत के चाय नक्शों में शामिल किया है, उनमें शामिल है - अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेखालय, मिजोराम, नागालैण्ड, उड़ीसा एवं सिक्किम। भारत विश्व की बेहतरीन चायों का उत्पादन करता है - जैसे दार्जिलिंग, असम एवं नीलगिरी अपनी नरम सुगंध, दृढ़ता व ज्वलता के लिए महाहूर है। विविध सस्स जलवायुगत स्थितियों में, भारत विभिन्न प्रकार के स्वाद वाले चायों का उत्पादन करता है जो उपभोक्ताओं को बहुत ही पसंद आती हैं। प्रत्येक प्रान्त की अपनी अलग विशिष्टता होती है, जो उसे अन्य क्षेत्रों से अलग करती है।


उत्पादन : 2011 की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान उत्पादन में 10.61 मिलियन किलो ग्राम की वृद्धि हुई जोकि उत्तर भारत में मुख्य चाय उत्पादन क्षेत्रों में बेहतरीन जलवायु स्थिति के फलस्वरूप संभव हो पायी। 2011 की तुलना में दक्षिण भारत में उत्पादन में 0.77 मिलियन कि.ग्रा. की गिरवट आई। (सारणी-8)



सारणी - 7

भारत में अनुमानित चाय का उत्पादन (मिलियन कि० ग्रा० में.)

केलेण्डर वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत	वित्तीय वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
2010	823.03	243.37	966.40	2010-11	728.52	238.21	966.73
2011	875.57	240.15	1115.72	2011-12	865.59	229.87	1095.46
2012	886.95	239.38	1126.33	2012.13	893.38	241.69	1135.07



सारणी - 8


गत 3 वर्षों के दौरान भारत से चाय का निर्यात

मात्रा – मिलियन कि.ग्रा. : मूल्य – रू करोड़ में ई. मू – रू इकाई मूल्य / कि.ग्रा.


केलेण्डर वर्ष	मात्रा	मूल्य	ई.मू.	वित्तीय वर्ष	मात्रा	मूल्य	ई.मू.
2010	222.02	3058.31	137.75	2010-11	213.79	2995.79	140.13
2011	215.42	3292.08	152.82	2011-12	214.35	3304.82	154.18
2012	208.26	3750.76	180.10	2012.13	216.23	4005.93	185.26

निर्यात :

वर्ष 2012 के दौरान भारत से चाय निर्यात की मात्रा में 2011 की तुलना में 7.16 मि.कि.ग्रा. की गिरावट आई। गत वर्ष से तुलना की जाये तो वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1.88 मि.कि.ग्रा. की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। (सारणी-9)



240



from India
(Tea)

Count



गत 3 वर्षों में विभिन्न रूपों में निर्यात (सारणी - 09 से 12)

सारणी - 9 : थोक चाय का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मि.कि. ग्रा)	मूल्य (रु करोड़.)	इकाई मूल्य (रु/कि.ग्रा)
2010-11	182.80	2220.54	121.47
2011-12	190.25	2576.48	135.43
2012-13	190.63	3126.29	164.00

सारणी - 10 : पैकेट चाय का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मि.कि. ग्रा)	मूल्य (रु करोड़.)	इकाई मूल्य (रु/कि.ग्रा)
2010-11	17.14	307.03	179.13
2011-12	12.07	307.82	255.03
2012-13	11.09	309.18	278.79

सारणी - 11 : चाय थैले का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मि.कि. ग्रा)	मूल्य (रु करोड़.)	इकाई मूल्य (रु/कि.ग्रा)
2010-11	10.79	341.06	316.09
2011-12	9.69	328.02	338.51
2012-13	12.12	455.94	376.19

सारणी - 12 : इंस्टैंट चाय का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मि.कि. ग्रा)	मूल्य (रु करोड़.)	इकाई मूल्य (रु/कि.ग्रा)
2010-11	3.06	127.16	415.56
2011-12	2.34	92.50	395.30
2012-13	2.39	114.52	479.16

प्राथमिक विपणन :

वर्ष के दौरान देश में कुल उत्पादित चाय में से, 46% लोक नीलामी के मार्फत बिकी 8% अग्रेषित निविदा के मार्फत रूप में निर्यात हुई तथा शेष 46% सीधे बागान से निजी बिक्री के मार्फत बिकी। गत तीन वर्षों के दौरान चाय की निपटान पद्धति तथा नीलामी में औसत मूल्य सारणी -13 तथा 14 में दर्शायी गयी है।



सारणी - 13 : भारत में उत्पादित चाय की निपटान पद्धति

वर्ष	नीलामी के माध्यम से बिक्री चाय की मात्रा	अग्रेषित निविदा के तहत सीधे बागान से निर्यात	सीधे बागान से निजी बिक्री
2010	530 (54.87)	41 (4.24)	395 (40.89)
2011	542 (48.57)	90 (8.06)	484 (43.37)
2012	515 (45.74)	87 (7.73)	524 (46.54)

(मिलियन कि. ग्रा. में मात्रा. कुल उत्पाद के आकड़े % कोष्ठ क में दिये गये)



सारणी - 14

नीलामी के माध्यम से बिक्री चाय का औसत मूल्य (रू प्रति कि.ग्रा.)

केलेण्डर वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत	वित्तीय वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
2010	119.51	67.69	104.66	210-11	120.18	68.37	105.40
2011	117.19	70.17	104.06	2011-12	117.01	70.26	103.94
2012	135.59	87.39	121.81	2012-13	142.09	93.75	127.91

घरेलु खपत

वर्ष 2012 में चाय की आन्तरिक खपत 942 मि. कि. ग्रा थी जबकि 2011 की तुलना में चाय की आन्तरिक खपत 921 मि.कि.ग्रा थी।





वित्त

प्रस्तावना

चाय अधिनियम की धारा 25 एवं 26 के अनुसार चाय उपकर की आमदनी और देश में उत्पादित सभी किस्मों की चाय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा की गई उपकर की वसूली को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वार्षिक बजट के तहत बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार निधि प्रदान करती है। चाय अधिनियम की धारा 25 में विहित शर्तों के अनुसार 1 जून 2011 से प्रभावी वर्तमान में दार्जिलिंग एवं दार्जिलिंग इतर तैयार चाय पर उपकर प्रभार क्रमशः 0.25 ₹ प्रति कि.ग्रा. तथा 0.59 ₹ प्रति कि. ग्रा. की दर से लगाया जाता है।

अनुदान, सहायिकी एवं भारत सरकार द्वारा कथित अधिनियम की धारा 26ए के तहत मुक्त किए गए ऋण, बोर्ड की आय का अन्य मुख्य स्रोत हैं। बोर्ड के राजस्व प्राप्त के अन्य लघु स्रोत भी हैं जैसे: अनुज्ञापत्रियों पर शुल्क, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज तथा विविध आय जैसे: तरल चाय की बिक्री, हरी पत्तियों की बिक्री, आवेदन पत्रों एवं अन्य प्रकाशनों इत्यादि की बिक्री। ऐसे सभी लेखों की आय आईईबीआर में जमा होता है।

अतः, चाय अधिनियम की धारा 26 एवं 26ए के तहत बोर्ड हेतु उपलब्ध सभी निधियाँ वार्षिक संयुक्त बजट के माध्यम से गमन करती हैं। अधीनस्थ विधायन के संदर्भ तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत और/या सरकार की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के विषय में चाय अधिनियम की धारा 10 में प्रतिस्थापित प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के कार्यों हेतु ऐसी निधियों को उपयोग में लाया जाता है।

बोर्ड के बजट को दो संघटित तत्वों में समाविष्ट किया जाता है जैसे गैर-योजना एवं योजना।

उपकर आय

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के पावती बजट के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उपकर संग्रहण ₹ 5400.00 लाख था। वर्ष 2012-13 के दौरान चाय अधिनियम 1953 की धारा 26 के तहत उपकर की आय के प्रति टी बोर्ड गैर-योजना के रूप में ₹ 3700.00 लाख (अथ शेष सहित) सरकार द्वारा विनिर्मुक्त किया गया था।

अनुसंधान एवं विकास अनुदान

वर्ष 2012-13 के दौरान चाय अधिनियम की धारा 26ए के तहत पुरानी एवं सक्रिय योजनाएं तथा नई योजनाओं के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान के प्रति सरकार से ₹ 1000.00 लाख (अथ शेष सहित) की राशि प्राप्त की गयी।

अनुसंधान (एएसआईडीई)

वर्ष के दौरान सरकार से अनुदान के रूप में ₹ 381.00 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। जिसका अथ शेष ₹ 50.00 लाख था।

सहायिकी

वर्ष के दौरान चाय अधिनियम की धारा 26ए के तहत सरकार से सहायिकी के रूप में ₹ 15067.00 लाख (अथ शेष सहित) की राशि प्राप्त हुई थी।

बाजार पहुँच पहल योजना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लंदन ओलम्पिक हेतु विशेष अनुदान के रूप में सरकार से ₹ 90.00 लाख की राशि प्राप्त हुई थी।

ऋण कार्पस निधि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चाय अधिनियम की धारा 26ए के तहत ऋण योजनाओं के प्रति सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

विशेष प्रयोजन चाय निधि-पुंजीगत

वर्ष के दौरान, एसपीटीएफ पुंजी अंशदान के प्रति सरकार से कोई राशि नहीं प्राप्त हुई।



वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-योजना के विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्तियाँ निम्नवत थी :

ए. प्राप्तियाँ

(₹ लाख में)

चाय अधिनियम की धारा 26के तहत प्राप्त राशि	3700.00
अनुज्ञापनों के बाबत वसूले गए शुल्क	6.49
टीएमसीओ 2003 के बाबत वसूले गए शुल्क	9.31
तरल चाय की बिक्री, हरी पत्तियों की बिक्री, प्रकाशनों की बिक्री, नियत जमा पर ब्याज इत्यादि सहित विविध प्राप्तियाँ	528.27
अग्रिम पर ब्याज	10.43
डीसीटीएम के बाबत वसूले गए पंजीकरण शुल्क	4.27
कुल	4258.77

वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-योजना व्यय निम्नवत थी :

बी. व्यय - (गैर-योजना)

(₹ लाख में)

पुस्तकालय सहित प्रशासन	2845.70
भारत में चाय संवर्धन	409.37
भारत से बाहर चाय संवर्धन	71.19
पेंशन	1401.00
कर्मचारियों को अग्रिम	63.13
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	25.97
कार्य	10.68
कुल	4827.04

सी. व्यय - अनुसंधान एवं विकास अनुदान

(₹ लाख में)

टीआरए की सहायता अनुदान	496.23
उपासी को सहायता अनुदान	30.61
डीटीआर व डीसी का उन्नयन	119.21
कार्यशाला/संगोष्ठि/प्रशिक्षण/बैठक/समावेश इत्यादि	82.70
विकास सहायता	19.66
अध्ययन दौरा	59.39
क्षेत्र कार्यालयों को सार्वमध्य बनाना	37.74
लघु चाय उत्पादक	14.95
मूलाधार सर्वेक्षण	3.88
नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ	20.16
आईटी व्यय	2.70
नये कार्यालयों की स्थापना	84.17
नियत परिसंपत्तियों की खरीद	34.38
बैंक प्रभार	0.03
अन्य विविध व्यय	57.45
कुल	1063.26

डी. व्यय - सहायिकी

(₹ लाख में)

रोपण सहायिकी योजना	1185.93
गुणवत्ता उन्नयन व उत्पाद विविधिकरण योजना	3061.35
मानव संसाधन विकास योजना	1254.00
अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	1530.78
बाजार संवर्धन योजना	1739.08
विशेष प्रयोजन चाय निधि	5111.00
अनुसूचित जाति सह योजना	822.68
कुल	14704.82



ई. बाजार पहुँच पहल योजना (₹ लाख में)

व्यय	45.00
कुल	45.00

एफ. अनुसंधान योजना (एसआईडी) (₹ लाख में)

व्यय	शून्य
कुल	शून्य

जी. व्यय-ऋण योजना (₹ लाख में)

ऋण योजना हेतु आवर्ती कार्पस निधि	शून्य
कुल	शून्य

वर्ष के दौरान योजना पर कुल व्यय

(सी + डी + ई + एफ + जी) = ₹ 15813.08 लाख



चाय विकास

परिचय :

टी बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में से एक कार्य चाय उत्पादन में सुधार लाना, उत्पादकता, गुणवत्ता में बेहतर, मूल्य संवर्धन, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, मूल्य कड़ी/शुंखला में आगे बढ़ने के लिए लघु उत्पादकों की क्षमता का निर्माण करना, श्रमिकों से लेकर प्रबंधकों तक हर स्तर पर कार्य कुशलता में सुधार करना इत्यादि है।

विकास समिति :

बोर्ड की विकास समिति, एक सलाहकारी निकाय के रूप में अपने पद की हैसियत से, चाय बोर्ड के विकात्मक कार्यों के निर्वाहन तथा सम्पादन में मार्ग दर्शन करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य थे तथा नीचे उल्लिखित तारीखों एवं स्थानों पर समिति ने तीन बार बैठकें की :-

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, समिति के पदेन अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, उफासी
3. अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ
4. श्री समीर रॉय, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल-735101
5. डॉ. अजित कुमार अगरवाला, सिलीगुड़ी, प. बंगाल
6. डॉ. एस रामू, कुनूर, तमिलनाडू
7. श्री हिरण्य बोरा, गुवाहाटी, असम-781005

विकास समिति की बैठकों की तारीखें एवं स्थान

बैठक की तिथि	स्थान
22 जून, 2012	कुमारक्कम, केरल
25 सितंबर, 2012	कोलकाता
30 मार्च, 2013	कोलकाता

विकास समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ :

टी बोर्ड की विकास योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा करने के साथ साथ, समीक्षाधीन अवधि में विकास समिति ने बोर्ड के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएँ की :-

1. गोलाघाट, असम, ऐजाल, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में चाय कन्वेंशन्स आयोजित करना। सभी प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में, जहाँ लघु उत्पादकों की संख्या अधिक है – कार्यक्रम/कार्यशालाएँ/सेमिनार/अध्ययन पर्यटन आयोजित करना।
2. दक्षिण भारत में 2012-13 के दौरान लघु चाय उत्पादकों के हितार्थ क्वाली चाय-2011-12 पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन करना।
3. उफासी केवी के सहयोग से वर्ष 2012-13 के लिए गुणवत्ता सुधा कार्यक्रम को जारी रखना।
4. लघु चाय उत्पादकों की अभिप्रेरणा हेतु सीईसी और टी बोर्ड के बीच कार्य व्यवस्था तथा असम एवं अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वयं सहायता समूहों का गठन।
5. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट के सहयोग से असम के लघु चाय उत्पादकों के लिए चाय की खेती के बैज्ञानिक पहलुओं के 30 प्रशिक्षण-सह-उपाय प्रदर्शन का आयोजन करना।
6. बारहवीं योजनावधि के दौरान 22.33 करोड़ रूपए की लागत से असम और पश्चिम बंगाल में कार्यन्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) के सहयोग से ऊर्जा संरक्षण परियोजना तथा इसी परियोजना को बारहवीं योजनावधि के दौरान टी बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास योजना के एक घटक के रूप में शामिल करना।



7. टीआरए तथा उपासी टी आर एफ के सहयोग से चाय बागान के अनुसूचित जाति के उत्पादकों एवं कारीगरों/श्रमिकों को एक उप-योजना के तहत प्रशिक्षण देना तथा टी आर ए के लिए 324.5 रू. एवं उपासी टी आर एफ हेतु 47.15 रू. की मंजूरी।
8. नाबार्ड द्वारा संशोधित तथा उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु अपनाए जाने के लिए स्वीकृत इकाई लागत पर आधारित पुनर्रोपण एवं जीर्णोद्धार के लिए दी जाने वाली सहायकी दरों में संशोधन।
9. ऑर्थोडॉक्स सहायिकी योजना के अंतर्गत कार्यकारी निदेशकों को सहायिकी प्राप्त करने तथा उसकी मंजूरी हेतु अधिकार का निष्पादन किया गया।
10. संसद में प्रस्तुत बाणिज्य विभाग की स्थायी समिति की 102वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श करना तथा 01 दिसम्बर 2012 को एक विशेष बैठक का आयोजन करना।
11. बोर्ड के जोरहाट कार्यालय का नवीनीकरण, डिब्रुगढ़ में लघु उत्पादक विकास निर्देशालय के नए कार्यालय हेतु फर्नीचर का क्रय तथा अरूणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक नया कार्यालय स्थापित करना।
12. राज्य सरकारों के उन चाय बागानों के पट्टे के अधिकारों को रद्द करने, जो प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से पुनर्रोपण का कार्य करने में असफल हो गए हैं तथा जिसके कारण चाय की उपज कम हुई और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा तथा जो चाय की खेती के लिए स्वीकृत क्षेत्र के अंदर उपलब्ध भूमियों का सही लाभ नहीं उठा पाए, के संकल्प के विषय में यह निर्णय लिया गया कि अपने घटको से विचार-विमर्श करने के बाद सीसीपीए इस मुद्दे को सुलझाने हेतु टी बोर्ड को एक विशेष प्रस्ताव और रणनीति प्रस्तुत कर सकता है।
13. स्वीकृत क्षेत्र के दायरे में उपलब्ध और कृषि योग्य परती जमीनों को चाय बागान के श्रमिकों के पक्ष में भूमि आबंटित करने, जिससे वे श्रमिक केन्द्र सरकार की योजनाओं जैसे-इंदिरा आवास योजना और ऐसी ही अन्य योजनाओं का लाभ उठाकर अपना घर बनाने पर विचार करने हेतु राज्य सरकारों को आगे करने के संकल्प के मुद्दे पर यद निर्णय लिया गया कि जहाँ कहीं भी प्रबंधन अपने कर्मियों की न्यूनतम 75 प्रतिशत तक की हाऊसिंग

जरूरतों को पूरा करने में विफल रही हो, टी बोर्ड द्वारा ऐसे बागानों की पहचान की जाए तथा टी बोर्ड, राज्य सरकारों को रोपण श्रम अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने को लिखे।

14. उत्खनकों के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को हटाने के मामले में यह निर्णय लिया गया कि इस विषय को तमिलनाडू सरकार के मुख्य सचिव के सम्मुख रखा जाए।
15. पर्यटन के लिए उत्तर बंगाल के चाय बागानों के दायरे में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के उपयोग पर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से यह सिफारिश की जाए कि पट्टे के समझौते में एक कारगर शर्त शामिल करे ताकि इन अतिरिक्त भूमियों को चाय पर्यटन हेतु उपयोग में लाया जा सके।

विकासात्मक योजनाएँ

चूंकि बारहवीं योजनावधि के ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है तथा उन गतिविधियों को अभी अनुमोदन मिलना शेष है जिन्हें ग्यारहवीं प्लान योजना में समर्थन दिया गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित किया गया।

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	चाय रोपण विकास योजना
2.	विशेष प्रयोजन चाय निधि योजना
3.	गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना
4.	मानव समाधान विकास योजना
5.	लघु उत्पादकों हेतु विकासात्मक सहायता

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ :

वर्ष 2012-13 बारहवीं प्लान का प्रथम वर्ष है। उपर्युक्त उल्लिखित योजनाओं की रिपोर्टाधीन वर्ष की अवधि में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नवत थीं :-



1. चाय रोपण विकास योजना :

चाय रोपण विकास योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न फील्ड-उन्मुख विकासात्मक उपायों जिनका लक्ष्य फील्ड उत्पादकता बढ़ाना तथा उत्पादन लागत कम करना है-के अधीन चाय रोपणों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत जिन विशिष्ट क्षेत्रों को सहायता प्रदान की गई है उनमें सिंचाई एवं परिवहन सुविधाओं द्वारा उत्पादकता सुधार, पहाड़ी इलाकों में छोटे-छोटे चाय बागानों में रोपण का विस्तार एवं स्वयं को उत्पादक समूहों के रूप में संगठित करने हेतु लघु उत्पादकों को प्रोत्साहित करना, इत्यादि शामिल है। चूंकि ईएफसी प्रस्ताव (बारहवीं प्लान हेतु) मंत्रालय के विचाराधीन है इस लिए ग्यारहवीं प्लान योजना के अंतर्गत लागू की गई वित्तीय सहायता को हिताधिकारियों के लिए आगे बढ़ा दिया गया जो निम्नवत है :

i) जोत के आकार पर ध्यान दिए बिना सभी चाय उत्पादकों हेतु :

क्र.सं.	क्रियाकलाप	सहायता का स्वरूप
1.	सिंचाई, जलनिकासी एवं परिवहन सुविधाओं का सृजन	प्रति हेक्टेयर ₹ 10,000 की एक सम्मिलित सीलिंग पर सीमा पर वास्तविक लागत का 25%

ii) चाय की खेती हेतु 4.00 हेक्टेयर तक भूमि वाले व्यक्तिगत लघु उत्पादकों हेतु

क्र.सं.	क्रियाकलाप	सहायता का स्वरूप
1.	पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र नई रोपण	इकाई लागत का 25% क्योंकि फील्ड ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद सहायिकी दो किस्में देय होगी।

iii) लघु उत्पादक स्वयं सहायता समूहों हेतु

क्र.सं.	क्रियाकलाप	सहायता का स्वरूप
1.	पत्ती संग्रह केन्द्रों की स्थापना	लागत के 100% की दर से अधिकातम सीमा ₹ 30,000 प्रति हेक्टेयर सहायता अनुदान।

क्र.सं.	क्रियाकलाप	सहायता का स्वरूप
2.	आगत भण्डारण गोदाम	लागत के 100% की दर से अधिकतम सीमा ₹ 50,000 प्रति हेक्टेयर सहायता अनुदान।
3.	तोलनयंत्र/पत्ती वाहक थैलियों का क्रय	वास्तविक लागत के 100% के दर से सहायता अनुदान।
4.	परिवहन वाहनों का क्रय	सहायिकी स्वरूप वास्तविक लागत का 50% कीदर से।
5.	क्षेत्र आगत का कृषि उर्वरक, पौधों को बचाने वाले रसायन, प्रूनिंग मशीन, स्प्रेयर इत्यादि	रिवाल्विंग कार्पस स्वरूप प्रयुक्तार्थ एक मुश्त दी जाने वाली अनुदान राशि ₹ 1,000/प्रति हेक्टेयर।
6.	स्वयं सहायता समूहों के चाय क्षेत्रों के रखरखाव और अनुरक्षण संबंधी प्रशिक्षण।	प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण शुल्क, रहने तथा भोजन पर 100% अनुदान। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षु को ₹ 500 की दर से छह माह तक मानदेय राशिका भुगतान।



सारणी 1 : वर्ष 2012-13 की अवधि में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि।

	लक्ष्य		उपलब्धि					
			एन ई		ओ एन ई		कुल	
क्रियाकलाप	भैतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	भैतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	भैतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	भैतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)
नए रोपण (हेक्टे.)	1500	12.03	742.54	4.1	314.08	1.725	1056.62	5.825
सिचाई (हेक्टे.)	4000		4874.23	0.94	2297.19	1.17	7171.42	2.11
परिवहन			111	1.67	79	1.33	190	3
स्वयं सहायता समूह (संख्या)	25		14	0.64	13	0.27	27	0.91
बेरोजगार युवकों को की 50% दर से सहायिकी (संख्या)			0	0	48	0.085	48	0.085
कुल				7.35		4.58		11.93

सारणी 2 : वर्ष 2012-13 की अवधि में संवितरित कार्यालयों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि।

संवितरण करने वाले कार्यालय	नई रोपण		सिचाई		परिवहन		स्वयं सहायता समूह		बेरोजगार युवकों को 50% सहायिकी		कुल वित्त (कोरोड़ ₹)
	भैतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	भैतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	भैतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	भैतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	भैतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	
जोरहट	742.54	4.1	4874.23	0.94	111	1.67	14	0.64	0	0	7.35
मुख्यालय	0	0	1578.98	0.66	42	0.52	0	0	0	0	1.18
कूनूर	301.14	1.32	718.21	0.51	37	0.81	13	0.27	48	0.085	2.995
कोट्टयम	12.94	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005
पालमपुर	0	0.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005
कुल	1056.62	5.825	7171.42	2.11	190	3.00	27	0.91	48	0.085	11.93



विशेष प्रयोजन चाय निधि योजना :

रोपण विकास योजना के एक उप-घटक के रूप में इस योजना को 2007-08 में चाय बागानों को बड़े पैमाने पर पुराने चाय क्षेत्रों के उन्मूलन, पुनरोपण तथा जीर्णोद्धार का कार्य करने हेतु विशेष सहायता मुहैया कराने के

लिए आरंभ किया गया था। जीर्णोद्धार छंटाई केवल पहाड़ी क्षेत्रों में तथा कछार के तिल्लाह क्षेत्रों एवं त्रिपुरा में होती है। इस योजना के अंतर्गत जिस तरह की वित्तीय सहायता देने की बात कही गई, वह निम्नवत है :-

क्रियाकलाप	सहायता का रूप
पुराने चाय क्षेत्रों को पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण तथा जीर्णोद्धार	इकाई लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में, फील्ड ऑपरेशन के पूरा होने पर दो किस्तों में देय होगा।

सारणी 3 : वर्ष 2012-13 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ :

क्रियाकलाप	लक्ष्य		उपलब्धियाँ					
	भौतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	एन ई		ओ एन ई		कुल	
			भौतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	भौतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)	भौतिक (हे./सं.)	वित्तीय (कोरोड़ ₹)
पुनरोपण	6000	52	3646.76	25.77	2887.28	22.33	6534.04	48.10
जीर्णोद्धार/प्रूनिंग	1000		214.57	0.55	834.48	2.53	1049.05	3.08
कुल			3861.33	26.32	3721.76	24.86	7583.09	51.18

- सब्सिडी के अतिरिक्त ₹ 1.61 करोड़ की आवधिक ऋण जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के पूर्व मंजूर किया गया था, को 2012-13 अवधि के दौरान खर्च किया गया है।

वाणिज्य विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में 25 अप्रैल, 2012 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में एस पी टी एक एपेक्स समिति की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गए:

1. पुनरोपण इकाई लागत में संशोधन

एपेक्स समिति ने नाबाडे द्वारा इकाई लागत में किए गए संशोधन तथा टी बोर्ड द्वारा उसे 2011 में प्राप्त किए गए जाने के विषय को नोट किया तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 में उस संशोधित इकाई लागत को अंगीकार करने की स्वीकृति प्रदान की।

2. इकाई लागत को आगे और संशोधन हेतु तकनीकी समिति का गठन

मजदूरी दरों में बाढ़ की बढ़ती तथा इकाई लागत के पुनःसंशोधन की जरूरतको ध्यान में रखकर, समिति ने चाय बोर्ड की उस अनुशंसा को स्वीकार किया जिसमें सभी प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में मजदूरी की दरों में आए बदलाव को देखते हुए इकाई लागत की समीक्षा करने हेतु एक तकनीकी समिति गठित करने की अनुशंसा की गई थी। इकाई लागत की समीक्षा करते समय, पौधों के उन्मूलन से हुई फसलीय क्षति को भी इकाई लागत के अंश के रूप में जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह निदेशित किया गया है कि नाबार्ड को भी समिति के साथ जोड़ा जाए।



3. XII वी योजनावधि में प्लान घटक का विच्छेदन

समिति ने विशेषज्ञ समिति द्वारा ऋण की लिवाली में न्यूनता संबंधी जिम्मेवार ठहराए गए कारणों को नोट किया। जब समिति को इस बात की जानकारी मिली कि कुल संवितरित ऋण, ग्यारहवीं प्लान अवधि के लिए तय ऋण का केवल 6% ही था, तब समिति ने टी बोर्ड की उस अनुशंसा को स्वीकार करने का निर्णय लिया जिसमें बोर्ड ने बारहवीं प्लान अवधि हेतु योजना के ऋण घटक को बंद करने/या उसमें कटौती करने को कहा था। परंतु, समिति, पुनर्पोषण के लिए चाय बागान के मालिकों द्वारा उठाए गए बैंक ऋण पर प्रति वर्ष 5% की दर से ब्याज-सहायिकी दिए जाने की टी बोर्ड की अनुशंसा से सहमत नहीं हुई। दूसरी ओर, समिति ने सहायिकी की वर्तमान दर 25% से बढ़ाकर 30% करने की अनुशंसा की।

4. बैंकों के कंसोर्टियम के साथ हुए सामान्य ऋण समझौते का समापन

बारहवीं प्लान अवधि हेतु ऋण घटक को रोकने का निर्णय लेने के बाद, समिति ने सामान्य ऋण समझौते को समाप्त करने हेतु बोर्ड की अनुशंसा का समर्थन किया। हालांकि, समिति बोर्ड के उस सुझाव से सहमत नहीं हुई जिसमें बोर्ड ने कहा था कि बैंकों से ऋण लेने की सुविधा को समय से पूर्व ही तत्काल बंद कर दिया जाए तथा ऋण अदायगी मेकानिज्म की प्रक्रिया को अदायगी की वार्षिक तरीके के तर्ज पर संशोधित किया जाए - जैसाकि टी बोर्ड द्वारा तत्कालीन की पुरानी ऋण योजना के अंतर्गत अपनाई जा रही है। समिति ने वर्तमान ऋण अदायगी प्रक्रिया को बिना किसी परिवर्तन के कुछ और समय के लिए जारी रखने का सुझाव दिया तथा इस पहलू पर आगे एकबार फिर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया।

5. जीर्णोद्धार छँटाई के लिए सहायिकी

समिति ने निर्णय लिया कि जीर्णोद्धार छँटाई के लिए दी जा रही सहायिकी को केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित किया जाना चाहिए और उसे समतल क्षेत्रीय चाय बागानों तक न बढ़ाए जाए।

6. पुराने चाय क्षेत्रों के लिए आयु सीमा में छूट

समिति ने 40 वर्ष से अधिक पुरानी चाय की झाड़ियों वाले भाग में उन्मूलन एवं पुनर्पोषण हेतु सहायिकी दिए जाने का निर्णय लिया। यह सहायिकी उन्हीं चाय बागानों के लिए होगी जिन्हें प्रयोग वर्ष के ठीक पहले लगातार तीन वर्षों तक बंद और परित्यक्त कर दिया गया था। ऐसे मामलों में टी आर ए तथा उपासी-टी आर एफ द्वारा जारी तकनीकी उपयुक्त प्रमाणपत्र के आधार पर ही सहायिकी दी जाती चाहिए।

7. अन्य

समिति ने चाय बागानों में नर्सरी पौधे उगाने हेतु सहायिकी के अग्रिम भुगतान तथा पुनर्पोषण के उपरान्तपूर्व सहायिकी का भुगतान करते समय अग्रिम राशि के समायोजन संबंधी अनुशंसाओं को भी नोट किया। चूंकि यह पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक मुद्दा होने के कारण समिति ने बोर्ड को निदेश दिया कि जैसा उन्हें उचित प्रतीत हो, वैसा करें।

8. गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना (क्यू यू एंड पी डी एस):

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मूल्य संवर्धन, उत्पाद विविधिकरण जैसे- आर्थोडॉक्स / हरी चाय तथा अन्य विशेष चायों के लिए नई सुविधाओं का सृजन, आई एस ओ/एच ए सी पी / कार्बनिक अथवा आर्गेनिक चाय प्रमाणन इत्यादि प्राप्त कर आधुनिक मिश्रण/पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त, फैक्टरी आधुनिकीकरण/उन्नयन के अंतर्गत ग्यारहवीं प्लान अवधि के लम्बित दावों को निपटारे के लिए भेज दिया गया क्योंकि (बारहवीं प्लान) वर्ष 2012-13 के ई एफ सी में इसका प्रस्ताव किया गया था। वित्तीय सहायता के स्वरूप को बढ़ाया गया था जैसा कि योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं प्लान स्कीम के निर्देशों के तर्ज पर लागू था, जो निम्नवत था :-

क्रम. सं.	क्रियाकलाप	सहायता का स्वरूप
1.	पुरानी और अचल मशीनरी के स्थान पर प्रसंस्कारण फैक्टरीयों का आधुनिकीकरण।	मशीनरी के वास्तविक लागत पर 25% की दर से सहायिकी प्रति फैक्टरी प्रति वर्ष ₹ 25 लाख की अधिकतम सीलिंग।
2.	100% सीटीसी फैक्टरीयों में आर्थोडॉक्स चाय के लिए प्रसंस्कारण मशीनरी का प्रापण तथा।	मद सं. 2 और 3 के क्रियाकलाप के लिए 40% की दर से सहायिकी होगी, जिसमें प्रति फैक्टरी प्रति वर्ष अधिकतम ₹ 25 लाख की सीलिंग प्रयोज्य है।
3.	लघु उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा नई फैक्टरीयों की स्थापना करना।	



क्रम. सं.	क्रियाकलाप	सहायता का स्वरूप
II	1. सफाई, मिश्रण, रंग छटाई, पैकेजिंग आदि के लिए अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन द्वारा मूल्य संवर्धन 2. 100% सी टी सी फैक्ट्रियों में ऑर्थोडॉक्स चाय के लिए मशीनरी।	मशीनरी के वास्तविक लागत पर 25% की दर से सहायिकी जहाँ प्रति फैक्टरी के लिए वार्षिक अधिकतम सीमा ₹ 25 लाख है। इसके लिए 40% की दर से सहायिकी, जहाँ प्रति फैक्टरी के लिए वार्षिक अधिकतम सीमा ₹ 25 लाख है।
III	आईएसओ/एचएसीसीपी और ऑर्गेनिक चाय के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन।	प्रमाणन शुल्क का 50% की दर से सहायिकी, जहाँ वार्षिक नवीनीकरण सहित प्रति प्रमाण-पत्र के लिए अधिकतम सीमा ₹ 1.00 लाख है।
IV	हरी चाय ऑर्थोडॉक्स चाय और विशेष चाय आदि (उत्पाद विविधिकरण) के उत्पादन के लिए नई फैक्ट्रियाँ स्थापित करना।	लागत के 40% की दर से सहायिकी, जहाँ प्रति फैक्टरी के लिए वार्षिक अधिकतम सीमा ₹ 25 लाख है।
V	ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि।	क) एच ओ स्तर पर ग्यारहवी प्लान के लम्बित दावों के निपटारे के लिए लीफ ग्रेडस के वास्तविक उत्पादन का ₹ 3/- प्रति किलो ग्राम की दर से, डस्ट ग्रेडस के चाय के लिए ₹ 2/- प्रति किलो ग्राम की दर से तथा पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक चाय के उत्पादन पर ₹ 2/- प्रति किलो ग्राम की दर से सहायिकी। ख) वर्ष 2012 के अवधि में जोरहाट और कूनूर कार्यालय से आए दावों का सभी तरह के चाय के ग्रेड के लिए समान दर पर ऑर्थोडॉक्स चाय के वास्तविक उत्पादन पर ₹ 3/- प्रति किलो ग्राम की दर से सहायिकी का भुगतान किया गया क्योंकि निर्णयानुसार, इस योजना को विकेन्द्रीकृत किया गया था।

- नोट: मशीनरी : सहायिकी कुल लागत (मशीनरी बस्तुओं की मूल लागत, स्वीकार्य कर, भाड़ा बीमा और कमिशनिंग की लागत) बशर्ते कि प्रति फैक्टरी/ब्लेंडिंग पैकेजिंग यूनिट पर Rs. 25 लाख अधिकतम सीमा हो।
- प्रमाणन : आई एस ओ/एचएसीसीपी और ऑर्गेनिक प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सहायिकी की सीमा प्रमाणन लागत का 50% तक तथा अधिकतम ₹ 1,00,000/- तक है।

सारणी 4 : वर्ष 2012-13 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

कार्यालय	फैक्टरी आधुनिकीकरण		मूल्य वर्धन		प्रमाणन		कुल	
	सं.	राशि / लाख	सं.	राशि / लाख	सं.	राशि / लाख	सं.	राशि / लाख
कोलकाता	110	826.38	2	21.06	14	5.35	126	852.79
कूनूर	73	520.69	0	0	0	0	73	520.69
जोरहाट	204	1551	16	136	0	0	220	1687
कुल	387	2898.07	18	157.06	14	5.35	419	3606.48



3.1 ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना :

वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान किए गए भुगतान का विवरण निम्नवत है :

सारणी 5 : ऑर्थोडॉक्स सहायिकी योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का विवरण :

कार्यालय	संख्या	मात्रा कि.ग्रा	राशि/रू. में
कूनूर	43	13326327	39978980
जोरहाट	192	18048394	54145184
मुख्यालय	370	30276279	66475061
कुल	605	61651000	160599225

4. मानव संसाधन विकास योजना :

इस योजना के अंतर्गत समर्थित क्रियाकलापों में चाय बागान के श्रमिकों एवं उनके बच्चों के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा में – कल्याणकारी उपाय जो अनुपूरक प्रकार की होगी न कि रोपण श्रम अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के प्रतिस्थापन पर होकी तथा रोपण प्रबन्धन में पेशेवरवाद अपनाया श्रमिक उत्पादकता सुधारना, गहन प्रशिक्षण द्वारा श्रमिकों से लेकर प्रबंधकों तक सभी स्तर पर कौशल सुधार शामिल है। वर्ष के दौरान जिन कल्याणकारी उपायों को समर्थन दिया गया उनकी रिपोर्ट कहीं और (श्रम कल्याण अध्याय के अंदर्गत) की गई है। वर्ष के दौरान चाय बागान के श्रमिकों, लघु उत्पादकों एवं रोपण प्रबन्धकीय कर्मचारियों के हित हेतु विभिन्न एजेन्सियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार था :-

सारणी 6 : वर्ष 2012-13 की अवधि में मानव संसाधन विकास के अधीन प्रशिक्षण/संगोष्ठी

कार्यकलाप	लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
	भौतिक (संख्या)	वित्तीय (₹ करोड़)	भौतिक (संख्या)	वित्तीय (₹ करोड़)
श्रमिकों के लिए नए कौशलों में अल्पावधि प्रशिक्षण जैसे : प्लंबिंग, मेसनरी, इलेक्ट्रिकल/टीवी की मरम्मत, बढ़ईगिरी, शौचालय का निर्माण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, एडस, नशीली दवाईयों, शराब आदि से मुक्ति दिलाने का प्रशिक्षण	5000	0.20	9621 व्यक्ति	0.20
टी बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों एवं उनके बच्चों तक पहुँचे इसके लिए उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अभियान चलाना।	50	0.20	693 व्यक्ति	0.39
आईआईपीएम, आईटीए, टीएआई, डीटीए, कृषि विश्वविद्यालयों एवं टीआरए के सहयोग से बैठकों/संगोष्ठियों का आयोजन।	100	0.15	588 व्यक्ति	0.04

व्यवसायिक प्रशिक्षण – पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में जन शिक्षण संस्थान में 283 चाय रोपण श्रमिकों के लिए छह महीने का व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया।



5. विकास अनुदान :

इस शीर्षक अधीन जिन विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान की गई है उनमें लघु उत्पादकों के हित हेतु सलाहकारी सेवाओं में विस्तार, गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में लघु उत्पादकों से करीबी स्वबन्ध या वार्तालाप के लिए विकास कार्यालयों का शुभारम्भ, बोर्ड के वर्तमान कार्यालयों को सुहृद करना, लघु उत्पादकों को अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्रियों की आपूर्ति हेतु नर्सरीज की स्थापना करना, लघु उत्पादकों के लिए प्रदर्शनी भूमि, अध्ययन दौरों कार्यशालाओं की स्थापना आदि शामिल है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान Rs. 294.47 लाख संवितरीत किए गए जिनके व्यय का विवरण निम्नवत है :

सारणी 7 वर्ष 2012-13 के दौरान संवितरीत विकास अनुदान

क्रम. सं.	विवरण	निर्गमित राशि (₹ लाखों में)
1.	उपासी/एएयू को दी गई सलाहकारी सेवा अनुदान राशि।	9.27
2.	अध्ययन दौरा, कार्यशाला एवं कनवेंशन	131.24
3.	टी बोर्ड के अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को सुहृद करना।	128.28
4.	बेस लाइन सर्वेक्षण	3.75
5.	अन्य (इसरो, पुरस्कार योजना, बैठकों में व्यय टीडीएस इत्तादि)	21.93
	कुल	294.47

6. अनुसूचित जाति सब-प्लान स्कीम :

अनुसूचित जाति के लघु चाय उत्पादकों को सहायता देने हेतु समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति सब-प्लान (एससी एसपी) अंतर्गत टी बोर्ड को 9.57 लाख रूपया प्राप्त हुआ। तदनुसार, विकास समिति के मार्गदर्शन से एक विशेष योजना चलाई गई।

सारणी 8 एस सी एस पी योजना के अधीन दी जाने वाली वस्तुएँ :

क्र. सं.	घटक/वस्तुएँ	ग्राह्य मदों की संख्या	स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली सहायिकी राशि की पात्रता	अनु. जा. के एकल उत्पादकों को दी जाने वाली सहायिकी राशि की पात्रता
क.	रोपण विकास योजना का दायरा			
1.	चाय बागानों से पत्तियों को फैक्टरी तक ले जाने आने हेतु परिवहन वाहन- ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलर।	प्रतिदिन प्रति 5000 कि.ग्रा. हरी पत्ती हैंडल करने के लिए एक वाहन की अनुमति (जून से सितम्बर के दौरान)।	वाहन की वास्तविक लागत के लिए 50% की सहायिकी।	
2.	उर्वरक, कीटनाशकों, स्प्रेयर के लिए प्रति हेक्टर एक वर्ष आवक लागत		₹ 10000 प्रति हेक्टर की दर से एक मुश्त अनुदान	
3.	इनपुट भण्डारण/भंडार गृह	क्षेत्री के उपकरणों को सुरक्षित रखने तथा भंडारण के	प्रति स्वयं सहायता समूह के लिए ₹ 50,000 एक मुश्त अनुदान।	



		लिए प्रति स्वयं सहायता समूह/प्रति उत्पादक के लिए एक इनपुट भंडार गृह	
4.	पत्ती संग्रहण शेड	प्रतिदिन प्रति 5000 कि.ग्रा. फसल एकत्र करने के लिए एक पत्ती संग्रहण शेड।	प्रति शेड (अधिकतम सीमा)/स्वयं स.स. ₹ 3000 का एक मुश्त पूंजीगत अनुदान।
5.	पत्ती तोलन पट्टी	प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के लिए पत्ती का वजन करने वाली दो तोलन पट्टी	दो तोलन पट्टियों के लिए (प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के लिए) ₹ 3000 का एक मुश्त पूंजीगत अनुदान।
6.	प्लास्टिक क्रेटस/पत्ती एकत्र करने वाली थैलियाँ	प्रत्येक दिन हर 20 कि.ग्रा. हरी पत्तियाँ के हैंडलिंग हेतु एक प्लास्टिक क्रेट अथवा प्रतिदिन प्रति 15 कि.ग्रा. हरी चाय की पत्तियों के हैंडलिंग के लिए नाइलॉन की थैली	प्रत्येक क्रेट के लिए ₹ 210 (अधिकतम सीमा) अथवा प्रत्येक नाइलॉन थैली के लिए एक बार 30 रूपए का भुगतान।
7.	छँटाई मशीन	प्रति 10 हेक्टेयर चाय क्षेत्र/स्व.स.स. के लिए एक छँटाई मशीन तथा प्रत्येक उत्पादक को छँटाई मशीन	प्रत्येक छँटाई मशीन के लिए ₹ 35000 का एक मुश्त पूंजीगत अनुदान।
ख.	गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना का दायरा		
1.	स्वयं सहायता समूहों द्वारा नई फैक्टरियों की स्थापना	50 से अधिक सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूहों तथा उसमें से कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति से हों, के लिए	स्वयं सहायता समूह की कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर, आनुपातिक आधार सहायिकी की दर अर्थात् समूह के हर 50 सदस्यों के लिए 25 लाख रूपए की दर सहायिकी या फैक्टरी स्थापित करने पर होने वाली लागत का 40% इनमें से जो भी न्यूनतम हो।

सारणी 9 : वर्ष 2012-13 के दौरान स्व.स.स. निधि की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ

संवितरण कार्यालय	वित्तीय (₹ करोड़.)
गुवाहाटी	1.38
कूनूर	1.66
मुख्यालय	3.71
कुल	6.75



7. ऋण योजनाओं हेतु आवर्तित निधि

वर्ष के दौरान टी बोर्ड द्वारा दिए गए पुनर्निर्माण पैकज का अच्छा नतीजा निकला और 2012-13 के ₹. 5.42 करोड़ की वसूली से व्यतिक्रमियों/चूक करने वालों की संख्या में कमी आई।

8. बंद चाय बागान :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी प्रकार के चाय बागान के बंद होने की कोई खबर नहीं थी। केवल वे ही चाय बागान बंद थे जो वित्तीय संकट की अवधि में (वर्ष 1999-2008 के बीच) पहले ही बंद कर दिए गए थे-इनमें से दो बागान पश्चिम बंगाल के तथा दो बागान केरल में थे।

बंद चाय सम्पदाओं का वर्ष-वार पुनः खोलने का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

सारणी -10 : बंद चाय संपदा का वर्ष-वार पुनः खोला जाना

वर्ष	पुनः खोले गए बागानों की संख्या
2007-08	11
2008-09	5
2009-10	6
2010-11	9
2011-12	शून्य
कुल	31
अब भी बंद चाय बागानों की संख्या	4



चाय अनुसंधान

चाय अनुसंधान

भारतीय चाय बोर्ड, भारतीय चाय उद्योग का एक विनियामक निकाय है जो अन्य विकासात्मक एवं विनियामक गतिविधियों के अलावा चाय उत्पादन में वृद्धि र गुणवत्ता में सुधार क लिए अनुसंधान क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। टी बोर्ड का अनुसंधान निदेशालय बुनियादी, व्यवहारिक और विनियामक अनुसंधान के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समन्वयन तथा मूल्यांकन के कार्य में संलग्न रहा है, इस तरह बोर्ड विभिन्न चाय अनुसंधान संस्थानों यथा दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (डीटीआर एवं डीसी), कार्सियांग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल चाय अनुसंधान संघ (टीआरए), जोरहाट, असम एण्ड यूनाईटेड प्लान्टर्स एसोसिएशन ऑफ सदरन इंडिया-टी रिसर्च फाउन्डेशन (उपासी-टीआरएफ) द्वारा प्रौद्योगिकीय दस्तावेज एवं उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लक्ष्य पर केन्द्रित होकर चाय उत्पादनकर्ताओं और उद्योग की जरूरतों को मुहैया करा रहा है। कृषि विज्ञान, मृदा और जल प्रबन्धन, पादप सुधार, पादप सुरक्षा, यंत्रीकरण, चाय की गुणवत्ता, उत्पाद विविधीकरण तथा जलवायु परिवर्तन जैसे विस्तृत क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने के लिए एख नई पहल अपनाई गई है। प्रयास अब उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को ऊंचाई पर ले जाना है। चाय अनुसंधान को सूत्रित तथा उसका मूल्यांकन करने हेतु देश के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के गहन रूप से जुड़ने से चाय अनुसंधान संस्थानों के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को अनुसंधान अनुदान दिलाने में मदद मिली है।

मुख्य गतिविधियाँ औद्योगिक चाय अनुसंधान परियोजनाओं तथा चाय उद्योग के लाभ हेतु एकत्रित सूचनाओं के उपयोग पर केन्द्रित है।

अनुदान सहायता

वर्ष 2012-13 में अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए कुल आवंटित निधि 9,99,99,580.00 ₹ थी। अनुसंधान कार्य के तहत, टीआरए को 49% की दर से अनुदान सहायता स्वरूप 4,96,22,972.00 ₹ दिए गए। उसी प्रकार, उपासी को 30,61,423.00 ₹ का अनुदान दिया गया।

सिक्किम विश्वविद्यालय और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय को चाय कृषिकर्म एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को 3.00 लाख प्रति वर्ष की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (डीटीआर एवं डीसी) के पक्ष में, अवसरचलात्मक विकास के उन्नयन तथा आधुनिक उपकरण आदि प्राप्त करने के लिए 1,51,98,645.00 ₹ की धनराशि दी गई।

प्लान योजनाएँ :

11 वीं योजनावधि के दौरान, तीन चाय अनुसंधान संस्थानों (टीआरए-11, उपासी-4, तथा डीटीआर एवं डीसी-2) को सत्रह अनुसंधान परियोजनाएँ दी गई थी। तथा भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान (आईआईटी) खड़गपुर ; सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट ऑफ एड्वान्सड कम्प्यूटिंग (सीडैक), कोलकाता और कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रत्येक को तीन परियोजनाएँ दी गई थी। ये परियोजनाएँ भारतीय चाय उद्योग के संबंधित क्षेत्र की जरूरतों/आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बुनियादी से लेकर व्यवहारिक अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित थी। निर्यात संवर्धन में सुधार एवं व्यापारिक विनियमन हेतु, चाय अनुसंधान के विनियामक पहलुओं को भी शामिल किया गया था।

उपासी-टीआरएफ में ग्यारहवीं योजना अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

उपासी-टीआरएफ, कूचुर में हाई-टेक चाय करखाने का निर्माण

जहाँ तक चाय के रंग, सुगन्ध, लिकर और निषेचन का सम्बन्ध है, उसमें बेहतर गुणवत्ता युक्त काली चाय बनाने की प्रक्रिया में खमीरीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरण है। खमीरीकरण के दौरान, पत्तियों में जैवरासायनिक अभिक्रिया के कारण घासीय गंध, फूलीय सुगंध में परिवर्तित हो जाता है। खमीरीकरण के लिए अनुकूलतम समय का पता लगाना चाय विनिमाता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। काली चाय की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, अनुकूलतम खमीरीकरण के समय (जो इ-नोज द्वारा अरोमा सूचकांक पर आधारित है), खमीरीकरण प्रक्रिया को बन्द करना पड़ता है। अतः ई-नोज का प्रयोग कर अनुकूलतम खमीरीकरण समय (ओ एफ टी) का अध्ययन



किया गया। काली चाय के निर्माण के दौरान एन्जाइम की गतिविधियों और उनके सबस्ट्रेट्स में बदलावों का भी निर्धारण किया गया।

गौर-रसायनिक नियंत्रण पद्धतियों के विशेष संदर्भ सहित चाय हेतु एकीकृत कीट का विकास व रोग प्रबंधन (आइपीडीएम) नीति

प्रमुख चाय तना की बीमारियों में काष्ठ सड़न और शाखा घुन शामिल है। आणविक उपकरणों (5.8 एस राईबोसोमल आरएनए जीन) का उपयोग करके काष्ठ सड़न एवं शाखा घुन के देशज कारणी जीवों को एकत्रित किया गया और उनकी क्रमशः हाइपोजाइलन सरपेन्स और मैक्रोफोमा स्प. के रूप में पहचान की गई। इन आणविक कडियों को एनसीबीआई के समक्ष रखा गया तथा उन्हें इएमबीएल द्वारा प्रकाशित किया गया। लीफ ब्लाइट (पेस्टालोटियोप्सीस थियै) हाइपोजाइलन सरपेन्स और मैक्रोफोमा स्प. के चाय पैथोजीन्स के जैव-नियंत्रण पर अध्ययन किए गये। स्यूडोमोनस स्प. और ट्राइकोडरमा स्प. के पाँच आइसोलेट्स ने बैसिलस स्प. की तुलना में धुसर ब्लाइट पैथोजीन्स के विरुद्ध उच्च प्रतिरोध दिखाया। पाँच बेसिलस स्टन्स ने काष्ठ सड़न पैथोजीन्स के विरुद्ध उच्च विरोध दिखाया। इन विट्रो स्थिति में तीन बैसिलस स्प. और स्यूडोमोनस स्प. का शाखा घुन पैथोजीन्स के विरुद्ध उच्च विरोध देखा गया। सिद्ध ट्राइकोडरमा स्प. आइसोलेट्स का अध्ययन रासायनिक कीटनाशकों के साथ उनकी उपयुक्तता और सहनशीलता के लिए किया गया। डिक्कोफोल 18.5 ईसी और क्यूबायोगीस 25 ईसी को छोड़कर, प्रोपारगार्ड 57 ईसी, फेनपाईरोक्सीमेट 5 ईसी, हेक्सीथियाजाँक्स 5.45 ईसी, डेल्टामेथरीन 2.8 ईसी, थियामेथोजैम 25 डब्ल्यूजी के साथ अनुकूल पाया गया, लेकिन चाय में किसी संस्तुत फंगिसाइड से नहीं। चाय में संस्तुत खुराक में रासायनिक खादों का प्रयोग ट्राइकोडरमा और जीवाणुक जैव नियंत्रक कारक, दोनों के वृद्धि में बहुत ही सहायक रहा। इन विट्रो स्थितियों में, तीन पैथोजीन्स के समक्ष कुछ खास जलीय-पौध उद्घरण (नीम करनल, पोंगम करनल, सिन्नामम, एवं आरटीमिसिया) की जैव प्रभाविकता का भी मूल्यांकन किया गया। जिसका परिणाम यह निकला कि आरटीमिसिया के बाद एच. आरगुटस और नीम करनल उद्घरण ने बहुत ही प्रभावी ढंग से काष्ठ सड़न पैथोजेन को नियंत्रित किया। उपयुक्त वाहक सामग्रियों सहित ठोस एवं द्रव्य बायोफॉर्मूलेशन्स को तैयार करने के लिए जैवनियंत्रण कारकों के विपुल उत्पादन तकनीकों को मानकीकृत कर दिया गया है। इन विट्रो स्थिति में, बेनोमाइल 50% डब्लूपी नामक एक नियमित फंगीसाइड, का 0.02, 0.05, 0.10, 0.50 और 1.0% की मात्रा में यह जाँच करने के लिए परीक्षण किया गया कि क्या वह पैथोजीन्स से प्रभावी रूप से लड़ सकता है अथवा

नहीं? और 0.5% की मात्रा वाली खुराक में वह प्रभावी पाया गया। बैसिलस, स्यूडोमोनस और ट्राइकोडरमा जैव सूत्रीकरण के संगठन को टेलकम पाउडर के इस्तेमाल से तैयार किया गया। जीव के अंतिम संकेन्द्रण को कीटाणु के लिए 10^8 cfu/g तथा ट्राइकोडरमा के लिए 10^7 cfu/g के रूप में तैयार किया गया। परीक्षणों से पता चला कि संतोषजनक ग्रे ब्लाइट नियंत्रण हेतु जब स्यूडोमोनस स्प. और ट्राइकोडरमा स्प. को कारबेनडाजीम के साथ मिलया गया तब उनकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ गई। 0.5% पर रासायनिक फंगीसाइड (बेनोमील 50% डब्लूपी अथवा कॉपर आक्सीक्लोराइड) सहित बैसिलस स्प. (डब्लूआर 46-2 और एचबीसीडब्लूआर-3) काष्ठ सड़न और शाखा घुन पैथोजीन्स के खिलाफ काफी प्रभावी था।

ग्रीन लेस विंग, माल्लाडा बोनीनसीस, चाय में रेड स्पाइडर माइट्स (दीमक) सहित विभिन्न मुलायम सन्धिपाद जीवों/कीटों का एक महत्वपूर्ण शिकारी है। एक कृत्रिम आहार का प्रयोग कर, इस शिकारी का बड़ी तादाद में पालन करने की प्रोद्योगिकी को विकसित करने के प्रयास किये गए हैं।

जैसा कि रासायनिक कीटनाशकों के बदले कीटाणु और कवक के प्रयोग को आमतौर पर कीट नियंत्रण के लिए एक अच्छा और कारगर विकल्प माना जाता है इसलिए एनटोमोपैथोजेनिक बैक्ट्रीयम, स्यूडोमोनस फ्लुरेसेन्स एवं फंगस लिक्वैनीसिलियम लिक्वैनी को रोगग्रस्त दीमकों एवं थ्रीप्स से क्रमशः अलग किया गया तथा उनकी अपने कीटों के खिलाफ उनकी प्रभाविकता को प्रयोगशाला एवं फील्ड में परखा गया।

चाय में ट्रांसक्रिप्टोमिक प्रक्रिया द्वारा फाइटोपैथोजेनिक दबाव के दौरान जीन प्रकटीकरण का विश्लेषण

बिलस्टर ब्लाइट (एक्सोबासिडियम वेक्सांस) और ग्रे ब्लाइट (पेस्टालोटियोप्सीस थियै) रोगों से सम्बंधित जीन कडियों को एनसीबीआई डाटाबेस 542 इएसटी, 4 पारशियल सीडीएस तथा 2 फुल लेन्थ कडियों को सौंप दिया गया है।

रीएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसिस (आरओएस) सामान्य कौशिका उफापचय के उपोत्पाद होते हैं जिन्हें पौधों में एन्टी) ऑक्सीडेन्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। हालांकि, दबाव की स्थिति में, उत्पादन और आर ओ एस के समापन के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। इस शोध/अध्ययन से चाय में ग्रे ब्लाइट और बिलस्टर ब्लाइट बीमारी के विकास में एन्टीऑक्सीडेटिव एन्जाइम्स की भूमिका के बारे में मौलिक जानकारी मिली। पौधों में कवक या जीवाणुओं से होने वाले संक्रमण के कारण अनेक प्रकार के “पैथोजीनेसिस-सम्बन्धी (पीआर)” प्रोटीन्स एकत्रित हो जाते हैं। ग्रे ब्लाइट और बिलस्टर ब्लाइट रोग



विकास के दौरान प्रतिरोधी एवं संदिग्ध पौधों में पीआर प्रोटीन्स की उफस्थिति के बारे में मूल जानकारीयाँ एकत्रित की गईं। पीआर प्रोटीन्स विशुद्ध किए गए और कीट तथा रोग संक्रमण रोकने के लिए अध्ययन हेतु आग प्रयोग किए गए।

प्लान्ट स्ट्रेस टॉलरेन्स (मेटालोथियोनीन) में अभिव्यक्त जीन्स की क्लोनिंग और विशेषीकरण, फसल की अजैविक स्ट्रेस टॉलरेन्स को बेहतर करने से संबंधित आणविक मेकानिज्म को समझने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इस जीन की सम्पूर्ण कड़ी में बायोइन्फारमेटिक्स टूल्स का प्रयोग किया गया था। इस जीन का प्रयोग स्ट्रेस टॉलरेन्स युक्त पौधों के लिए भावी जनन कार्यक्रम में किया जा सकता है।

माइक्रोएरे द्वारा अलग-अलग जीन एक्सप्रेसन अध्ययन से ब्लिस्टर संक्रमण के दौरान 129 जीन्स का तथा ग्रे ब्लाइट संक्रमण से 182 जीन्स एक्सप्रेसन का पता चला। ये जीन्स रक्षात्मक प्रक्रिया सम्बन्धी जीन्स थे जो एसए-6 और उपासी-10 में सम्बंधित रोगों में प्रतिरोधी चाय क्लोन मुहैया करने या कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण रक्षा संबंधी जीन्स में से एक जीन, ग्रे ब्लाइट इन्फेस्टेशन ATIG68720.1 एलआरआर और एनबी-एआरसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था जिसमें रोग प्रतिरोधक प्रोटीन ATIGI2280.1 था। 546 सामान्य जीन्स ऐसे हैं जो ग्रे ब्लाइट रेसिस्टेंट क्लोन उपासी -10 में मेटाबोलिक पाथवेज, ग्लूटेथियन मेटाबोलिज्म, प्रोटीन मेटाबोलिज्म, बायोसिन्थेसिस ऑफ अल्कालोएड्स, टर्पेनोएड्स यूबिक्विटाइन और अन्यपाथवेज में कार्यरत हैं। ब्लिस्टर ब्लाइट रेसिस्टेंट क्लोन SA-6 में 511 सामान्य जीन्स इनकोडेड किये गये। वर्तमान अध्ययन पैथेजीन और पौधे के बीच आणविक एवं जैवरासायनिक अंतः क्रियाओं के बारे में मूल जानकारी उजागर की है। यह भावी शोधकर्ताओं के लिए एक आधारभूत सूचना/जानकारी के रूप में सहायक होगा।

चाय में भारी धातुओं व कुछ कीटनाशी अवशेषों पर अध्ययन

काली चाय में Cr^{6+} तथा Ni^{2+} स्पीशिज के परिमाण तथा अबामेक्टीन, बीफेनाजेट, डाइमथोएट, थियाक्लोप्रोड, थियामेथोजैम, क्लोथियानीडीन, कारबेनडाजीम, स्पाईरोमेसीफेन, मानकोजेब एवं ऑक्सीफ्लुरफेन के अवशेषों के तरीकों को विकसित और मान्यता प्रदान की गई थी। इन आकड़ों/सूचना को एमआरएल की स्थापना हेतु सीआईबी को पेश किया जाएगा।

मृदा किण्वक/किण्वकीय गतिविधियों या क्रियाओं के मूल्यांकन का बड़ा महत्व है क्योंकि उक्त क्रियाएँ मिट्टी में मूल माइक्रोफ्लोरा के साथ भली-भाँति सह-संबंध स्थापित कर लेता है। मिट्टी में प्रोटीज, यूरीयाज नाइट्रेट

रिडाक्टेज और एसीड फॉस्फटेज एन्जाइम्स की क्रिया पर लीड कैडमियम और आर्सेनिक के प्रभाव का अध्ययन पूरा कर लिया गया है। अतिसूक्ष्म जैव सूचककों के सेट पर व्यापक अध्ययन और मिट्टी में भारी धातु के साथ उनका सम्बन्ध मिट्टी की गुणवत्ता तथा कार्बनिक पोषक चक्र में होने वाले बदलावों को स्पष्ट करने में-जो पौधे के वृद्धि और विकास के लिए अतिआवश्यक महत्वपूर्ण माप-दण्ड सहायक रहा है।

टीआरए, टोकलाइ, असम में ग्यारबवीं योजना अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

मिट्टी की उत्पादकता की निरंतरता-कुछ रणनीतियाँ

जैव खाद पाइप-आधारित पोषक तत्वों का उत्कृष्ट स्रोत है और मिट्टी में उन्हें मिलाने से, मिट्टी में बड़ी संख्या में अतिसुक्ष्म कीटाणुओं की आबादी को बरकरार रखा जा सकता है। बेहतर किस्म के जैव खाद (वर्मिकॉम्पोस्ट) को तैयार करने के प्रौद्योगिकी को टोकलाई (असम) में विकसित किया गया तथा उसे अनेक चाय संपदाओं को हस्तांतरित किया गया। इस दिशा में कुछ सिफारिशों दी गईं जिनमें से एक रोपण के समय प्रति पिट 250-300 ग्राम की दर से वर्मिकॉम्पोस्ट का प्रयोग शामिल है जो प्रति पिट 4 किलोग्राम की दर से पारम्परिक पशु खाद की तुलना में कहीं अधिक उफयुक्त पाया गया। फास्फेट से समृद्ध वर्मिकॉम्पोस्ट का 250-300 ग्राम प्रति पिट की दर से प्रयोग एक अच्छे विकल्प के रूप में तथा पारम्परिक पशु खाद +30 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट (SSP)+30 ग्राम रॉक फास्फेट की अपेक्षा सस्ती प्रौद्योगिकी पाई गयी। नए चाय के पौधों की वृद्धि एवं उत्पादकता को बढ़ाने में वर्मिवाश (5-10%) का फोलियर प्रयोग प्रभावि रहा है। चूंकि, वर्मिवाश को सहज ही उत्पादित किया जा सकता है और यह पर्यावरण-हितैषी भी है, इसलिए चाय में फोलियर प्रयोग के लिए यह उत्कृष्ट तरल जैव खाद के रूप में उभर सकता है।

रासायनिक खादों के एक सतत विकल्प के रूप में, अजैविक खाद की अनुशंसित 25% मात्रा के स्थान पर 4 से 6 टन/हेक्टेयर वर्मिकॉम्पोस्ट को इस्तेमाल में लाया जा सकता है और चाय की पैदावार को बिना नुकसान पहुँचाए इसका काफी आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व होगा।

क्षेत्रीय केन्द्रों एवं टोकलाई में गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाओं की ऋखला की स्थापना तथा वर्तमान विश्लेषणात्मक क्षमताओं का सशक्तिकरण।

असम (ऊपरी असम, दक्षिण बैंक, उत्तर बैंक, और बराक घाटी), तथा पश्चिम बंगाल (डुवार्स, तराई और दार्जिलिंग) के विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने



वाली काली चाय की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया। बराक घाटी को छोड़कर, असम के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली सीटीसी काली चाय का कुल घुलनशील ठोस, थीयाफ्लोविन (TF) और थीयारूबिजिन (TR) मात्राओं को जाँचा गया तथा उनके परिणाम यह दर्शाते हैं कि इसे चार उत्पादक क्षेत्रों में उसी तरह का गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन हुआ। जहाँ तक दार्जिलिंग चाय की बात है, वह अन्य क्षेत्रों से उत्पन्न ऑर्थोडाक्स चाय से कैटेचीन, थीयाफ्लेविन्स, और थीयारूबीगीन्स के मामले में भिन्न थे। इस अध्ययन से चाय की क्षेत्र-विशिष्ट विशेषताओं की पहचान करने में मदद मिली जिसे चाय के जैव रासायनिक फिंगरप्रिंट्स का मापदण्ड माना जा सकता है।

चाय से द्वितीयक श्रेणी के खाद्य ग्रेड मेटाबोलाइट्स के संग्रह हेतु प्रणालियों का विकास एवं वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु इस प्रणाली का उन्नयन

ग्रीन एण्ड ब्लैक टी सॉफ्ट ड्रिंक और टी टेबलेट्स सूत्रण की शुरुआत की गई जिनमें स्वस्थ जीवन के लिए चाय आहारिय अनुपूरक के रूप में प्रयोग किए जाने की संभावना थी। हरी घुलनशील चाय तथा घुलनशील काली चाय को भी विकसित किया गया है। इन्स्टैन्ट टी में अच्छी लिकर की विशेषताएं मौजूद हैं। उत्पन्न चाय के दाने गुणवत्ता एवं लिकरिंग विशेषताओं में सीटीसी चाय के समतुल्य है। इस अध्ययन का काफी आर्थिक महत्व है और इसे बड़ी आसानी से मूल्य संवर्धित उत्पाद के रूप में बदला जा सकता है।

चाय की टहनियों के प्रसंस्करण के दौरान स्ट्रेस संबंधी जैव रासायनिक परिवर्तनों का आण्विक आधार तथा तैयार चाय की गुणवत्ता से उनका सम्बन्ध

काली चाय बनाने के दौरान पत्तियों को जिन चरणों से गुजरना पड़ता है उससे पत्ती की कोशिकाएँ सहज ही अलग हो जाती हैं ताकि चाय बनाते समय निर्मित चाय का ठोस हिस्सा घुल जाए। तैयार चाय की गुणवत्ता कई अवस्थाओं पर निर्भर करती है जैसे, नमी में कमी, पत्ती का तापमान और खमीरीकरण। नमी की कमी तथा विदरिंग के दौरान पत्ती के तापमान को नियंत्रित करने, सीटीसी के दौरान मैसीरेशन की सीमा, अधिकतम खमीरीकरण के समय तथा तापमान (चाय की गुणवत्ता सुधारने के लिए) पर अध्ययन या शोध किए गए। खमीरीकरण के दौरान अधिकतम तापमान चाय के अनुकूल पाया गया। T₃ E/3, S₃ A/3 जैसे असम की चायों के लिए खमीरीकरण के दौरान जहाँ अधिकतम तापमान 25⁰-26⁰ C था, जबकि कम्बोड चरित्र वाले TV-23, TV-26, TV-9 चायों के लिए यह तापमान 30⁰ C था।

ऐसी चाय जिनमें असम कैरेक्टर ज्यादा थी, जैसे T₃ E/3, S₃ A/3 बेहतर गुणवत्ता वाली चाय पैदा हुई जिनमें नमी का प्रतिशत 70% से थोड़ा अधिक थी जबकि TV-23, TV-26 और TV-9 जैसे पौधे विदार्ड पत्ती में लगभग 69% नमी में बेहतर किस्म की चाय पैदा करते हैं विदरिंग के दौरान वेक्यूम के प्रयोग से थीयाफ्लेविन और वोलाडाइल सुगंध घटकों के मामले में चाय की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

भारत के उत्तर बंगाल के चाय रोपण में टी मासक्विटों बग और ब्लिस्टर ब्लार्ड बिभारी के रोक-थाम के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का विकास

ब्लिस्टर ब्लार्ड और कुछ कीट जैसे टी मासक्विटो बग की घटना को बढ़ाता देने से कृषि पर्यावरण, चाय की खेती के लिए घातक हो सकता है। इस समस्या के कारण कभी-कभी चाय का आर्थिक नुकसान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चाय पर बिमारियों एवं कीटों का दबाव, नियंत्रण रणनीति व जलवायुवी सम्बन्धी अवस्था पर भी निर्भर करता है। इस अध्ययन में, एकीकृत कीट प्रबन्धन (आईपीएम) के लिए आवश्यक जैवकीटनाशकों का प्रयोग किया गया था। टी मासक्विटो बग और ब्लिस्टर ब्लार्ड नियंत्रित करने में कुछ जड़ी-बूटियों (कैसिया अलाटा, एम्फोन्यूरोन ओपुलेनटम, लियोनुरस सीबीरीकस, पोलानिसिया आईकोसांड्रा, पॉलिगोनम विविपारम, पॉलिगोनम हैमिल्टोनी, इपोमोईआ कॉनवोल्वुला, पॉलिगोनम चार्डीनीज, पॉलिगोनम होइड्रोपाइपर, हेलिनथस स्पीशीज, यूपाटोरियम कान्नाबीनम, यरटिका डायोका) की औषधियाँ कारगर पायी गई। प्राकृतिक प्रीडेटर इन्सेक्टस युक्त एकीकृत कीट प्रबंधक (IPM) का प्रयोग कीट को रोकने में किया गया था। टी मासक्विटो बग के प्राकृतिक शत्रुओं, जैसे माल्लाडा, क्राइसोपरला, ऑक्सीओप्स स्पे., टी मासक्विटो बग की रोकथाम में आई पी एम के एक घटक के रूप में काफी सक्षम पाए गए। विशिष्ट आहार पर आधारित बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तकनीक को भी विकसित किया गया है। जैविक, यान्त्रिक एवं रासायनिक उफकरणों की सहायता से कीटों को रोकने के लिए आई पी एम पैकेजों को कुछ इस तरह से सुत्रित किया गया है जिससे टी मासक्विटो बग और ब्लिस्टर ब्लार्ड को नियंत्रित करने में आर्थिक एवं स्वास्थ्य जोखिम कम हो।

कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

कीटनाशी विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना हो गयी थी। इसने विभिन्न चायों के नमूनों में कीटनाशी के बहु विश्लेषण हेतु मौके प्रदान किए ताकि विनियामक संगठनों के प्राधिकृत विनिर्देशनों के साथ सम्पर्क सुनिश्चित किया जा सके। असम के व्यवसायिक बागानों से संग्रीहत नमूनों का परीक्षण निकोटिन



के लिए किया गया जिसने ईयू में चाय में एमआरएल के निर्धारण हेतु आकड़े विकसित करने में मदद दिया। पर्यवेक्षित भूमि ट्रायलों से नये अणुओं पर आंकड़ों (फेनपाइरोक्सीमेट), थियाक्लोप्रोड, फ्लुबेनडियामाइड) का उत्पादन एमआरएल के निर्धारण हेतु किया गया। 2013 में यूके, एफएपीएस द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय दक्षता परीक्षण में इस प्रयोगशाला ने सफलतापूर्वक भाग लिया ताकि प्रयोगशाला की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच के मौके को समृद्ध किया जा सके।

द्वितीय चरण-भारी धातुओं पर अध्ययन

हाल के दशकों में तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण चाय में भारी धातुओं का बोझ बढ़ा है। इस अनुसंधान प्रोजेक्ट में, चाय में भारी धातु जैसे केडमियम (Cd) और आर्सेनिक (As) कणों की जाँच की गई। इससे प्राप्त परिणाम एफएसएसएआई विनियमों के अन्तर्गत चाय में अनुमेय सीमा तय करने का एक आधार प्रदान करेगा। चाय में भारी धातु दूषण के मुख्य कारण का पता लगाने के लिए, चाय बागानों में प्रयुक्त विभिन्न कृषि-सामग्रियों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से पता चला कि बागानों में प्रयुक्त जल में मौजूद 82% तक आर्सेनिक नॉन-टॉक्सिक पेन्टावैलेन्ट रूप में थे। क्रोमियम और आर्सेनिक, जैव खाद तथा उर्वरक नमूनों में पाए गए। सीवेज स्लॉज आधारित कार्बनिक खादों के कारण चाय में भारी धातु के कण पाए गए। चाय निर्माण प्रक्रिया के कारण भी चाय में भारी धातु कणों में इजाफा हुआ है।

स्टेबल गुणवत्ता जिनोटाइप्स के विकास हेतु बाँयोटिक एवं एबाँयोटिक स्ट्रेस विश्लेषण

मच्छर कीट अर्थात् हेलोपेलटीस थेईवोरा के परीक्षण की घटना असम चाय रोपण में भरपूर पाया जाता है जो असम में चाय उत्पादन में वृहद हानि का कारक है। महत्वपूर्ण चाय क्लोनो एवं इस कीट के मध्य तालमेल बैठाने के लिए जीनों में बदलावों का विवरण प्रस्तुत करने की कोशिश यह अध्ययन करता है। हेलोपेलटीस बीमारी से ग्रस्त चाय पत्तियों की प्रतिलेख रूपरेखा और प्रतिलेख पहचान ने संरचनात्मक विशेषताओं, मेटाबलाइट्स और सांकेतिक मार्गों की जाँच करने में एक शक्तिशाली उपकरण मुहैया कराया जो प्रभावी दंग से हेलोपेलटीस के आक्रमण को सीमित कर सकता है। इस सूचना का लाभ आने वाले समय में, चाय में कीट प्रबन्धन की वृहत्तर जानकारी, हर्विवोरी में निहित आणविक अन्तःक्रिया तथा प्रभावी रणनीतियों को समझने में मिलेगा।

इनके अलावा, देश के पूर्वी क्षेत्र में कुछ विशेष चाय उत्पादक पट्टियों में कुछ विशेष अजैविक स्ट्रेस पाये जाते हैं। पारम्परिक प्रजनन को तीव्र करने के लिए मार्कर सहायित चयन द्वारा भविष्य में पेरेन्टल कम्बिनेशन के रूप में उपयोग हेतु जर्मप्लाज्म की पहचान की गई। परियोजना से विकसित सूचना एवं आणविक उफकरणों का इस्तेमाल कर, जैविक और अजैविक दोनों स्ट्रेस के लिए प्रजनन को तीव्र किया जा सकता है।

उत्तर बंगाल क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, चाय अनुसंधान संघ, नागरकाटा

उत्तर बंगाल के चाय में वर्तमान कीट समस्या तथा उनका संभावित प्रबन्धन अध्ययन

उत्तर बंगाल के प्रमुख चाय उत्पादक पर्यावरण-क्षेत्र में चाय डिफोलियेटर लुपर कैटरपीलर जीयोमेटरीड मॉथ्स (लेपीडोपटेरा) के व्यापक हमले के कारण भारत में चाय उद्योग को चाय उत्पादन में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक नया वणिज्यिक हल्का जाल आजमाया गया और जो इससे पूर्व सुझाए गए उपाय से अधिक कारगर साबित हुआ।

इमामेक्टिन बेनजोएट, फ्लुबेडियामाइड आदि जैसे सिन्थेटिक पाइरथ्रॉयड से अलग, कीटनाशकों के एक नए सेट को आजमाया गया है और वे प्रयोगशाला तथा जमीनी अवस्था के अन्तर्गत कारगर पाए गए। इस परियोजना में सूजित सूचनाओं के आधर पर, चाय के इस आतंकी कीट को फैलने से रोकने के लिए एक आइपीएम पैकेज को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है जिममें कीड़ों को पकड़ना, क्राइसेलिडस का संग्रहण, नई पीढ़ी के कीटनाशकों के साथ इल्लियों (caterpillar) को मारना शामिल है।

कम लागत में सिंचाई करने की दृष्टि से मृदा की विशेषताएँ, फिजियोलॉजी एवं उपज पर डुअर्स और तराई के चाय क्षेत्रों में सूखे का अध्ययन

आंकड़ों के मुताबिक डुअर्स क्षेत्र में अक्टूबर से मार्च के बीच वर्षा में काफी अन्तर देखा गया। यह 1983-84, 1994-95, 1998-99, 2008-09 के वर्षों के दौरान बहुत ही कम (लगभग 200 मि.मी) रहा। अतः जल संसाधनों की क्षमता को बनाये रखने तथा कम वर्षा के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, इस क्षेत्र में सिंचाई एक जरूरी विकल्प बन चुकी थी। अक्टूबर 2010 से मार्च 2011 की अवधि में विश्लेषित मौसम विभागीय जानकारी के मुताबिक वर्षा में काफी गिरावट दर्ज की गई है। सिंचाई से फसल को कितना लाभ मिलेगा, इसका अध्ययन करने के उद्देश्य से विभिन्न सिंचाई उपचारों के अन्तर्गत पौधों के संरचनात्मक मपदण्डों की जाँच की गई थी। जहाँ तक अन-पुण्ड और डिप स्कीफ दोनों वर्ष में नियंत्रण का प्रश्न है, वहाँ जल प्रयोग की क्षमता 30 दिनों के अन्तराल पर



50 मि.मी. सिंचाई में बढ़ी नतीजों से यही पता चला कि मिट्टी की नमी, रंध्रीय वहन क्षमता, वाष्पोत्सर्जन तथा चाय की पैदावार महत्वपूर्ण रूप से एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

सीटीसी तथा हरी चाय उत्पादन में चाय प्रसंस्करण के जैवरासायनिक पहलुओं का अध्ययन

हरी चायों को प्रतिकृति में कल्टीवेटर से वाष्प तथा पैनिंग विधि द्वारा अन्य चाय की किस्में (AV2, BI57, T383, CP1, T78, P1258, B668, ROH1, P312, Teenali17, K1/1, B777, R17/144, G.O. China, TValley1, ROH2, ROH3) से प्रसंस्कृत किया गया तथा इन चायों के जैवरासायनिक मापदण्डों का विश्लेषण किया गया। जाँट में यह पाया गया कि पॉलीफेनोल की मात्राएँ सभी चाय की किस्मों के लिए निर्धारित वाष्प समय-6 मिनट में सबसे अधिक हैं। यह तथ्य हरी चाय के निर्माण के दौरान वाष्प के समय के महत्व की ओर इशारा करता है। पैन फ्राइड चाय को जब 5-7 मिनट तक 300°C तक तापमान पर रखा गया तो उससे जो हरीचाय बनी, उशकी गुणवत्ता, स्टीमिंग पद्धति से बनी चाय की गुणवत्ता से कहीं बेहतर थी।

सीटीसी चाय की गुणवत्ता के सुधार पर भी अध्ययन किए गए। अध्ययन से पता चला कि चाय की गुणवत्ता बनाए रखने के लड़े रोटरवेन में फीडिंग सीटीसी की क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। चाय की सबसे अच्छी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए, सीटीसी के प्रसंस्करण के दौरान, पत्ती का तापमान किसी भी समय 35°C से अधिक नहीं होना चाहिए। समय पर सीटीसी को तीव्र करने के साथ साथ तापमान एवं विदरिंग की अवधि चाय के रंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डॉ.बी.सी.गुहा सेन्टर फॉर जैनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी (जीसीजीईबी), कलकत्ता विश्वविद्यालय

चाय उत्पादों के स्वास्थ्यकरी प्रभावों का मूल्यांकन तथा उच्च क्षमता युक्त चाय टैबलेट के सूत्रण के लिए एम्फीसीमेटस फेफड़े की क्षति के रोग पर चाय के फ्लेवोनॉयडस की मोड्युलेटरी भूमिका

वर्षों से चाय एक स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ के रूप में पिया जाता है तथा यह एक प्रभावी एन्टीऑक्सीडेंट और एन्टी-इनफ्लेमेटरी पदार्थ है क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉयडस के अणु पाये जाते हैं। चाय पीने तथा स्वास्थ्य के प्रति रजग लोगों के लिए चा की गोली या चाय टैबलेट एक विकल्प के रूप में समझा जाता है।

इस अध्ययन ने पशु मॉडल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पर काली चाय की टैबलेटस की रक्षात्मक भूमिक की और आकर्षित कराया। काली चाय की गोलियों ने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आंशिक रूप से रोका जो धूम्रपान एवं बढ़ती उम से जुड़ी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के कारण होता है। चाय की

गोलियों के असर को बढ़ाने के लिए चाय एन्टीऑक्सीडेंट्स के जैव प्रभाविकता एवं जैव उपलब्धता पर आधारित चाय की गोलियों के नए सेट को सूत्रित किया गया। इस नए सूत्र की मदद से रक्त एवं शरीर के विभिन्न अंगों में काली चाय पॉलीफेनोल्स की जैवउपलब्धता सूचकांक निधारित किया गया है।

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

चाय के विदरिंग, आद्रीकरण, रोलिंग खमीरीकरण एवं ड्राईंग में प्रसंस्करण मानदण्डों का मानकीकरण

चाय उद्योग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, चाय के प्रभावी प्रसंस्करण एवं उत्पादन के लिए पहले से अधिक कुशल मशीन का डिजाइन और विकास कर लिया गया है। 200 कि ग्राम क्षमता वाले वृताकार विदरिंग नॉद (trough) बना लिया गया है। 200 कि ग्राम क्षमता कि ग्राम क्षमता वाली एक सिंगल कर हॉरीजेंटल टी मेसीरेशन यूनिट की डिजाइन-जिसे उच्च क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है, तैयार की गई है। 20-25 कि. ग्राम प्रति हेक्टेयर की क्षमता वाली समतल पट्टी वाली चाय की रोलिंग मशीन की प्रतिकृति भी डिजाइन की गई थी। तैयार चाय में उच्च स्तरीय सुगंध लाने के लिए ईसीपी ड्रायर और वैक्यूम ड्राईंग के लिए गर्म वाष्प-पूर्ण सर्कुलेशन बनाया गया है।

कम लागत में बेहतर कार्यकुशलता सहित सभी वांछित विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही इन मशीनों को डिजाइन किया गया है तथा ये मशीनें पुरानी मशीनों के मुकाबले काफी कारगर सिद्ध होंगी।

डीटीआरडीसी, टी बोर्ड, कर्सीयांग, पश्चिम बंगाल और यूबीकेवी, पुण्डीबारी, कुचबिहार, पश्चिम बंगाल

उत्तर बंगाल के अम्लीय मृदा में चाय (केमेलिया सिनेसिस एल.) के लिए फॉस्फेट घुलनशील जैव उर्वरक का विकास

फॉस्फोरम एक प्रमुख पादप पोषकत्व है तथा पौधे कि समुचित वृद्धि के लिए इसका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। बिना पर्याप्त फॉस्फोरस के चाय का उत्पादन अधिकतम आर्थिक स्तर तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उर्जा के रूपान्तरण में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा जड़ एवं पत्तियों के विकास को गति प्रदान करता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग के लिए पौधों को मृदा में घुलनशील फॉस्फेट उफलब्ध करने में फॉस्फेट घुलनशील अतिसूक्ष्म जीवाणुओं की अहम भूमिका है। अनेक अतिसूक्ष्म जीवाणु फॉस्फेट की घुलनशीलता को बढ़ा सकते हैं, परन्तु विशेष रूप से दार्जिलिंग ओर डुअर्स में, उनके द्वारा फॉस्फोरस को भी घुलाने की क्षमता के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। फॉस्फेट को घुलाने वाले स्थानीय कीटाणुओं को अलग किया गया तथा उन्हें विभिन्न चाय बागानों से परिशोधित किया गया। दार्जिलिंग की चाय भूमि (राइजोस्फेर) में



मौजूद बैसीलस तथा बरखोलडेरिया की प्रभावी कीटाणुओं के वंश के रूप में पहचान की गई है। दार्जिलिंग चाय बागानों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, मिट्टी में प्रयोग के उद्देश्य से तैयार व्यवहार्य अवस्था में लाभकारी सूक्ष्मजीवों वाले फॉस्फेट को घुलाने में सक्षम बैक्टिरियल बायोफर्टिलाइजर फार्मुलेशन तैयार किया गया है। आइसोलेट्स के प्रकारों के आधार पर अनुकूलन परीक्षण तथा संरोपण प्रयोग के आधार पर बैसिलस और बरखोलडेरिया स्पीशिस के साथ दो संघों को विकसित किया गया।

पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में चाय की अम्लीय मृदा (केमेलिया सिनेसिस एल.) में जैव पदार्थ का नाइट्रोजन खनिजीकरण

नए जैव नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का विकास जो अम्लीय मिट्टी को खनिजीकृत करने में मदद करे, चाय के पौधे के बेहतर विकास के लिए जरूरी है। दार्जिलिंग चाय रोपण संपदा में पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सूक्ष्मपोषक तत्वों) एवं भारी धातुओं को ध्यान में रखकर, कार्बनिक पदार्थों के गुणवत्ता मापदण्डों के लिए एक डाटा बेस तैयार किया गया है। दार्जिलिंग चाय उद्योग द्वारा प्रयोग हेतु तरल जैव उर्वरक के रूप में मत्स्य आहार एवं करंजा केक में तरल कार्बनिक उर्वरक की संभावना थी लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मत्स्य तथा करंजा केक को 7-14 दिनों तक खमीरीकरण में रखना होगा।

चाय की अम्लीय मृदा में पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम) कार्बन एवं नाइट्रोजन खनिजीकरण पैटर्न को देखते हुए दार्जिलिंग चाय के लिए दो जैव उर्वरक सूत्रण का विकास किया गया है। प्रथम सूत्र में है मत्स्य आहार तथा 3.60%N, 1.25% P205 और 1.88% K20, द्वितीय सूत्रण-2 में है-मत्स्य आहार तथा 3.98%N, 1.46% P205 और 1.89% K20

भारतीय चाय के परिमेय भौतिक मानकों कॉर्पस सृजन (सी-डैक परियोजना)

देश में ही विकसित ऑलफैक्शन (गंध) एवं विजन (दृष्टि) प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारतीय चाय के औसत दर्जे के भौतिक मापदण्डों (सुगंध, रंग, बनावट, स्वाद आदि) के लिए वेब सक्षम टी या चाय कॉर्पस डेटाबेस तैयार कर लिया गया है।

इस परियोजना में विकसित किए गए इलेक्ट्रॉनिक नाक का प्रयोग काली चाय उत्पादन के दौरान खमीरीकरण के अधिक समय की जाँच करने तथा तैयार चाय में सुगंध की तीव्रता का परिमाण निर्धारित करने में किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विजन का प्रयोग रंग, दूध या बिना दूध मिलाये चाय के लिफ्ट की ध्वलता पर आधारित चाय की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में किया जा सकता है। इसका प्रयोग विभिन्न चाय ग्रेडस में मौजूद अलग अलग दाने का मूल्यांकन तथा अत्यधिक चाय में अलग-अलग चाय के कणों की मौजूदगी का आकलन करने में किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक टंग का

प्रयोग तैयार चाय के स्वाद (कषाय, तेजपन) धर्मों का पता लगाने में किया जा सकता है। ये विद्युतीय प्रणालियाँ द्रुतगामी, सरल और अविध्वंसक उपकरण हैं तथा इन्हें चाय उद्योग में सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा सकता है।

विनियामक मुद्दे तथा प्रौद्योगिकीय सहायता

चाय बोर्ड का अनुसंधान निदेशालय चाय के विनियामक मुद्दों को देखता रहा है जिनमें एम आर एल का निर्धारण, कीटनाशक अवशेष से सम्बंधित समस्या पर ध्यान देना, ऑयनर फिलिंग, इन्स्टैंट चाय को प्राकृतिक एक समान स्वाद तथा मानक का निर्धारण इत्यादि शामिल है। चाय उत्पादक संघ, चाय निर्यात संघ एवं चाय व्यापारी संघ को जो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से तकनीकी जानकारी तथा चाय अनुसंधान प्रयोगशालाओं से आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, जरूरी तकनीक सहायता सूचना आदि के रूप में मुहैया कराई जा रही है। चाय सम्बन्धी नवीन जानकारी/विनियमनों को अद्यतन करना चाय उद्योग एवं सरकार दोनों के ही लिए बहुत जरूरी है। चाय बोर्ड के अधिकारीगणों ने इसी काम के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में तथा विचार-विमर्श में भाग लिया। अनुसंधान निदेशालय एफएसएसआई (FSSAI) द्वारा तय किए गए मानदण्डों में से कुछ की समीक्षा भी कर रहा है जिससे इसे कोडैक्स (codex) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सामंजस्य पर रखा जाए। अनुसंधान निदेशालय ने भारतीय चाय उद्योग के लिए सीआईआई-फेस (CII-FACE) के सहयोग से खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन, 2011 पर जागरूकता कार्यक्रम की एक श्रृंखला का आयोजन वर्ष 2012 में किया। ये कार्यक्रम चाय उद्योगके लिए इस उद्देश्य से तैयार किए गए थे जिससे हितधारकों को चाय में गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के नियमों के बारे में जागरूक बनाया जा सके। वर्ष 2012 मई सेनवम्बर के बीच, बोर्ड ने कोलकाता, जोरहाट, गोलाघाट, सिलीगुड़ी, बिन्नागुाँ, डिब्रुगढ़, और सिल्वर में सात (7) जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जहाँ उत्पादकों, बीएलएफ, व्यापारियों, और बोली लगाने वालों ने कार्यशाला में भाग लिया।

अनुसंधान निदेशालय, लघु चाय उत्पादकों को कार्यशालाओं के माध्यम से तकनीकी ज्ञान मुहैया कराने में भी संलग्न रहा है।

प्रबंधन परिषद/ट्रस्टी बोर्ड/वैज्ञानिक सलाहकार समितियों में प्रतिभागिता

चाय उद्योग के सभी दावेदारों के हित एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु, चाय बोर्ड अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुसंधान/वैज्ञानिक सलाहकार समिति, प्रबंधन परिषद तथा देश के चाय अनुसंधान संस्थानों के रोपणकर्ता समिति में भाग लिया। चाय अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों और वैज्ञानिकों तथा 11 वीं प्लान अनुसंधान योजनाओं के प्रजेक्ट जाँचकर्ताओं को नवम्बर 2012 में आयोजित चाय अनुसंधान सम्पर्क समिति (टीआरएलसी) में भाग लेने तथा अपनी प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत करने हेतु टी बोर्ड में आमंत्रित किया गया।



चाय संवर्धन

प्रस्तावना

निर्यात से उच्च इकाई मूल्य उगाही करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उच्च मानक वाली भारतीय चाय की मांग में वृद्धि एवं चाय के उपभोग में वृद्धि को लक्षित करते हुए संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाना टी बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में से एक है।

तदनुसार, विश्व में एकल भारतीय मूल चाय की व्यवहारकुशलता के बारे में जानकारी देने हेतु संवर्धन उपायों को प्रत्साहित किया गया है। कुछ चुने हुए देशों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ चाय निर्यात वृद्धि की संभावना अधिकतम है। चाय निर्यात में वृद्धि करने और विदेशों में भारतीय ब्राण्डों के विपणन हेतु भारतीय निर्यातकों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। विदेशी पैकर्सों द्वारा शुद्धता की प्रस्तुति या महत्वपूर्ण भारतीय ब्राण्डों को भी बढजावा दिया जा रहा है।

चाय संवर्धन समिति: संवर्धन गतिविधियाँ बोर्ड की चाय संवर्धन समिति के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर किया गया।

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, पदेन, समिति का अध्यक्ष
2. श्री पी. विश्वनाथन, माननीय सांसद
3. श्री. पी. वी. बालचन्द्रन
4. श्री. एम. चन्द्रकांत
5. श्री. अंशुमान कानोडिया
6. श्री. संजीव सरीन
7. श्रीमती चित्रा रमेश

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सूचित तिथियों एवं स्थानों पर समिति ने चार बार बैठक की

19 जून 2012	कुमाराक्कम
25 सितम्बर 2012	कोलकाता
2 दिसम्बर 2012	कोलकाता
30 मार्च 2013	कोलकाता

भारत में चाय उपभोग एवं भारत से चाय निर्यात का व्यापक परिदृश्य :

वर्ष 201-13 के दौरान भारत ने चाय का उत्पादन 1135 मिलियन कि.ग्रा. किया था जिसमें से 890 मिलियन कि.ग्रा. का घरेलू उपभोग किया गया। उच्चतम इकाई मूल्य ₹ 31.08 के साथ मात्रात्मक निर्यात में वृद्धि लगभग 1% थी। वर्ष 2011-12 में 214.35 मिलियन कि.ग्रा. के निर्यातकी तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यात का कुल मात्रा 216.23 मिलियन कि. ग्रा. थी। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यातों का कुल मूल्य काफी अधिक था (21.2% वृद्धि)। वर्ष 2011-12 में 154.18 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा 3304.82 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 में 185.26 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य से कुल 4005.93 करोड़ थी। रिपोर्ट के तहत वर्ष हेतु देशवार निर्यात का विवरण और गत वर्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति अनुलग्नक-1 में प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति निम्नवत थी।

2012-13					2011-12				
मात्रा मि. कि.ग्रा.	मूल्य कोरड़	मूल्य मि.यू.ए s	यूपी ./कि.ग्रा.	यूपी s /कि.ग्रा.	मात्रा मि. कि.ग्रा.	मूल्य कोरड़	मूल्य मि.यू.ए s	यूपी ./कि.ग्रा.	यूपी s /कि.ग्रा.
216	4006	736	185	3.40	214	3305	690	154	3.22



रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निर्यात में चिह्नित सुधार रूप, ईरान, यू.ए.ई., मिश्र, जापान, जर्मनी, आयरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, यूक्रेन, एवं अफगानिस्तान के पक्ष में 4% (आस्ट्रेलिया) से उच्चतम 8% (रूस), जर्मनी (11%), वाना देना देश जैसे यू.ए.ई (19%) मिश्र (47%) एवं ईरान (70%) तक रहा। बाजार जैसे: रूस, कजाकिस्तान, यूके, जर्मनी, यूए.ई., ए.आर.ई. (मिश्र) एवं पाकिस्तान सामर्थ्य बाजार के रूप में महत्वपूर्ण बने रहे और क्रमशः बाजार मांग की पूर्ति हेतु भारत की क्षमता बरकरार रही।

संवर्धनात्मक गतिविधियों का परिदृश्य

वर्ष 2012-13 के दौरान टी बोर्ड ने भारतीय चाय की मांग को बढ़ाने और विशिष्ट बाजारों में बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने हेतु मुख्य रूप से लंदन, मास्को एवं दुबई में स्थित अपने विदेशी कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों का संचालन किया। जनसंचार-माध्यम पर अभियान संचालन सहित अन्य गतिविधियों जैसे फेसबुक, रूस व यू.एस.ए. के महत्वपूर्ण बाजारों में ट्वीटर, बाजार विश्लेषण एवं उपभोक्ता के स्वभाव को समझाना, विविध बाजारों में बोर्ड के लोगों का पंजीकरण करना साथ ही साथ भारतीय चाय एवं इसके विविध एकल मूल चायों की निष्पक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से इस लोगो की उपयोगिता को प्रसिद्ध करना। रूस, कजाकिस्तान, यूके, यूएसए, ईरान, मिश्र, पाकिस्तान और यूएई में बाजारों का अभिप्राय जारी है। यूएसए व जापान के चाय परिषद के सदस्य के रूप में बने रहना भारत ने जारी रखा और चाय परिषद द्वारा संचालित सामान्य चाय संवर्धन से लाभान्वित हुआ। कुछ वर्षों के अन्तराल के बाद, भारत कनाडा चाय परिषद से पूर्णसंयोजित हुआ।

बोर्ड ने उनेकों संवर्धनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की जैसे: चाय से स्वास्थ्य लाभ के प्रचार हेतु घरेलू व्यवसाय मेले में हिस्सेदारी। चाय के सदगुणों की प्रशंसा करते हुए महत्वपूर्ण प्रकाशनों में विज्ञापन दिया गया। घरेलू चाय संवर्धन के रूप में राज्य सरकार के सचिवालय में गुणावत्ता वाली चाय सेवा हेतु एक प्रस्ताव का पहल किया गया।

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान 5-5-5 परियोजना के तहत प्रतीत गतिविधियों को जारी रखना एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। उद्योग और उपभोक्ताओं के संपर्क से भारतीय चाय को एक सर्व आच्छादक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। इससे अल्प एवं मध्यम अवधि में “भारतीय चाय” एक प्रमुख ब्रांड के रूप में स्थापित हो सकेगी जिससे आने वाले वर्षों में लक्षित बाजारों में मुल्य एवं बाजार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है। विश्व बाजार में व्याप्त प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए भारतीय चाय लोगो के व्यापक संवर्धन को केन्द्रित कर अनेकों संवर्धनात्मक गतिविधियों

जैसे स्थानिय व्यावसायिक समिति और पूर्व एशिया उपभोक्ता संवर्धन के बीच परियुक्ति को बड़े ही उत्साह से यू.ए. रूस, कजाकिस्तान, इरान एवं मिश्र के महत्वपूर्ण बाजारों में आरम्भ किया गया।

बाजार संवर्धन योजना (एमपीएस) के तहत संचालित संबर्धन गतिविधियाँ :

खरेलू संवर्धन :

- खरेलू मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा विभिन्न प्रेस मीडिया में विज्ञापन देना।
- टी बोर्ड के मुम्बई स्थित ‘टी सेन्टर’ ने भारतीय चाय की गुणवत्ता वाली छवि निर्माण के लिए उत्तम चाय परोसना और बिक्री, उपोक्ताओं के लिए जारी रखा।

विदेशों में संवर्धन :

- बोर्ड के मुख्यालय तथा विदेश स्थित तीन कार्यालयों से जो गतिविधियाँ संचालित की गई उनमें स.रा. अमेरिका कीचाय परिषद के माध्यम से जैनेरिक संवर्धन, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, व्यापार सुविधाकरण के माध्यम से सूचन वितरण आदि शामिल हैं।
- 5-5-5 परियोजना प्रस्ताव को चाय उद्योग की सलाह से तैयार किया गया है जिसमें पाँच देशों की पहचान की गई है जहाँ पाँच वर्षों तक पाँच फोकस गतिविधियाँ संचालित की जाएगी।

प्रचार सामग्रीका उत्पादन

- भारतीय चाय के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विविध प्रचार सामग्री और विवरणी मुद्रित की गई इसे उद्योग ने हाथोहाथ लिया।

निर्यातकों के प्रत्साहन

- आइसीडी अमीनगाँव से निर्यातित चाय पर परिवहन सहायिकी प्रदान की गई।
- विदेशी बाजारों की प्रदर्शनियों, मेलों में भाग लेनेवाले योग्य निर्यातकों को यात्रा व भागीदारी व्यय की प्रतिपूर्ति।

कानुनी परामर्श प्रभार

- महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में दार्जिलिंग चाय की सुरक्षा हेतु गहन मॉनिटरिंग प्रक्रिया स्थापित की गई जिसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि (1) मूल दार्जिलिंग चायों के सभी विक्रेता सी.टी.एम. लाईसेंसधारक हों तथा (2) भारत एवं विदेशों में दार्जिलिंग चाय के रूप में बेची जाने वाली चाय प्रामाणिक है।



समीक्षाधिन वर्ष के प्रथम वर्ष के दौरान, 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधी हेतु किया गया व्यय निम्नवत था:

(रु करोड़ में)

प्रमुख शीर्ष	2012-13	11 वीं योजना कुल (2007-12)
घरेलू संवर्धन	1.49	19.48
विदेशी संवर्धन	7.18	19.71
व्यापार सम्बन्धी गतिविधियाँ	0.76.	13.39
निर्यातकों/संघों को प्रोत्साहन	0.11	23.20
प्रचार सामग्री	1.94	5.27
कानूनी/परामर्शी	1.40	3.43
ई-नीलामी	3.86	16.39
अन्य	0.43	7.61
कुल	17.17	108.48

बोर्ड के मुख्याला द्वारा संचालित गतिविधियां

1. विदेशी कार्यालयों के क्षेत्र में न आनेवाले व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में बोर्ड की भागीदारी का आयोजन।
2. अंतर्राष्ट्रीय बैठकों तथा क्रेता विक्रेता सम्मेलन में भाग लेने हेतु बोर्ड के प्रतिनिधियों तथा चाय शिष्टमंडलों के दौरों की व्यवस्था करना।
3. चाय उद्योग के साथ सम्पर्क कार्य, व्यापार जिज्ञासाओं का उत्तर, नौवहन तथा भंडारण सम्बन्धी असुविधाओं को दूर करना, चाय व्यापारियों को निर्यात सम्बन्धी सूचनाएं प्रदान करना तथा बाजार और व्यापार सम्बन्धी सूचनाओं का प्रसार।
4. दार्जिलिंग चाय के उत्पादकों, निर्यातकों तथा व्यापारियों को दार्जिलिंग शब्द के लोगो के इस्तेमाल के लिए सी.टी.एम. प्रक्रिया के तहत पंजीकरण, जो घरेलू तथा विदेशी बिक्री हेतु खुदरा पैकेटों पर लगाए जाते हैं।
5. सभी दार्जिलिंग निर्यातों के लिए बागानवार उत्पादन की बीजक के माध्यम से चिह्नित चायों को उत्पत्ति प्रमाणपत्र देना।
6. सूचना प्रसार के अंश के रूप में, विभिन्न मेलों तथा प्रदर्शनियों में प्राप्त व्यापार जिज्ञासाएं तथा विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त जिज्ञासाओं को उद्योग के सदस्यों को भेज दिया गया।

भारतीय चाय हेतु बौद्धिक सम्पदा अधिकार का संरक्षण-उपलब्धियां

टी बोर्ड ने संरक्षण करने के प्रयास को जारी रक्षा और अधिकक्षेत्र से पूरे इसके विविध चाय चिह्न (लोगो एवं शब्दों) के समरूप बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) को लागू किया।

विपक्ष/अवैधता/रद्दीकरण कार्रवाई, विधिक नोटिस, न्यायालयीन कार्रवाई एवं पंजीकरण अवसर पर कार्यक्षेत्र नाम का रद्दीकरण तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर इन चाय नामों एवं लोगो का दूरूपयोग जैसी चुनौतियों का सामना टी बोर्ड करता चला आ रहा है।

भारतीय चाय के निर्यातकों की संख्या को बढ़ाना वर्ष की एक उल्लेखनिय विशिष्टता रही है - रूस में हमारे असम मार्क के विधिमान्य अनुज्ञापन धारक के रूप में मेसर्स ओरिएण्ट ट्रेड को वैश्विक स्तर पर नियुक्त किया गया है। 09 नम्बर, 2011 को दार्जिलिंग चाय पहली को गैर चीनी चाय बनी जिसे यूरोपियन संघ के संरक्षित भौगोलिक सूचक के रूप में संरक्षित किया गया है। यह दार्जिलिंग चाय की अनन्यता और विशिष्ट गुणों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है। इससे विश्व की प्रमुख चायों के बीच उसकी पहचान सुदृढ़ हुई है।

पी.जी.आई पंजीकरण के फलस्वरूप 'दार्जिलिंग' को ई.यू. के सदस्य देशों में सुरक्षा प्रदान की गई है।



- क) चाय अथवा उसके समान किसी भी अन्य उत्पाद के संदर्भ में दार्जिलिंग नाम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाणिज्यिक इस्तेमाल जिससे दार्जिलिंग की प्रतिष्ठा का शोषण होता हो
- ख) किसी भी प्रकार का दूरूपयोग, नकल यहाँ तक कि उत्पाद की उत्पत्ति उल्लिखित हो तथा जिसमें शैली, प्रकार, तरीका आदि के माध्यम से अनुकरण किया गया हो।
- ग) कोई भी अन्य मिथ्या अथवा भ्रामक संकेत
- घ) अन्य कोई भी क्रियाकलाप जिससे उपभोक्ता उत्पाद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भ्रम में पड़ जाए।

21 सितम्बर 2012 को अध्यक्ष, टी बोर्ड भारत ने दार्जिलिंग चाय उद्योग सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल को यूरोपियन चाय समिति (ईटीसी) हैम्बर्ग भेजा। संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर के माध्यम से ईयू राष्ट्रों में आने वाले माह में कार्यान्वयन हेतु 'दार्जिलिंग पीजीआई' की गहन जाँच-पड़ताल और आईपीआर का क्रियान्वयन और ईटीसी एवं टीबीओआई के संरक्षण के पक्ष में नए प्रतिबद्धता के रूप में बैठक का निर्णय आया।

टी बोर्ड के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के संरक्षण एवं प्रवर्तन हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए।

1. भारत में बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए कुल मामले
पंजीकरण प्रयासों से बचाव और दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी चाय नामों एवं लोगों साथ ही साथ भारतीय चाय लोगो के दूरूपयोग से संबंधित 25 मामलों बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए।
2. भारत के बाहर बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए कुल मामले
ट्रेड मार्क के एक भाग के रूप में दार्जिलिंग के उफयोग से संबंधित 9 मामलों टी बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त, असम वर्ल्ड मार्क के दूरूपयोग हेतु चीन में यूवी प्रसिडेन्ट के विरुद्ध 3 रद्दीकरण कार्रवाई के मामले दर्ज किए गए।
3. भारत में कुल लंबित मामले एवं निपटारा किए गए मामलों की संख्या
भारत में 424 मामले लंबित हैं। टी बोर्ड के अधिकारों की मान्यता से एवं मामले निपटाने हेतु 25 वादियों के मामले निपटाए और 7 मामलों का निर्णय टी बोर्ड के पक्ष में दिया गया।
4. भारत के बाहर कुल लंबित मामले एवं निपटारा किए गए मामलों की संख्या

भारत के बाहर कुल 18 मामले लंबित हैं जबकि कथित अवधि के दौरान 10 मामलों का निपटारा किया गया जिसमें से 4 मामलों में अंतिम आदेश हमें प्राप्त हुए और 6 मामलों में अस्थायी आदेश। जर्मनी, चीन और ईयू में 6 अस्थायी आदेश के विरुद्ध अपील दर्ज करायी गयी है।

5. भारत में एवं भारत के बाहर दार्जिलिंग, असम, असम अर्थोडक्स, नीलगिरी अर्थोडॉक्स, भारतीय चाय लोगो के मार्क के पंजीकरण हेतु स्वच्छ आवेदन दर्ज

भारत में असम (अर्थोडक्स) शब्द एवं लोगो तथा नीलगिरी (अर्थोडक्स) शब्द एवं लोगो मार्क के दूरूपयोग से संरक्षण करने के उद्देश्य से टी बोर्ड ने वर्ग 30 में प्रमाणन मार्क आवेदन के मामले दर्ज किए। ये लंबित हैं।

6. प्रमुख उपलब्धियाँ

निम्नलिखित विपक्षीय मामलों में हमें अनुकूल आदेश प्राप्त हुए हैं।

बांग्लादेश

दार्जिलिंग चाय मार्क हेतु एक तीसरे पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन पर असहमति से बांग्लादेश ट्रेड मार्क कार्यालय ने टी बोर्ड के पक्ष में आदेश जारी किया।

चिली

दार्जिलिंग मार्क हेतु एक तीसरा पक्ष द्वारा वर्ग 43 में दाखिल किए गए आवेदन पर असहमति से चिली, ट्रेड मार्क कार्यालय ने टी बोर्ड के पक्ष में आदेश जारी किए।

फिलिपीन्स

असम मार्क हेतु एक तीसरे पक्ष द्वारा वर्ग 29 व 30 में दाखिल किए गए आवेदन पर असहमति से ट्रेड मार्क कार्यालय फिलिपीन्स ने टी बोर्ड के पक्ष में आदेश जारी किए।

फ्रांस

पेरिस प्रथम इन्स्टांस न्यायालय से एख निर्णय प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि मोनगोजी (डिजाइन) और टी पीकर (डीजाइन) का उपयोग जो दार्जिलिंग लोगो जैसा प्रतीत होता है एवं यह चाय स्रोत यूरोप के रूप में जाना जाता है जिससे टी बोर्ड के अधिकार का उल्लंघन होता है। चाय स्रोत यूरोप को यह आदेश दिया गया कि वह टी बोर्ड को 1500 यूरो की राशि का भुगतान करे।



इसके अतिरिक्त, यूरोप में दार्जिलिंग पीजीआई के बेहतर संरक्षण व संवर्धन हेतु टी बोर्ड ने यूरोपियनचाय समिति के साथ समझौते हेतु कार्य किया
भारत में घरेलू संवर्धन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड ने निम्नलिखित आयोजनों में हिस्ता लिया।

क्रम सं.	भागीदार के कार्यक्रम का नाम	अवधि
1.	प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एनएनएस कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी द्वारा 8वां खाद्य प्रौद्योगिक एक्सपो	27-29 जुलाई, 2012
2.	युवाओं हेतु सेन्ट्रल कलकाता विज्ञान व संस्कृति संगठन द्वारा आयोजित 16वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी	7-11 सितंबर, 2012
3.	बायोफ्राक बैंगलोर	29 नवंबर से 1 दिसंबर, 2012
4.	आईसीसी व इन्ड्र, मुंबई के परिसंघ द्वारा 7 वीं अन्नपूर्ण विश्व खाद्य	26-28 सितंबर, 2012
5.	बंगाल संघ / दिगंजन	
6.	पूर्व मालेया स्मृति संघ-कैनिंग द्वारा आयोजित 9वां जातीय उत्सव व भारत मेला - 2012	8-15 दिसंबर, 2012
7.	राष्ट्रीय असम व्यवसाय मेला - स्वराज 2013 तेजपुर, राष्ट्रीय असम व्यवसाय मेला - स्वराज 2013	4-13 जनवरी, 2013
8.	विश्व कॉफी व चाय एक्सपो -2013 मुंबई	13-15 फरवरी, 2013
9.	‘‘फ्रेंडज एक्सबिशन व प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड’’ द्वारा आयोजित 4 था विजन राजस्थान - 2013	4-6 फरवरी, 2013
10.	7 वीं असम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मेला गुवाहाटी	4-17 दिसम्बर, 2013
11.	उत्तर भारत औद्योगिक व्यवसाय मेला 2013 देहरादून	3-10 फरवरी, 2013
12.	अरुणाचल उत्सव 2013	20-23 फरवरी, 2013



समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड ने निम्नलिखित अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया।

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक	प्रतिनियुक्ति
1.	ग्लोबल दुबई टी फोरम	3-5 अप्रैल, 2012	आर, अंबालादन, कार्यपालक निदेशक, कूनूर
2.	टी कॉफी, कोकोआ, कजाकिस्तान	14-16 मई, 2012	एम.जी.वी.के. मानू, अध्यक्ष व एस बनर्जी उप निदेशक चाय संवर्धन
3.	विश्व टी एक्सपो, लास वेगास	1-3 जून, 2012	अध्यक्ष व नंदिनी दत्ता, उप निदेशक चाय संवर्धन
4.	इंडिया शो-टोक्यो, जापान	20-22 जून, 2012	एस बनर्जी, निदेशक चाय संवर्धन
5.	डेज ऑफ इंडिया टी, आलमाती, कजाकिस्तान	12-15 अगस्त, 2012	एम.जी.वी.के. भानू, अध्यक्ष व एस बनर्जी, उप निदेशक चाय संवर्धन
6.	हाँगकॉंग इंटरनेशनल टी फेयर	16-18 अगस्त, 2012	रूपाली दत्ता (डीटीपी, एचक्यू) + के. हलदार, सचिव
7.	फाइन फूड ऑस्ट्रेलिया	10-13 सितंबर, 2012	निर्यातकों द्वारा भागेदारी
8.	वर्ल्ड फूड मास्को	17-20 सितंबर, 2012	एस बनर्जी, उप निदेशक चाय संवर्धन
9.	सी.ओ.टी.ई.सी.ए. (कॉफी, टी, कोकोआ), हसबर्ग	20-22 सितंबर, 2012	अध्यक्ष + मंगत राम शर्मा, डीटीपी (लंदन)
10.	गल्फ फूड, दुबई	24-27 फरवरी, 2013	वी.जी.जेन्नेर, डीटीपी (दुबई) + दीपनीता पाल मजूमदार, प्रचार अधिकारी
11.	बायो फाक, नुरेम्बर्ग	13-16 फरवरी, 2013	जे.एस. दीपक, अतिरिक्त सचिव + मंगत राम शर्मा, डीटीपी (लंदन)
12.	डेज ऑफ इंडिया टी, आलमाती, कजाखस्तान	22-25 मार्च, 2013	श्रीमती नीलम मीणा, उप अध्यक्ष + एस बनर्जी, उप निदेशक चाय संवर्धन

विदेशी कार्यलयों के अधीन न आनेवाले देशों में संवर्धनात्मक गतिविधियां

टी बोर्ड मुख्यालय ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों की सक्रिय सहायता से निम्नलिखित देशों में विभिन्न संवर्धनत्मक गतिविधियां संचालित की और विभिन्न प्रमुख देशों की बाजार स्थिति की भी निगरानी की।

सं.रा. अमेरिका

सं.रा.अ. का अनुमानित बाजार आकार लगभग 125.65 मिलियन कि.ग्रा. का है (काली चाय > 84% और हरी चाय > 16%) जिसका 2012 के दौरान 0.41 कि. ग्रा. प्रति व्यक्ति खपत की दर से यूएसडी में मूल्य 414.182 मिलियन था। चाय बिक्री को बढ़ाते हुए प्राथमिक सुनियोजित



बल चाय उपभोक्ता की स्वास्थ्य लाभ एवं पौष्टिकता है जिसने जैविक, हरी व विशिष्ट चाय हेतु उत्पन्न तीव्र रुचि है। वैश्विक चाय खपत में इसका स्थान तीसरा है, सं.रा.अ. में चाय उपभोग का तरीका अधिकांशतः आईस टी के रूप में है (95%) यद्यपि हाल के वर्षों में गर्म चाय उपभोग के प्रति भी रूझान बढ़ा है। सं.रा.अ. में भारतीय चाय के निर्यात के लिए काफी संभावनाएँ हैं।

यूएसए चाय परिषद का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत ने विभिन्न आयोजनों में यूएस चाय उद्योग के मुख्य शेरर धारकों के साथ सभी चर्चाओं में भाग लिया।

कनाडा

कनाडा एक गर्म चाय वाला बाजार है जिसका परिमाण 18.077 मि.कि.ग्रा. (9 प्रतिशत पुनर्निर्यातित) है तथा प्रति व्यक्ति खपत 0.48 कि.ग्रा. है। सं.रा. अमेरिका के विपरीत कनाडा में 60 प्रतिशत आबादी गर्म चाय का सेवन करती है। कनाडा को भारतीय चाय का निर्यात लगभग 1.6 मि.कि.ग्रा. है। यद्यपि निर्यात का परिमाण अल्प होने पर भी प्रति इकाई मूल्य वसूली उच्च थी। इससे पता चलता है कि स्पेशलिटी चायें लोकप्रिय हो रही हैं तथा इनमें वृद्धि होनेवाली है।

आस्ट्रेलिया

लगभग 12 मिलियन कि.ग्रा. की आयात एवं विश्व आयात में 1% से भी कम हिस्सेदारी के साथ आस्ट्रेलिया एक लघु बाजार के रूप में दर्शित होता है जहाँ मूल्यवर्धित चाय, विशेषकर ब्राण्डेड काली चाय और आरटीडी चाय की संभावना है। अल्प मात्रा में लगभग 1.680 मिलियन कि.ग्रा. चाय का उत्पादन देश में ही होता है। यह लगभग 0.3 मिलियन कि.ग्रा. चाय का उत्पादन देश में ही होता है। यह लगभग 0.3 मिलियन कि.ग्रा. चाय पुनर्निर्यात भी करता है। नए लक्ष्य के रूप में अब इसबाजार को अधिक सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है जहाँ अत्यधिक प्रभाव एवं विस्तार की संभावना है।

लंदन कार्यालय

लंदन, कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आनेवाले देश

यू.के. आयरलैंड, नार्वे, स्वीडेन, डेनमार्क और फिनलैंड। जुलाई, 2002 में हैम्बर्ग कार्यालय के बंद होने के कारण निम्नलिखित देश लंदन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं :- बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, आस्ट्रिया, स्विटजरलैंड, माल्टा, साइप्रस, पोलैंड तथा पूर्व यूगोस्लाविया के बिखंडित गणराज्य जैसे बोस्निया – हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोटेनीग्रो और मेसीडोनिया

पिठले कुछ वर्षों से टी बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे संवर्धनात्मक प्रयासों से अच्छे परिणाम आने शुरू हुए हैं। भारत से आस्ट्रेलिया को होने वाली निर्यात चाय में 0.14 मिलियन कि.ग्रा.की वृद्धि दर्ज की गई है जो 2011-12 में 3.52 मिलियन कि.ग्रा. से बढ़कर 2012-13 में 3.66 मिलियन कि.ग्रा. हो गई। यह वृद्धि मात्रा और मूल्य वसूली दोनों में हुई है (क्रमशः 3.83% एवं 16.47%)। भारतीय चाय निर्यात इंस्टैंट चाय, चाय थैलों एवं पैकेट चाय के रूप में होता है।

जापान

जापान प्रतिवर्ष 86 मि.कि.ग्रा. हरी चाय उत्पादित करता है जिसमें से 97 प्रतिशत देश में ही उपभोग होता है और शेष 3 प्रतिशत का निर्यात किया जाता है।

जापान लगभग 38 मि.कि.ग्रा. चाय का आयात करता है जिसमें से काली चाय और हरी चाय का प्रतिशत क्रमशः 44 प्रतिशत और 15 प्रतिशत है। जापान उच्च गुणवत्ता वाली दार्जिलिंग चायों का बाजार है। उच्च स्तर की पत्तीदार चाय के अलावा यह बाजार असम की सीटीसी चायों के प्रति भी ग्रहणशील हुआ है जो चाय थैलों अथवा डिब्बाबंद दूध युक्त चाय में प्रयुक्त होती है। यह युवावर्ग में पसंद की जाती है।

जापान में भारतीय चायों का संवर्धनात्मक कार्य जापान चाय संघ (जेटीए) के सहयोग से टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किया जाता है।

विदेश स्थित कार्यालयों के संवर्धनात्मक कार्य

बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालय लंदन, मास्को, और दुबई में स्थित है। भारतीय चायों के संवर्धन के लिए बाजारों में पहुंच के लिए इनकी रणनीतिक भूमिक है। यह अपने क्षेत्राधिकार के महत्वपूर्ण देशों में चाय संवर्धन का कार्य करते हैं।



लंदन कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत देश में चाय बाजार आकार

क्र. सं.	देश	बाजार आकार (मि. कि.ग्रा.)	पीसीसी (कि.ग्रा.पी.ए.)	वृद्धि दर
1	यू.के.	145	1.92	-1.81
2	जर्मनी	56	0.28	3.10
3	पोलैण्ड	29	0.80	1.39
4	नीदरलैण्ड	23	0.47	-4.11
5	फ्रांस	18	0.23	1.54
6	आयरलैण्ड	8	2.18	-2.56
7	इटली	7	0.10	-2.78
8	स्वीटजरलैण्ड	5	0.22	2.83
9	आस्ट्रिया	3	0.29	6.44
10	चेक गणराज्य	3	0.28	2.16
11	डेनमार्क	2	0.24	2.80
12	फिनलैण्ड	2	0.25	6.57
13	नार्वे	1	0.22	2.73
	कुल	301	-	-0.51

मेले एवं प्रदर्शनियाँ :

20-22 सितम्बर 2012 के दौरान हैम्बर्ग, जर्मनी के कोटेका (सीओटीईसीए) में भागीदारी कच्चे उत्पाद उत्पाद से तैयार उत्पाद तक की सभी प्रक्रिया को पूरा करते हुए कोटेक चाय, कॉफी एवं कोक हेतु यूरोप का केवल व्यवसायिक प्रदर्शनी है। टी बोर्ड के लंदन कार्यालय ने मेले में भाग लिया। दर्शक दीर्घा 54 वर्ग फीट क्षेत्र में स्थापित की गयी थी और चाय नमूनों का आयोजन किया गया था। टी बोर्ड के संरक्षण में पाँच निर्यातक मेले में उपस्थित हुए जैसे (ए) मोकालवारी चाय संपदा (बी) मार्शल टी एवं स्पाईस कम्पनी (सी) प्रीमियर्स टी (डी) सार्केट इम्पेक्स (ई) प्रमीला हिंचरनेशनल। तीन दिनों की प्रदर्शनी में विश्व के सांवी ग्राहकों से मिने के लिए बहुत ही सुनहरा असर था।

13-16 फरवरी 2013 तक नुरेमबर्ग, जर्मनी में वायोफेच 2013

टी बोर्ड केलंदन कार्यालय ने वायोफेच नुरेमबर्ग में भाग लिया। स्पाईस बोर्ड के अध्यक्ष सहित अपर सचिव (रोपण), अध्यक्ष टी बोर्ड ने मेले में भाग लिया। बोर्ड का बुथ एपीडा के संरक्षण में भारतीय दर्शक-दीर्घा के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। दर्शक दीर्घा 54 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित की गयी थी और चाय नमूना व्यवसाय दर्शकों हेतु आयोजित किया गया था। मेले में भागलेने वाले चाय निर्यातक थे - (ए) मार्शल टी व स्पाईस कम्पनी (बी) टी प्रोमोटर्सएक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड (सी) सीगनेचर स्टेट (डी) इंडियन बायोओर्गेनिक टी एसोसिएशन (आईवीओटीए)। 2000 से भी अधिक प्रदर्शक/दर्शक टीवीओआई स्टाल पर आए।



प्रमुख गतिविधियाँ एवं उपाय

1. लंदन ओलम्पिक 2012 (जुलाई/अगस्त 2012) के दौरान भारतीय चाय का विशिष्ट संवर्धन अभियान

लंदन ओलम्पिक 2012 के दौरान टी बोर्ड ने भारतीय चाय का एक विशिष्ट संवर्धन अभियान आयोजित किया। जीवन के हर क्षेत्र से लोगोंको लक्षित करते हुए विभिन्न स्थानों पर दो सप्ताह से अधिक अवधि के संवर्धनात्मक अभियान को सम्मिलित करते हुए यह एक वैकल्पिक रणनीति थी। यू.के. भारतीय चाय हेतु एक महत्वपूर्ण बाजार है। दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी एवं कांगरा चायों सहित सभी प्रकारकी चायों को संरक्षण प्राप्त है। भारतीय चाय हेतु यू.के. दूसरा बड़ा निर्यात गंतव्य है जहाँ 20 मि.कि.ग्रा. से अधिक चायका निर्यात किया जाता है।

लंदन ओलम्पिक के दौरान प्रभाव बढ़ाने हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं।

लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट के वीआईपी सड़ों पर ब्राणींग अभियान : राज्य प्रमुखों, मंत्रियों, कार्यालयीन और एयरपोर्ट के रास्ते आनेवाले भागीदारों हेतु ओलम्पिक की समग्र अवधि हेतु यह विशिष्ट भारतीय चाय की सेवा एवं प्रदर्शनी थी। अनेकों राजशाही विभिन्न सरकारों के मंत्रियों, वरिष्ठ सांसद कार्यकारी इत्यादि के अलावा 65 से अधिक राज्य प्रमुख एयरपोर्ट के रास्ते शहर में आए। हिथ्रो में इस संवर्धन से भारतीय चाय को अधिक दृश्यता मिली।

होटल क्राउन प्लाजा, सेन्ट जेम्स में 21 जुलाई 2012 को माननीय मंत्री, वाणिज्य, उद्योग व वस्त्र उद्योग, श्री आनंद शर्मा द्वारा भारत के पक्ष में रात्रि भोज के साथ एक विस्तृत एवं उच्च प्रोफाईल भारतीय शाम का आयोजन किया गया। कुल 130 श्रेष्ठ अतिथियों ने शाम के कार्यक्रम में भाग लिया श्री कृश्चन लेगर्डे (आईएमएफ के प्रमुख), श्री इरीक पीक्लेस (समुदाय एवं क्षेत्रीय सरकार हेतु) राज्य का सचिव, यू.के. सरकार), श्री ग्रेगोरी वार्कर (ओर्जा एवं जलवायु परिवर्तन हेतु राज्य मंत्री, यू.के. सरकार) एवं अन्य संसद सदस्यों एवं बैरन सहित।

अनेकों श्रेष्ठ नीति निर्माताओं, सामुदायिक प्रमुखों एवं अन्य सामाजिक व्यक्तित्वों की उपस्थिति को ब्राण्डिंग कार्यक्रम में सुनिश्चित किया गया। संघीय खेल मंत्री श्री अजय माकन ने भी उत्सव को अलंकृत किया। भारतीय व्यापार क्षेत्र से श्री सुनील मित्तल, श्री अनवर हसन (टाटा ममूह) और श्री रामा दुराई (टीसीएम) प्रमुख थे।

प्रसिद्ध पर्यटक स्थानों को लक्षित किया जाना: पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से टेम्स नदी के दक्षिणी किनारे में रॉल फेस्टीवल हॉल को वाणिज्य एवं उत्पाद प्रदर्शनी व्यवसाय की प्रमुख प्रदर्शनी हेतु टुना गया। इसके अलावा वास्तविक उपभोक्ताओं में भारतीय घटकों की ब्राण्ड को बढ़ाने हेतु प्रत्यक्ष अवसर के रूप सेवार्थ खाद्य सेक्सन आयोजित किया गया। कॉफी बोर्ड, स्पाईस बोर्ड एवं अपीडा के साथ टी बोर्ड ने कार्यक्रम में भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य रूप से नृत्य, लोक संगीत एवं कलाकी अन्य रूपों का आयोजन 1 और 2 अगस्त 2012 को किया गया। अपर सचिव (रोपण), वाणिज्य विभाग की उपस्थिति में भारत के उच्च आयुक्त द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। भारतीय चाय की विरासत को चित्रित करने वाले एक टी गार्डेन का रॉयल फेस्टीवल हॉल के आंतरिक स्थान पर स्थापित किया गया और भारत में चाय के आधार पर विजिटर्स को प्रशिक्षित किया गया, स्तान जहाँ इसका उत्पादन हुआ, उत्पादन प्रक्रिया, और भारतीय ध्वज पर चित्रित किए हुए एक भव्य कीर्तिशाली चाय प्याला की प्रदर्शनी भी की गी। प्रदर्शनी मदों में कॉफी और स्पाईस भी था।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत के चाय संघों एवं निर्यातकों की 27 स्टॉलों की प्रमुखता से एक आउटडोर प्रदर्शनी थी। कॉफी बोर्ड, स्पाईस बोर्ड एवं एपीडा ने कार्यक्रम में ग्राहकों को आकर्षित किया। भारतीय कम्पनियों ने अपने उत्पाद और यूके के शहरों में बाजार एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने के लिए स्टॉल स्थापित किए। प्रमुख चाय भागीदारों में भारतीय चाय संघ, दार्जिलिंग चाय संघ, मैकलॉण्ड रसेल इंडिया लिमिटेड, गुडरीक्स समूह, बगारीया समूह, एपीजे चाय समूह एवं अम्बुटीया चाय समूह था। भारतीयों चायों हेतु एक नारा अभियान भी आयोजित किया गया और अन्य भारतीय चायों के गीफ्ट हैम्पर्स विजेताओं को पुरस्कार के रूप में दिए गए।

2 अगस्त 2012 को होटल क्रोन प्लाजा-सेन्ट जेम्स में क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गयी थी। मुख्य आयातकों एवं भारत से चाय निर्यातकों को मार्ग दर्शन करने वाले चयनित समूह एवं अन्य प्रत्याशित केताओं को भी इस कार्यक्रम में आमन्त्रित किया गया। इन्डो-यूके टी ट्रेड के 55 मुख्य व्यक्ति उत्सव में उपस्थित थे। टी बोर्ड अध्यक्ष ने भारतीय चाय उद्योग पर एख प्रसुति दी। कॉफी एवं स्पाईस बोर्ड के अध्यक्ष भी उपस्थित थे।

2. 20-22 मार्च 2013 के 17 वें अंतरराष्ट्रीय खाद्य सेवा व्यवसायिक मेला यूरेग्रेस्टो, वारसो में भागीदारी: गेस्ट्रोनोमिक उद्योग हेतु एक पूर्ण



अवसर चित्रित करते हुए यूरोग्रेस्टो पोलैण्ड में एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक मेला है। मेला ने 20,000 से अधिक ग्राहकों/व्यावसायिक विजिटर्स को आकर्षित किया। पोलिश ग्रेस्टोनोमिक और होटल बाजारमें भारतीय चायों का संवर्धन करने के लिए मेला एक उत्तम मंच बना। चाय के दो निर्यातक जैसे-मार्शल टी व स्पाईस कम्पनी एवं नर्थ टुकवार टी कम्पनी लिमिटेड ने मेले में भाग लिया। टी बोर्ड भारत ने लगभग 30 वर्ग मीटर की जगह को बुक किया था। बोर्ड द्वारा हमारे चाय की उत्तम किस्मों एवं चाय नूनों को प्रदर्शित करने के लिए वह जगह थी। वाणिज्य के इण्डो पॉलिस सदन के सभापति श्री जे.जे. सिंह सहित श्रीमती मोनीक कपिल मेहता, भारतीय राजदूत, बारशाँ स्टॉल पर आए।

3. **इण्डिया हॉउस में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह:** सीमा पार वाल एवं परिवार (सीएफएबी) के सदस्यों एवं भारतीय उच्च आयुक्त महिला संघ हेतु यूके में भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा संचालित अंतराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का टी बोर्ड भारत ने समर्थन किया। इसने चयनित अतिथियों हेतु चाय नमूनों का आयोजन किया। चाय की तीन मूल किस्में, दार्जिलिंग, असम एवं नीलगिरी की सेवा बैठक में उपलब्ध कराई गई। चाय संवर्धन गतिविधि के एक भाग के रूप में उस स्थान पर ध्वज एवं विवरणिका प्रदर्शित की गयी।
4. **12 से 27 जनवरी 2013 तक एथेन्स, ग्रीक में भारत खाद्य उत्सव:**

होटल अस्टीर पैलेस में बोर्ड के लंदन कार्यालय ने भारतीय चाय संवर्धन का आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु आईसीसीआर को विशिष्ट मंडली प्रतिनियुक्त किया गया जिसने भारतीय संस्कृति की एक झाँकी दर्शकों हेतु प्रस्तुत की। भारतीय चाय की किस्मों और संवर्धनात्मक मदों की प्रदर्शनी हेतु एक विशिष्ट चाय गैलरी बनाया गया। 14 जनवरी 2013 को एक विशेष चाय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।

उपभोक्ता जागरूकता व भारतीय चाय संवर्धन

लंदन कार्यालय ने कार्यक्रम आयोजित किया और भाग भी लिया जिसमें उपभोगता जागरूकता, लोगो संवर्धन एवं भारतीय चायों की मूल एवं ब्राण्डों के संवर्धन पर फोकस किया गया। भारतीय निर्यातकों की मूल्य वर्धित उत्पादों की प्रदर्शन मंजुषा को भी इस कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया।

विश्व ओलम्पिक मंच, डेवोस: जैसा कि 2010 में भारत ब्रांड मान्य संस्था ने 22-27 जनवरी 2013 के दौरान विश्व आर्थिक मंच 2013, डेवोस में 'इण्डिया अड्डा' का आयोजन कर भारत को दुबारा पूर्णसृजित

किया। टी बोर्ड ने कार्यक्रम में भाग लिया। एम/एम प्रीमियर टी (जो पैकेट चाय हेतु हमारे नेतृत्व ब्राण्ड के रूप में एक था) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय चाय की वर्गीकृत किस्में साथ ही साथ विदेशक भारतीय चायों के नमूनों एवं प्रशि७ण हेतु सुगंध युक्त चायों का कैफे स्कनाएडर को कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि हेतु उपलब्ध कराया गया। माननीय सीआईटीएम, श्री आनन्द शर्मा, जिन्होंने 23-25 जनवरी 2013 को डेवोस का दौरा किया, ने इअडियन अड्डा पर श्रृंखलागत बैठकें एवं चर्चाएँ की। माननीय सीआईटीएम, श्री आनन्द शर्मा एवं उडयन मंत्री, श्री प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति में प्रीमियर्स टी ने डेपोस में एवं स्वीटजरलैण्ड में इसके अन्य 3-4 श्रृंखलारेस्टुरेंट में भारतीयचायों की पेशी हेतु कैफे स्कनाएडर के साथ एख एमजोयू हस्ताक्षर किया।

बाजार की स्थिति एवं निर्यात निष्पादन

यूनाईटेड किंगडम

यूएसडी 438 मिलियन मूल्य पर 2012 में यूके ने लगभग 145 मिलियन कि० ग्रा० चाय आयात किया। 2012 के दौरान विश्व केकुल चाय आयात में 7.6 प्रतिशत हिस्से के साथ रूस के पश्चात यूके विश्व का द्वितीय वृहत्तम चाय आयातक देश है। 2012 के दौरान भारत ने लगभग 20 मिलियन कि० ग्रा० यूके को निर्यात किया (2012) के दौरान कुल निर्यात का 9 प्रतिशत। यूके में कीनिया अकेले आयात का 42% हिस्से के लिए उत्तरदायी है जबकि भारत, इण्डोनेशिया, चीन, मालावी और तनजानिया मिलकर 36% हेतु उत्तरदायी हैं। मूल मदों में, ये 6 देश आयात के 84% हेतु उत्तरदायी हैं। 10 वर्ष से अधिक आयुवाली जनसंख्या का करीब दो तिहाई भाग लोग रोजाना चाय पीते हैं। यूके में अन्य पेयोंकी तुलना में प्रति व्यक्ति 3 कप की खपत है।

जर्मनी

2012 के दौरान कुल आयात का 56 मिलियन कि० ग्रा० के साथ जर्मनी ईयू क्षेत्र में द्वितीय वृहद चाय बाजार है। यह एक गुणवत्ता सजग प्रीमियम बाजार है। दार्जिलिंग चाय उच्चतम मूल्य के साथ-साथ बेहतरीन गुणवत्ता का लाभ उठाना है।

हिस्सानुसार आयात चीन (19%), श्रीलंका (14%), भारत (14.5%), इण्डोनेशिया (9%), अजैन्टीना (7%) और वियतनाम (7%) उत्पादक देशों में कुल लगभग 70% हेतु उत्तरदायी है जबकि नीदरलैण्ड (7%) और यूके (7%) दोनो पूर्णनिर्यातक देश के 14% हेतु उत्तरदायी है।

काली चाय जर्मनी के आयात का 72% है। अधिकांश अदिकांश चाय अर्थोडक्स/पती किस्म का है। सम्पूर्ण जर्मनी के समान चाय पूर्व फ्रायसलैण्ड (उत्तर जर्मनी में स्थित) में 300 वर्षों से राष्ट्रीय पेय है। पूर्व फ्रायसलैण्ड में



प्रति व्यक्ति चाय की खपत लगभग 3 कि० ग्रा- है। यह जर्मनी की औसत खपत 0.28 कि० ग्रा० से काफी अधिक है। इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति असम चाय की खपत उच्चतम है।

पोलैण्ड

लगभग 29.5 मि. कि० ग्रा० के बाजार आकार और 0.80 कि० ग्रा० प्रति व्यक्ति अपभोग के साथ पोलैण्ड यूरो क्षेत्र में तीसरा महत्वपूर्ण बाजार है। उत्पादक देशों में से आयात मुख्यतः केन्या (14%), भारत (12%), इण्डोनेशिया (11%), वियतनाम (12%), चीन (8%), श्रीलंका (8%), और अजेन्टीना (4%) से किया जाता है। जबकि नीदरलैंड और जर्मनी क्रमशः 9% और 7% का योगदान करते हैं।

सीटीसी किस्म हेतु स्पष्ट वरीयता के साथ चाय बाजार तीव्रगति से परिवर्तित हो रहा है और साम्यवाद के पतन का अनुसरण करते हुए क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। चाय थैलों में विशिष्ट रूचि में वृद्धि हेतु मूल्यवर्धित क्षेत्र में तीव्रता आई है।

फ्रांस

2012 में फ्रांस ने लगभग 18 मि. कि० ग्रा० चाय (काली चाय – 51% और हरी चाय – 49%) का आयात कि.या और उनमें से 17% का पूर्णनिर्यात किया। चीन (36%), श्रीलंका (7%), जर्मनी (10%), और बेनेलक्स देश (3%) प्रधान आपूर्तिकर्ता देश है। मूल्यवर्धित रूप से विशेषत) प्रत्यक्ष निर्यात विकसित करने की संभावना है। यद्यपि भारतीय चाय निर्यात 1मि. कि० ग्रा० से भी कम है (कुल आयात का 3%)। भारतीय चाय उच्च इकाई मूल्य की उगाही करता है।

स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य और पेय के प्रति फ्रांसिसियों की रूचि है। उपभोक्ताओं में चाय थैले और सुलभ उत्पाद सर्वाधिक पसंदीदा हैं।

मॉस्को कार्यालय

अधिकार क्षेत्र: सीआईएम देश - रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, उजबेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनीस्तान, बेलारूस, क्रिजीस्तान, तजाकिस्तान, जार्जिया, आर्मेनिया, मोलडोवा और लतावी के वाल्टीक राज्य, इस्टोनिया व लिथुआनिया।

सीआईएस क्षेत्र प्रमुख देशों में चाय बाजार आकार

देश	बाजार आकार मिलियन कि० ग्रा०	पीसीसी कि० ग्रा०/प्रति वर्ष	वृद्धि (2006 पर 2012 में)
रूस	180	1.27	1% की दर से सीएजीआर
कजाकिस्तान	34	1.50	3.92% की दर से सीएजीआर
यूक्रेन	22	0.99	5.78% की दर से सीएजीआर
उजबेकिस्तान	26	0.80	11.75% की दर से सीएजीआर

सीआईएस क्षेत्र में कुल अनुमानित बाजार आकार 285 मिलियन कि० ग्रा० है और उस क्षेत्र में चाय हेतु आयात बाजार का 92% उपर्युक्त देश सकल रूप से उत्तरदायी है।

मेले व प्रदर्शनियाँ

1, चा कॉफी, कोकोओ, अस्ताना, मई, 14-16, 2012

मई 14-16, 2012 के दौरान कजाकिस्तान के अस्ताना में द्वितीय चाय, कॉफी एवं कोकोआ प्रदर्शनी में भारतीय पैवीलियन का स्थान था। छह अग्रणी निर्यातक यथा मेसर्स प्रिमियर टी, मेसर्स जे.वी. गोकल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स शंकुतला एक्सपोर्ट, मेसर्स श्रव्या मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इंद्रचन्द्र सीताराम एवं मेसर्स विक्रम इम्पेक्स, ने इस प्रदर्शनी में कुल 72 वर्ग मीटर क्षेत्र में भाग लिया।



भारत एवं रूस से स्थानीय सरकारी गणमान्य व्यक्तियों एवं दूतावास अधिकारी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। भारतीय पैवीलियन को स्थानीय उद्योग व उपभोक्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम को स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने समाचारों में सम्मिलित किया।

2. विश्व खाद्य मास्को, सितम्बर 17-20, 2012

भारतीय चाय पैवीलियन को प्रदर्शनी के पैवीलियन-2 में पेय शाखा में 45.5 वर्ग मि. में शामिल किया गया था। पाँच निर्यातक यथा-मेसर्स एम के शाह एक्सपोर्ट, मेसर्स शाह ब्रर्स, मेसर्स शंकुतला एक्सपोर्ट, मेसर्स जयश्री टी एवं इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं मेसर्स विक्रम इम्पेक्स लिमिटेड ने भाग लिया। पैवीलियन में प्रमुख दर्शक श्री एम. प्रसाद, अपर सचिव (रोपण), वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार, श्री संदीप आर्या, मिशन के उप मुख्य, ई ओ आई मास्को, श्रीमती रीता मेनन, एम.डी, आईटीपीओ।

3. “रूस में कॉफी एवं टी सितम्बर / 2012” के विशेष अंक में विज्ञापन: “कॉफी एवं टी इन रशिया” पत्रिका में एक विशेष विज्ञापन प्रकाशित हुआ, यह पत्रिका रूस में पेय उद्योग की एक प्रसिद्ध पत्रिका है।

4. भारतीय चाय के दिन, अलमाटी, अगस्त, 12-15, 2012

कजाकिस्तान में भारतीय चाय के विशेष संवर्धन के रूप में, टी बोर्ड भारत ने कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास से सक्रिय सहायता द्वारा अस्ताना (13-15 अगस्त) एवं अमिटी (12-14 अगस्त) में भारतीय चाय सप्ताह का आयोजन किया। जनता के लिए तीन दिन (12-14 अगस्त) अस्ताना के खान क्षेत्रिय मनोरंजन कम्प्लेक्स में चाय आस्वादन सत्र का आयोजन किया गया इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जिसमें पारम्परिक भारतीय नृत्य एवं बॉलीवुड संगीत शामिल थे। इसी प्रकार के चाय आस्वादन सत्र का आयोजन अमिटी में मेगा अल्मा-आटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (12-14 अगस्त) में मेसर्स प्रिमीयर टी लिमिटेड एवं मेसर्स जे. वी. गोकल एंड कं० की सहायता द्वारा किया गया। 15 अगस्त को भारतीय चाय पर एक व्यावसायिक संगोष्ठी का आयोजन होटल इंटरकॉन्टिनेन्टल अमिटी में किया गया, जिसमें विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे चाय, लॉजिस्टिक्स बैंकिंग व वित्त, आतिथ्य आदि से लोकप्रिय व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया जिसके बाद “नेटवर्किंग सम्मेलन की शाम” में भी लोग शामिल हुए।

5. भारतीय चाय पर विज्ञापन का प्रकाशन

कजाकिस्तान की लोकप्रिय जीवनशैली पत्रिका “लेट्स गो! ПОЕХАЛИ!»” में किया गया। इस प्रकाशन का प्रधान भाग वायुयान एवं

कजाकिस्तान गणराज्य में कार्य कर रही विदेशी वायु कंपनियों के कार्यालयों के प्रतिनिधियों में वितरित किया गया। यह प्रकाशन अमिटी, करागांडी, अस्ताना, बीशकेक, अशागबाद एयरपोर्ट, अमिटी व अस्ताना के होटलों में भी वितरित किया गया।

6. “भारतीय चाय के दिन” का आयोजन अमिटी में नवरोज (मार्च, 22-23, 2013) के दौरान किया गया

कजाक कलेण्डर में नवरोज उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, इस दौरान एक विशेष संवर्धन गतिविधि का आयोजन किया गया। मुख्य गतिविधियों में प्रेस संगोष्ठी, भारतीय चाय का प्रदर्शन, भारतीय फिल्म उत्सव, भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यवसायिक नेटवर्किंग मीट शामिल है।

बाजार की स्थिति एवं निर्यात निष्पादन

रूस

प्रति व्यक्ति खपत 1.27 कि० ग्रा० प्रतिवर्ष के साथ रूस का बाजार आकार अनुमानित 180 मिलियन कि० ग्रा० का है। यह देश महत्वपूर्ण एवं परम्परागत रूप से अर्थोडक्स का बाजार है और मुख्यतः चाय की खपत पैकेट में (90%) और अर्थोडक्स मिश्रण (3/4 भाग के आसपास अर्थोडक्स है और बाकी सीटीसी दानेदार है।)

2011-2012 के दौरान रू० 554.83 करोड़ के मूल्य पर 42.61 मिलियन कि० ग्रा० की तुलना में 2012-13 के दौरान रु.759.56 करोड़ मूल्य पर 45.91 मिलियन कि. ग्रा. भारतीय चाय रूस को निर्यात की गयी। (मूल्य एवं मात्रा के क्षेत्र में क्रमशः 7% एवं 27% की वृद्धि)

कजाकिस्तान

रूस के बाद, कजाकिस्तान अपनी चाय उपभोग की बेहतरीन परम्परा एवं उच्च प्रति व्यक्ति खपत (लगभग 1.5 कि० ग्रा० प्रतिवर्ष.) सहित एक महत्वपूर्ण बाजार है। जबकि काली चाय की खपत करीब 94% है, हरी चाय एवं विशेषीकृत चायों में रूची बढ़ती जा रही है।

सीआईएस क्षेत्र में कजाकिस्तान सीटीसी का एकमात्र बाजार है जिसकी उच्च गुणवत्ता चाय की वार्षिक आयात 34 मिलियन कि० ग्रा० है (सीटीसी चाय - 82% अर्थो डॉक्स चाय <12% और हरी चाय - > 4%), कीयद्योपि भारतीय ब्रैंड यहाँ बहुत लोकप्रिय है, कीनियाई चाय अपनी अलग-स्वाद, प्रतिस्पर्धा मूल्य एवं बेहतरीन गुणवत्ता के साथ तेजी से अपन स्थिति मजबूत करती जा रही है।

वर्ष 2011-12 के दौरान 196.10 रू करोड़ के मूल्य पर 12.00



मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में 2012-13 के दौरान 229.09 करोड़ के मूल्य पर 11.73 मिलियन कि.ग्रा. भारतीय चाय का निर्यात कजाकिस्तान में किया गया। (हालांकि मात्रा में 2% की गिरावट आई, परन्तु मूल्य में 14% की वृद्धि हुई)

यूक्रेन

हर अवसर पर काली चाय पीना यूक्रेन की परम्परागत रीति है। सीटीसी प्रकार को विशेष रूप से पसंद किया जाता है। इसका अनुमानित बाजार मांग प्रतिवर्ष 22 मिलियन कि. ग्रा. है, जिसमें प्रति व्यक्ति खपत 0.99 कि. ग्रा. है।

वर्ष 2011-12 के दौरान 21.87 करोड़ रूपय के मूल्य पर 1.82 मिलियन कि. ग्रा. की तुलना में 2012-13 के दौरान 36.04 करोड़ रूपय के मूल्य पर 2.42 मिलियन कि.ग्रा. भारतीय चाय का निर्यात यूक्रेन में किया गया। (मात्रा पर 25% की वृद्धि एवं मूल्य पर 39% की वृद्धि हुई।)

दुबई कार्यालय

अधिकार क्षेत्र
पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीका जिसमें कुवैत, इरान, बहरीन, यूएई, सउदी अरब, ओमान, कतर, यमन, जार्डन, सीरिया, एआरई (मिश्र), लिबिया, सूडान, टयूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान शामिल है।

मेले एवं प्रदर्शनियाँ :

वैश्विक दुबई चाय फोरम, अप्रैल 3-5, 2012

दुबई में, होटल पाम अटलांटिस में दुबई टी ट्रेडिंग सेंटर (डीटीटीसी) एवं दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर (डी एम सी सी) द्वारा आयोजित चौथे वैश्विक दुबई चाय फोरम 2012 में टी बोर्ड ने भाग लिया। टी बोर्ड के पैविलियन में टी बोर्ड (कूनर) के कार्यपालक निदेशक श्री आर. अम्बालावानन एवं गोल्डन लीफ हंडिया में उपासी, ब्रोकर तथा चाय रोपणकर्ताओं ने भाग लिया। चाय आस्वादन सत्र में दक्षिण भारत से सभी पुरस्कार प्राप्त चायों को प्रदर्शित किया गया।

गल्फ फुड दुबई, फरवरी 24-27, 2013

25 फरवरी, - 28 फरवरी, 2013 तक दुबई अन्तर्राष्ट्रीय समागम एवं प्रदर्शनी केन्द्र में आयोजित गल्फ फुड 2013 में टी बोर्ड के दुबई कार्यालय ने भाग लिया। विभिन्न प्रकार के चायों की प्रदर्शनी के अतिरिक्त, असम, दार्जिलिंग एवं नीलगिरि के तरल नमूने भी दिए गए।

भारतीय चाय की विवरणिका एवं पुस्तिका का भी वितरण किया गया। टी बोर्ड स्टैड से जिन कम्पनियों ने भाग लिया वे हैं (1) प्रिमीयर टी लिमिटेड (2) लिमटेक्स लिमिटेड (3) आदित्य ट्रेडिंग (4) टू वैल्यू मार्केटिंग (5) मोकालबारी कानोई।

प्रतिनिधिमंडल

इंडो-इरान चाय व्यवसाय की संवर्धन की दृष्टि से जुलाई, 16-18, 2012 के दौरान टी बोर्ड उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल ने तेहरान, ईरान का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य निदेशक चाय संवर्धन, दुबई एवं भारतीय चाय उद्योग के हितधारक थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरानी चाय उद्योग एवं ईरानी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न बैठकें कीं ताकि ईरान एवं भारत के मध्य व्यापार को विकसित कर सके। इरानी चाय संस्था के अध्यक्ष ने भारतीय अर्थोडॉक्स चाय के संवर्धन पर जौर दिया। उन्होंने अोग कहा कि वर्षों के दौरान आयात पर इरानी विनियम में बदलाव आए हैं एवं भारतीय कम्पनियां जी एम पी (अच्छी विनिर्माता कार्य) प्रमाणन सहित सभी गुणात्मक मामलों पर ध्यान देंगी। प्रतिनिधिमंडल ने अग्रता श्रेणीकरण में चाय को उच्च स्थान दिया एवं जीएमपी प्रमाणन एवं उसके नवीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया। प्रतिनिधिमंडल ने इरानी व्यावसायिक बैंकों जैसे परशियन बैंक, समन बैंक, पसारगद बैंक एवं इन बैंक से यूको बैंक भारत के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक की एवं एलसी खोलने से संबंधित पद्धतियों एवं कार्य रीतियों के बारे में विचार-विमर्श किया ताकि आसानी से स्ल्यवहार हो सके।

एक क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन लालेह अन्तर्राष्ट्रीय होटल में आयोजन किया गया, जहाँ टी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने इरानी चाय उद्योग के हितधारकों को प्रस्तुति दी एवं चाय की गुणवत्ता का रख-रखाव करने हेतु उठए गए कदमों व्यावसायिक मेलों को सुनिश्चित करने चाय विकास को सुकर बनाने, चाय की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नई अनुसंधान गतिविधियों एवं भारतीय चाय विविधिकरण के सामान्य परिदृश्य के बारे में संक्षेप में जानकारी प्रदान की।

प्रतिनिधिमंडल ने इरान की अग्रणी चाय कम्पनियों यथा-मेसर्स गोलचीन एवं मेसर्स गोलिस्तान के साथ मुलाकात की ताकि इरानी चाय उद्योग एवं उसकी खपत की रीतियों के बारे में प्राथमिक जानकारी ले सके।

टी बोर्ड भारत के अध्यक्ष के नेतृत्व में 19 सदस्यों की चाय प्रतिनिधिमंडल ने 3-7 मार्च 2013 में ईरान के तेहरान एवं इसफहान का दौरा किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान में भारतीय राजदूत श्री डी.पी. श्रीवास्तव, इरानी चाय संस्था के अध्यक्ष श्री हमीद रेजा मोवासाधी एवं तेहरान वाणिज्य मंडल के सभापति एच.ई.डॉ. अले ईशाघ, ईरान सीमा शुल्क प्रशासन में मूल्यांकन एवं अवधारण कार्यालय के महानिदेशक एच.ई.कौशेसतानी, ईरान सीमा शुल्क प्रशासन के अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं लोक सम्पर्क विभाग के महानिदेशक एच.ई.एम.एच. भागेनायत, गोलचिन तालाये - ये तेहरान कं०



के महानिदेशक श्री बाहराम हाजीकरीमलाओं, माओसेसह चा-ई अल्बालु के एम.डी.श्री हुसैन इवाजी दारियानी, गोलेस्तान कम्पनी के सीईओ श्री गेरामी, बाणिज्यमंडल इसफहान के सभापति के साथ बैठक की एवं ईरानी सरकार को अग्रता श्रेणीकरण में उच्च स्थान रखने का निवेदन किया गया जीएमपी प्रमाणन एवं इसके नवीकरण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने मेसर्स मियाद टी फैक्ट्री से मुलाकात की। दिनांक 5-3-2013 को ईरानी चाय संस्था एवं भारतीय चाय संस्था के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य दो वर्षों में करीब 30 मि.कि.ग्रा. भारतीय चाय का आयात करना था। इस मुलाकात का परिणाम यह था कि ईरानी उद्योग के सदस्यों को भारतीय चाय के आयात के नए मौके प्राप्त होंगे एवं ईरानी सरकार ने रूपए रियाल की व्यवस्था एवं सीमा शुल्क मूल्यांकन तंत्र को सहज करने की मंजूरी दी है।

बाजार परिदृश्य

पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीकी (वाना) देशों में भारतीय चाय का कुल निर्यात 28% है।

विशेष रूप से यूएई, ईरान, ईराक, मिश्र एवं सउदी अरब देशों की प्रति व्यक्ति खपत अधिक है साथ ही थोक उत्पाद के रूप में चाय निर्यात करते हैं एवं भविष्य में वृद्धि हेतु बेहतरीन संभाव्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं।

यूएई (दुबई), ईरान, इराक, मिश्र सीरिया एवं सउदी अरब वाना क्षेत्रों के महत्वपूर्ण बाजार हैं (308 मि. कि० ग्रा० के संयुक्त आयात बाजार सहित अथवा क्षेत्र में कुल बाजार आकार 84% है) इन देशों में से ईराक एवं मिश्र का प्रतिवर्ष करमशः करीब 1.21 कि० ग्रा० एवं 1.14 कि.ग्रा. पर की उच्च प्रति व्यक्ति खपत है जबकि ईरान 0.97 कि० ग्रा० पर उच्च प्रति व्यक्ति खपत है।

मूल्य एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में मध्य पूर्व बाजार बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक हैं। चाय व्यापक रूप से दूध के बगैर पी जाती है एवं चाय का रंग व उसका रूप उसके प्रथम चुनाव का मापदंड है। मुख्य चाय उपभोक्ता क्षेत्र होने पर भी अफ्रीकी चाय, बाजार में अपना स्थान अफनी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य एवं गुणवत्ता के कारण बना पा रही है।

वाना देशों द्वारा आयातित चायों के प्रकार :-

क) मध्यपूर्वः अधिकांशतया अर्थोडॉक्स परन्तु सहदी अरब व ईरान जैसे देशों में सीटीसी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। यूएई में, घरेलू तौर पर सीटीसी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ प्रवासी, भारतीयों, पाकिस्तानियों की संख्या अधिक है।

ख) मिश्रः सीटीसी चूर्ण एवं टूटन

ग) लीबिया एवं सीरिया अर्थोडॉक्स एवं हरी चाय

संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई)

यू.ए.ई अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और प्रतिस्पर्धी रसद और भंडारण सेवाओं के प्रावधान के कारण अंतर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विशेषतौर पर जेबेल अली फ्री जोन में दुबई चाय बहु व्यापार केंद्र (डीटीटीसी) के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय चाय पुनः निर्यात हब की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाय के व्यापारियों के लिए भंडारण, मिश्रण, आस्वादन एवं पैकेजिंग हेतु बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करती है, चाय व्यापारी दुबई को वाना बाजार में प्रवेश करने का महामार्ग समझते हैं। इसका बाजार आकार करीब 64 मिलियन कि० ग्रा० का है जिसमें से करीब 28% का पुनः निर्यात किया जाता है।

यू.ए.ई विभिन्न मिश्रण केन्द्रों के माध्यम से इस उद्योग का मूल्य-वर्धन करती है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है डीटीटीसी। डीटीटीसी 35 एशियाई एवं अफ्रीकी देशों से चाय का आयात करती है एवं 13 चाय उत्पादक देशों के लिए चाय भंडारण करती हैं – केन्या, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालावी, रवांडा, तंजानिया, जिम्बाब्वे, इथोपिया, वियतनाम, नेपाल, चीन एवं ईरान यू.ए.ई. के वैश्विक चाय पुनः निर्यात का लगभग 72 प्रतिशत का पुनः निर्यात करती है। यू.ए.ई. के भौगोलिक वितरण का करीब 87 प्रतिशत का निवेश तीन देशों में हुआः इराक (45%) ईरान (25%) एवं रूस (17%)।

यू.ए.ई की जनसंख्या कम होने के कारण हललांकि चाय का घरेलू बाजार बहुत बड़ा नहीं है परन्तु चाय की पुनः निर्यातकी दृष्टि से कॉफी बड़ा बाजार है। यह बाजार प्रधान रूप से सीटीसी का बाजार है जिसमें भारतीय चायों में असम सीटीसी को अधिक पंसद किया जाता है। तथापि पैकेट चाय में शुद्ध असम सीटीसी उपलब्ध है, चाय थैलो के बाजार में मुख्यतः भारतीय व केन्याई चाय अथवा श्रीलंकाई चाय का मिश्रण रहता है।

मिश्र अरब गणराज्य

मिश्र अरब गणराज्य की आबादी 78 मिलियन है, जबकि इसका बाजार आकार 97 मि.कि.ग्रा. और प्रति व्यक्ति खपत 1.14 कि.ग्रा. प्रति वर्ष है। लोक वितरण हेतु सरकार 20-25 मि.कि.ग्रा. चाय का आयात करती है तथा शेष परिमाण निजी व्यापारियों द्वारा आयातित होता है। सरकार द्वारा आवश्यक चाय आयात की मात्रा का निर्धारण सामान्य पण्य आपूर्ति प्राधिकरण (जी.ए.एस.सी.) द्वारा किया जाता है। यह चाय दो लोक उपक्रमों यथा मेसर्स एल नस्र निर्यात और आयात कम्पनी और मेसर्स मिश्र निर्यात और



आयात कम्पनी के माध्यम से किया जाता है। ये कम्पनियां प्रति माह लगभग 2 मि.कि.ग्रा. चाय का आयात करती है।

वर्तमान बाजार की मांग प्राथमिक तौर पर सी.टी.सी. डस्ट और फैनिंग्स के लिए है। चाय सर्वाधिक पसंद किया जानेवाला पेय है, उपभोग का 95 प्रतिशत हिस्सा सी.टी.सी.के रूप में किया जाता है। सामान्यतया चायों का आयात थोक रूप में होता है, जिसे बाद में मिश्रित कर घरेलू उपभोग के लिए पैक किया जाता है। पैकेट चाय का अल्प मात्रा में आयात भी किया जाता है। “चाय थैले” एक लघु एवं मध्यम गति से विकसित होने वाला क्षेत्र है। कीनिया आज भी 84% के अधिकतम आयात अंश को थामे हुए हैं।

ईरान

ईरान एक चाय उत्पादक देश है जिसका वार्षिक उत्पादन लगभग 15 मि.कि.ग्रा. है। वार्षिक चाय उपभोग लगभग 81 मि.कि.ग्रा. है (मुख्यतः आर्थोडोक्स चाय) जिसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत लगभग 0.97 कि.ग्रा. है। ईरान अपनी पैदावार का 4 प्रतिशत हिस्सा संयुक्त राष्ट्रकुल के देशों और अफगानिस्तान, यू.ई. आदि को पुनर्निर्यात करती है। चूंकि ईरानी चाय निम्न गुणवत्ता वाली होती है, इसको आयातित चायों में मिश्रित किया जाता है जिससे यह घरेलू बाजार में उपभोग लायक बनती है।

उपभोग में 90 प्रतिशत आर्थोडोक्स और 10 प्रतिशत हिस्सा सी.टी.सी. का है। उच्च गुणवत्ता के सीटीसी चाय सहित चाय सहित थैले के बाजार में वृद्धि हो रही है।

सऊदी अरब

सऊदी अरब में चाय संस्कृति काफी मजबूत है, जो पारिवारिक और सामाजिक अवसरों का एक अनिवार्य अंग है। यद्यपि कॉफी में तीव्रतर मात्रात्मक वृद्धि लक्षित की गई है, परंतु गर्म पेयों में चाय को पसंद किया जाता है। काली चाय (अनुमानित आकार 15 मि.कि.ग्रा. तथा मध्यम प्रति व्यक्ति खपत 0.54 कि.ग्रा. है) का आयात प्रचुर है। इसमें केवल चार देशों यथा-भारत (15 प्रतिशत) श्रीलंका (29 प्रतिशत) केन्या (13 प्रतिशत) तथा वियतनाम (12 प्रतिशत) का हिस्सा कुल मिलाकर 69 प्रतिशत है।

उपभोक्ता मुख्यतः अर्थोडोक्स चाय पसंद करते हैं, हालांकि सीटीसी डस्ट का बाजार भी अपरिवर्तनशील है।

पाकिस्तान एवं आफगानिस्तान क्रमशः 131 मि.कि.ग्रा. एवं 0.74 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एवं 44 मि.कि.ग्रा. एवं 1.97 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष के बाजार आकार एवं प्रति व्यक्ति खपत के साथ भारतीय चाय के निर्यात हेतु दो महत्वपूर्ण बाजार हैं।

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान भारत से कुल निर्यात की मात्रा 216 मि.कि.ग्रा. का 10 प्रतिशत पाकिस्तान को किया गया।

अन्य कार्यक्रम

21-22 जनवरी, 2013 को कलम्बो में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक फोरम की बैठक

अन्तर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक फोरम की स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग हेतु राज्य मंत्री डॉ. (श्रीमती) डी. पुरनदेश्वरी के नेतृत्व में 15 सदस्यों के एक भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका के कोलम्बो में 21 जनवरी 2013 को आयोजित मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले अन्य देशों में इण्डोनेशिया, केन्या, मालाबी, रवांडा, श्रीलंका, ईरान एवं चीन थे। अन्तर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक फोरम के संगठन के मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया एवं सदस्यों ने अपने निजी सरकारों के अनुसमर्थन पर उसे अपनाने का भरोसा दिया। डॉ. पुरनदेश्वरी ने कहा कि लाखों करोड़ों चाय कर्मियों का जीवन दांव पर है एवं सभी चाय उत्पादक राष्ट्रों के संयुक्त प्रयत्न से चाय उद्योग सभी पहलुओं से संधारणीय हो जाएगा एवं चाय कर्मियों के जीवन के मानको को सुधार जा सकेगा। उन्होंने चाय अनुसंधान के पहलू पर भी जोर दिया एवं वह काली चाय के स्वास्थ्यवर्धक पहलुओं पर अधिक जोर दिया। इस सभा में अपर सचिव (रोपण) एम ओ सी एवं आई, अध्यक्ष, टी बोर्ड भारत, निदेशक (रोपण) एमओसी आदि। शामिल थे साथ ही उत्तर एवं दक्षिण भारत से भारतीय चाय उद्योग के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक फोरम का मुख्यालय संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में कोलम्बो, श्रीलंका में रखा जाएगा।



अनुलग्नक - I

प्रमुख देशवार निर्यात

देश का नाम	2012-13					2011-12					2011-12 की तुलना में 2012-13 में हुई % वृद्धि		
	मात्रा (मि.कि. ग्रा.)	मूल्य (रु. करोड़ में)	मूल्य (मि.यू.उ स \$.)	यूपी (रु. कि.ग्रा.)	यूपी (\$/कि. ग्रा.)	मात्रा (मि.कि. ग्रा.)	मूल्य (रु. करोड़ में)	मूल्य (मि.यू.उ स \$.)	यूपी (रु. कि.ग्रा.)	यूपी (\$/कि. ग्रा.)	मात्रा (मि.कि. ग्रा.)	मूल्य (रु. करोड़ में)	मूल्य (मि.यू.उ स \$.)
रूसी फेडरेशन	45.91	759.56	139.53	165.45	3.04	42.61	554.83	115.87	130.21	2.72	7.7	36.9	20.4
कजाकिस्तान	11.73	229.09	42.09	195.30	3.59	12.00	196.10	40.95	163.43	3.41	-2.3	16.8	2.8
यूक्रेन	2.42	36.04	6.62	148.93	2.74	1.82	21.87	4.57	119.86	2.50	33.0	64.8	44.9
अन्य सीआईएस	1.19	21.33	3.92	179.24	3.29	2.06	39.93	8.32	193.83	4.04	-42.2	-46.6	-52.9
कुल सीआईएस	61.25	1046.02	192.16	170.78	3.14	58.49	812.73	169.71	138.95	2.90	4.7	28.7	13.2
यू.के.	19.21	347.91	63.91	181.11	3.33	21.02	328.89	68.68	156.50	3.27	-8.6	5.8	-6.9
नीदरलैण्ड	2.68	72.27	13.28	269.66	4.95	4.03	84.88	17.73	210.50	4.40	-33.5	-14.9	-25.1
जर्मनी	7.97	212.74	39.08	266.93	4.90	7.18	170.03	35.51	236.82	4.95	11.0	25.1	10.1
आयरलैण्ड	2.17	78.40	14.40	361.29	6.64	1.75	54.04	11.29	309.22	6.46	24.0	45.1	27.5
पोलैण्ड	3.48	52.02	9.56	149.48	2.75	3.88	52.84	11.04	136.25	2.85	-10.3	-1.6	-13.4
यू.एस.ए.	11.71	317.63	58.35	271.25	4.98	12.77	333.16	69.57	260.98	5.45	-8.3	-4.7	-16.1
कनाडा	1.04	27.21	5.00	261.63	4.81	1.60	32.84	6.86	205.19	4.28	-35.0	-17.1	-27.1
यू.ए.ई.	21.51	394.93	72.55	183.60	3.37	18.05	325.48	67.97	180.33	3.77	19.2	21.3	6.7
ईरान	18.73	389.77	71.60	208.10	3.82	11.05	216.82	45.28	196.24	4.10	69.5	79.8	58.1
ईराक	0.09	1.09	0.20	121.11	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-
सऊदी अरब	2.57	63.01	11.58	245.18	4.50	3.57	52.60	10.98	147.41	3.08	-28.0	19.8	5.5
ए.आर.ई.	9.66	107.53	19.75	111.31	2.04	6.57	59.40	12.40	90.48	1.89	47.0	81.0	59.3
तुर्की	0.38	6.63	1.22	174.47	3.21	0.10	1.30	0.27	133.98	2.80	280.0	410.0	351.9
अफगानिस्तान	0.74	8.63	1.59	116.62	2.14	0.69	7.14	1.49	103.44	2.16	7.2	20.9	6.7
सिंगापुर	0.35	10.35	1.90	295.71	5.43	0.34	6.92	1.44	202.03	4.22	2.9	49.6	31.9
श्रीलंका	1.91	27.15	4.99	142.15	2.61	3.86	52.74	11.01	136.66	2.85	-50.5	-48.5	-54.7
केन्या	2.66	30.12	5.53	113.23	2.08	3.26	24.49	5.11	75.07	1.57	-18.4	23.0	8.2
जापान	3.46	140.69	25.85	406.62	7.47	2.91	102.89	21.49	353.54	7.38	18.9	36.7	20.3
पाकिस्तान	20.69	203.94	37.46	98.57	1.81	26.27	178.53	37.28	67.95	1.42	-21.2	14.2	0.5
आस्ट्रेलिया	3.66	129.19	23.73	352.98	6.48	3.52	107.91	22.53	306.35	6.40	4.0	19.7	5.3
अन्य देश	20.31	338.70	62.21	166.77	3.06	23.44	299.19	62.50	127.64	2.67	-13.4	13.2	-0.5
कुल	216.23	4005.93	735.90	185.26	3.40	214.35	3304.82	690.14	154.18	3.22	0.9	21.2	6.6



अनुज्ञापन

7.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न सांविधिक एवं विनियमन आदेशों के कार्यान्वयन हेतु बोर्ड की अनुज्ञापन शाखा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञापन शाखा चाय उद्योग व व्यापार को चाय से संबंधित वित्तीय नीति व विभिन्न विधियों के विषय में चाय उद्योग व व्यापार को आवश्यक स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन प्रदान करती है। विभिन्न द्विपक्षीय व क्षेत्रीय/बहुपक्षीय करार के तहत चाय संबंधी मुद्दे व भारतीय चाय उद्योग पर उसके कार्यान्वयन को समय-समय पर बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जाता है ताकि भारत सरकार द्वारा नीति निर्णय किया जा सके। 2012-2013 के दौरान इस शाखा द्वारा किए गए विभिन्न सांविधिक कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है :-

निर्यातक अनुज्ञापन

चाय (संवितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चाय निर्यातक के रूप में व्यापार करना चाहता है, उसे निर्यातक अनुज्ञापन की आवश्यकता होगी। निर्यातक अनुज्ञापन के विधिमान्यता की अवधि जारी तिथि से 3 (तीन) वर्षों हेतु प्रभावी होगी तथा एक बार व्यापार अनुज्ञापन को यदि नवीकृत किया जाता है तो वह नवीकरण तिथि से और तीन वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगी बशर्ते व्यापार अनुज्ञापन विधिमान्य अवधि के दौरान निलंबित व रद्द न हो। प्रत्येक अनुज्ञापिधारी चूंकि निर्यातक है, यदि अपने व्यापार अनुज्ञापन को स्थायी अनुज्ञापन में परिवर्तित करना चाहता है तो द्वितीय प्रति में एक आवेदन प्रपत्र "ख" में भरकर व्यापार अनुज्ञापन की विधिमान्यता अवधि के समापन के 3 (तीन) माह से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को करना होगा। ऐसा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनुज्ञापन प्राधिकारी उस अनुज्ञापन को स्थाई अनुज्ञापन में बदल देगी बशर्ते -

- क) व्यापार अनुज्ञापिधारी निर्यातक है।
- ख) ऐसे अनुज्ञापिधारी ने चाय अधिनियम, 1953 या चाय नियम, 1954 या टी बोर्ड उप विधि 1955 के या अधिनियम के तहत बनाये गए किसी अन्य आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।
- ग) गत तीन वर्षों के दौरान विधिमान्य व्यापार अनुज्ञापन धारण करने वाले निर्यातक सलाना चाय निर्यात की मात्रा 1,00,000 कि.ग्रा. से कम न हो। ऐसा स्थाई अनुज्ञापन प्रपत्र जी में स्वीकृत किया जाता है। आवेदक द्वारा 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपए) शुल्क का भुगतान करना होगा ताकि अस्थायी निर्यातक अनुज्ञापन को स्थायी अनुज्ञापन में बदला जा सके।

तालिका-1 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान अस्थायी निर्यातक अनुज्ञापन की स्थिति :

क्रम. सं.	निर्यातक अनुज्ञापन	2011-12		2012-13	
		जारी अनुज्ञापन (संख्या)	एकत्रित राशि ()	जारी अनुज्ञापन (संख्या)	एकत्रित राशि ()
1.	विधिमान्य नवीन अनुज्ञापन (अस्थायी)	101	101000/-	91	91000/-
2.	अनुज्ञापन का नवीकरण (अस्थायी)	60	60000/-	70	70000/-



दिनांक 01-04-2012 से 31-03-2013 तक की अवधि के दौरान 01 (एक) स्थायी अनुज्ञापन की तुलना में 01 (एक) निर्यातक का अनुज्ञापन स्थायी अनुज्ञापन में बदला गया। स्थायी निर्यातकों का अनुज्ञापन (गैर-निष्पादन एवं/अथवा विवरणों की गैर-प्रस्तुतिकरण के बाबद) चूक होने पर टी बोर्ड द्वारा 157 निर्यातक अनुज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है।

7.3 वितरक अनुज्ञापन :

चाय (संवितरण व निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के तहत भारत सरकार ने 1-4-2005 से चाय वितरक अनुज्ञापन को प्रस्तावित किया है। आन्तरिक बिक्री या पुनः निर्यात हेतु चाय आयात करने हेतु विधिमान्य निर्यातक अनुज्ञापन धारण करने वाले सभी चाय निर्यातकों को यह जारी किया गया। वितरक अनुज्ञापन हेतु शुल्क 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपए) है। वर्ष 2012-13 के दौरान जारी वितरक अनुज्ञापन की संख्या 7 (सात) है और अनुज्ञापन के समक्ष संग्रहित शुल्क 17,500/- (सत्रह हजार पाँच सौ रूपए) है। वर्ष 2011-12 के दौरान जारी वितरक अनुज्ञापन 8 (आठ) थी और अनुज्ञापन के समक्ष संग्रहित शुल्क 20,000/- (केवल बीस हजार) थी।

7.4 चाय अवशेष अनुज्ञापन

चाय अवशेष अनुज्ञापन एवं नवीकरण पर चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है। चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959 का प्रमुख उद्देश्य अवशेष के दूरुपयोग को रोकना तथा चाय अवशेष के निपटान को नियमित करना, जिससे उसका लाभदायक उद्देश्यों के लिए उपयोग हो सके। तदनुसार सही व्यक्तियों को ही जिनमें अवशेष क्रेता तथा विक्रेता शामिल है, के आवेदन पत्रों के अन्वेषण तथा

जाँच के बाद ही अनुज्ञापन जारी किए जाते हैं। इस आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति न तो चाय अवशेष खरीदेगा न भण्डारण करेगा, न बिक्री करेगा, अगर वह इस सम्बन्ध में टी बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापन की शर्तों तथा निबंधनों का पालन नहीं करता है। चाय अवशेष सामान्यतः केफीन और इन्सटैंट चाय निर्माताओं द्वारा प्रयोग की जाती है।

केफीन विनिर्माताओं हेतु चाय अवशेष का प्रयोग विप्राकृत तरीके से प्रयुक्त होता है जबकि इन्सटैंट चाय हेतु विनिर्माता गैर विप्राकृतिक चाय अवशेष का प्रयोग करता है। जब न्यूट्रियेन्ट व जैव उर्वरक के विनिर्माताओं द्वारा गैर विप्राकृत चाय अवशेष का प्रयोग किया जाता है। चाय अवशेष अनुज्ञापन निलम्बित अथवा निरस्त न होने की स्थिति में जारी होने वाले वर्ष के 31 दिसंबर, तक वैध रहती है एवं प्रत्येक वर्ष नवीकृत की जा सकती है। वर्ष 2012-13 में 80 नए अनुज्ञापन जारी हुए इसके बाबत 8,000/- संग्रहीत हुए तथा 997 अनुज्ञापन नवीकृत किए गए जिसमें कुल 49,850/- शुल्क के रूप में संग्रहीत हुए जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान 93 नए चाय अवशिष्ट अनुज्ञापन जारी हुए (संग्रहीत राशि 9300/- तथा 742 अनुज्ञापन नवीकृत (संग्रहीत राशि 37,100/-) किए गए थे।

31-08-2001 को हुए संशोधन के अनुसार कूनूर व गुवाहाटी (वर्तमान में जोरहाट में स्थानांतरित) में स्थित टी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय भी चाय अवशेष अनुज्ञापन जारी कर रहे हैं तथा निज-निज कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने के मामले में चाय अवशेष अनुज्ञापन नवीकृत कर रहे हैं। 05-03-2002 से प्रभावी संशोधन के अनुसार चाय अवशेष व तैयार चाय की न्यूनतम मात्रा 2:100 कि. ग्रा. के अनुपात में होनी चाहिए जब फैक्ट्री में चाय पत्तियों, कलियों व कैमेलियासाईनेसिस (एल) ओ कुण्टजे पौधे की नरम टहनियों से प्रकृतित होती है।

तालिका-2 वर्ष 2012-13 के दौरान चाय अवशिष्ट अनुज्ञापन के नवीकरण/निर्गमन की स्थिति निम्नवत सूचित है :

क्षेत्र	100/- की दर से जारी नए अनुज्ञापन		50/- की दर से नवीकृत अनुज्ञापन		कुल
	संख्या	राशि ()	संख्या	राशि (₹)	
उत्तर भारत	62	6200/-	735	36750/-	42950/-
दक्षिण भारत	18	1800/-	262	13100/-	14900/-
अखिल भारत	80	8000/-	997	49850/-	57850/-



7.5 पंजीकरण – सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर.सी.एम.सी.)

थोक चाय, पैकेट चाय थैलों एवं इन्स्टैंट चाय के प्रत्येक पंजीकृत निर्यातक को पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु टी बोर्ड के पास पंजीकृत होना पड़ता है जिससे कि उन्हें भारत सरकार की आयात निर्यात नीति के तहत आयात/निर्यात लाभ की हकदारी प्राप्त हो। ऐसे पंजीकृत निर्यातकों को पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र निःशुल्क आधार पर दिए जाते हैं। दिनांक 01-04-2012 से 31-03-2013 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या जिन्होंने पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त की है, 25 रही। कथित अवधि के दौरान आरसीएमसी नवीकरण की कुल संख्या 61 रही।

7.6 चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश :

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 1984 के प्रावधानों के अनुरूप किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित अथवा चाय विनिर्माण इकाई के मालिक के रूप में टी बोर्ड द्वारा वैध पंजीकरण होने पर चाय विनिर्माण संबंधी गतिविधियाँ कर पाएंगी।

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 1984 के प्रावधानों के तहत स्टेक होल्डरों जैसे विनिर्माता नीलामी आयोजक व दलालों को भागीदारी/नीलामीकर्ता चाय विनिर्माण एवं/या सहभागिता नीलामी आयोजन करने से पूर्व टी बोर्ड से पंजीकरण/अनुज्ञापन प्राप्त करना अपेक्षित है परन्तु मुख्य स्टेक होल्डर यथा क्रेता जो कि नीलामी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उक्त आदेश के तहत पंजीकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। अतएव, क्रेताओं से चाय के क्रय पर कोई भी सूचना प्राप्त करने हेतु कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है जो कि नीलामी केन्द्रों से या बागानों से सीधा चाय खरीदते हैं। प्राथमिक स्तर पर कुल लेन-देन में पारदर्शिता स्थापित करने हेतु (चाय नीलामी व प्रत्यक्ष क्रय) यह आवश्यकता महसूस किया गया कि टी बोर्ड सहित क्रेताओं का पंजीकरण आवश्यक हो।

चाय हेतु गुणवत्ता पालन तथा विनिर्माताओं व हरी चाय पत्तियों के प्रापण/आपूर्ति में लगे लघु चाय उत्पादकों के विषय में टीएमसीओ 1984 में कोई प्रावधान नहीं है। अतः उपर्युक्त हितों को ध्यान में रखते हुए टीएमसीओ 1984 के अधिक्रमण करते हुए टीएमसीओ 2003 का प्रख्यापन 01 जनवरी, 2003 को किया गया जिसके निम्नलिखित प्रधान लक्षण हैं :-

क) दलालों व नीलामी आयोजकों के अनुज्ञापन एवं फुटकर चाय के विनिर्माताओं के पंजीकरण हेतु विद्यमान प्रावधान सहित थोक चाय के विनिर्माताओं एवं क्रेताओं का पंजीकरण।

ख) विनिर्माताओं के पंजीकरण के रद्दकरण हेतु विद्यमान प्रावधान सहित क्रेताओं के पंजीकरण का रद्दकरण/निलंबन :

ग) विनिर्माताओं/क्रेताओं व दलालों द्वारा पीएफए अधिनियम, 1954 / एफएसएमआई के तहत निर्धारित चाय की गुणवत्ता मानकों का पालन।

घ) चाय की पत्तियों के आपूर्तिकारों एवं चाय विनिर्माताओं के बीच तैयार चाय के विक्रय से प्राप्त आमदनी के आधार पर विक्रय आमदनी की भागीदारी हेतु मूल्य भागीदारी सूत्र का निर्धारण।

ड) पंजीकृत क्रेताओं (जिसमें कमिशन एजेंट अथवा प्रेषिती शामिल है) को पंजीकृत विनिर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को निजी रिटेल आउटलेट अथवा ब्रोकरों द्वारा विक्रय को छोड़कर सार्वजनिक नीलामी के बाहर तैयार चाय के विक्रय हेतु प्रावधान।

च) पीएफए मानक के अनुरूप चाय की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए संदिग्ध चाय से नमूने की वापसी हेतु प्रावधान।

टीएमसीओ का खण्ड 13 सार्वजनिक नीलामी प्रणाली की दक्षता को सुधारने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को नीलामी आयोजकों/दलालों को निदेश जारी करने में समर्थ बनाता है। सचिव, बाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर चर्चा के उपरान्त टी बोर्ड ने चाय के प्राथमिक विपणन पर अध्ययन करने हेतु परामर्शदाता नियुक्त किया जिन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए :-

क) चाय के प्राथमिक विपणन हेतु प्रधान वाहक के रूप में नीलामी प्रणाली के संरक्षण की आवश्यकता।

ख) नीलामी सुधार व कार्यान्वयन अग्रताओं की आवश्यकता।

ग) नीलामी में विविधता का सृजन (इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के संवर्धन सहित)।

घ) सुधारोत्तर मुद्दे।

परामर्शदाताओं की सिफारिशों के आधार पर, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खण्ड 13 के प्रावधानों के तहत सभी लोक चाय नीलामी आयोजकों को 06-01-2003 को नीलामी प्रणाली की दक्षता को सुधारने के लिए निम्नलिखित नीलामी नियमों के परिपालन हेतु निदेश जारी किए :-

क) कैटलॉग समापन समय।

ख) पूर्व-संपदा विक्रय की प्रस्तावना।

ग) बिडिंग की उन्नति दर।

घ) बोली का पुनः मूद्रण



- ड) शीघ्र तिथि
- च) प्रति लॉट नमूने निकालने का परिमाण
- छ) न बिकी वस्तुओं का पुनः मूद्रण तथा पुनः मुद्रित लॉट हेतु नमूने के परिमाण।
- ज) लॉट विभाजन
- झ) प्रॉक्सी बोली।
- ञ) लॉट की वापसी
- ट) न बिकी लाटो का विक्रय।
- ठ) भंडागार प्रभारों का भुगतान

इन पर टी बोर्ड द्वारा निदेश जारी किया गया (क) कैटलॉग समापन समय (ख) पूर्व संपदा से विक्रय की प्रस्तावना (ग) बिडिंग के विकास की दर (घ) बोली का पुनः मुद्रण (ड) शीघ्र तिथि (च) प्रति वस्तु सैम्पल मात्रा को निकालना (छ) नहीं बिकी वस्तुओं का पुनः मुद्रण तथा पुनः मुद्रित वस्तु हेतु सैम्पल मात्रा जो कि संव्यवहार समय तथा लागत की कमी लायेगी व नीलामी गति को तीव्र करेगी।

(ज) लॉट के विभाजन (झ) प्रॉक्सी बोली हेतु प्रतिमानक जिनका उद्देश्य नीलामी प्रणाली में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना तथा विशेषरूप से लघु तथा मध्यम विक्रेताओं व क्रेताओं के तहत अधिकतम साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

(ट) लॉट के आहरण से संबंधित प्रतिमानक नीलामी में क्रेताओं की भागीदारी को उत्साहित करती हैं, जो कि विक्रेताओं को केटलॉगिंग के पश्चात् नीलामी से अपनी वस्तुएं हटाने का निवारण करेगी। वस्तुओं की वापसी क्रेताओं के लिए असुविधाजनक स्थिति के रूप में कारगर सिद्ध हुई है जो कि विक्रय से पूर्व ही विक्रेताओं को अपनी वस्तुएं हटाने की अनुमति देती है। जिसके चलते नीलामी से आवश्यक चाय क्रेता नहीं खरीद सकते।

(ठ) नहीं बिकी लॉट की बिक्री से संबंधित प्रतिमानक बाजार मूल्य खोज के लिए बाधक साबित हो रहा था क्योंकि यह एक से एक विक्रय हेतु लक्षित था एवं क्रेता सदस्यों से प्रतिस्पर्धा हेतु मुक्त नहीं था।

ड) भंडागार भाड़े के भुगतान से संबंधित नियम नीलामी से सम्बद्ध दलालों की सेवाओं सहित विनिर्माता (क्रेता) द्वारा रखी गई भंडागार मालिकों को देय भंडागार प्रभार की प्राप्ति को आश्वस्त करता है। यह किसी भी तरह क्रेताओं को प्रभावित नहीं करती, चूँकि नीलामी बिक्री के अनुसार क्रेताओं का भुगतान भंडागार प्रभारों को काटकर दलालों द्वारा विक्रेताओं को दिया

जाता है। यह प्रणाली 4/5 वर्ष पूर्व थी वर्तमान या एवं उसी प्रणाली की पुनः प्रस्तावनों क्रेताओं के हितों को प्रभावित किए बिना भंडागार मालिकों को लाभ पहुँचाएगा।

तदनुसार, भारत सरकार ने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 देखें अधिसूचना सं. एस.ओ. 247 (ई.) दिनांक 28/2/2003 एवं सं. एस.ओ. 430 (ई) दिनांक 10-04-2003 को संशोधित किया गया जो कि निम्नलिखित प्रयोजन हेतु है :-

- 1) पूर्व निर्धारित साठ दिनों के स्थान पर 01-01-2003 से 90 दिनों के भीतर विनिर्माताओं व क्रेताओं को पंजीकृत किया जाना।
- 2) 50% तक अनुज्ञापन शुल्क /पंजीकरण शुल्क को कम करना।
- 3) क्रेताओं द्वारा विवरण प्रस्तुतीकरण हेतु अवधि को बदलना जो कि मासिक से त्रैमासिक कर दिया जायेगा। भारत सरकार ने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 को संशोधित किया है देखें अधिसूचना सं. एस.ओ. 270 (ई.) दिनांक 27/02/2004 जिसमें अनुच्छेद 30 टीएमसीओ का संशोधन खोज व जल्दी से संबंधित पद्धति है जो कि मूल्य सूत्र निर्धारण व अनुपालन संबंधी है।

7.7 चाय निर्माण इकाई का पंजीकरण :

टीएमसीओ 1984 के प्रावधानों के तहत इच्छुक आवेदकों को कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ता था। टीएमसीओ 2003 में यह प्रावधान है कि टी बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त करने हेतु चाय विनिर्माण इकाईयों द्वारा पंजीकरण शुल्क (₹ 2500/- की दर से) जमा करना होगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड ने चाय विनिर्माण इकाईयों के पक्ष में 20 पंजीकरण प्रदान किए। 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान चाय विनिर्माण इकाई पंजीकरण से कुल संग्रहीत राशि ₹ 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) है।

7.8 नीलामी आयोजकों/नीलामी दलालों का पंजीकरण

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 का खण्ड 9 यह अनुबंधित करता है कि टी बोर्ड द्वारा प्राप्त लाइसेंस के अतिरिक्त कोई भी चाय नीलामी आयोजक अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक चाय नीलामी के आयोजन, होल्डिंग का व्यवसाय नहीं चला पाएगा। ऐसे अनुज्ञापन प्रतिवर्ष नवीकृत किए जाते हैं एवं प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक वैध रहता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड ने 06 (छह) नीलामी आयोजकों के पक्ष में कोई नया अनुज्ञापन जारी नहीं किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान नवीकरण हेतु कुल संग्रहीत राशि ₹ 3,000/- (तीन हजार केवल) (₹ 500/- की दर से) थी।



टीएमसीओ 2003 का खंड 10 यह अंकुशलगतता है कि टी बोर्ड से जारी अनुज्ञापन प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति चाय नीलामी केन्द्र में दलाली का व्यवसाय नहीं चला सकेगा। ऐसे अनुज्ञापन प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक वैध होगा एवं वार्षिक रूप से नवीकृत किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2012-13 के दौरान टी बोर्ड ने 20 दलालों के अनुज्ञापन नवीकृत किए एवं कोई भी स्वच्छ अनुज्ञापन दलालों के पक्ष में जारी नहीं किया गया। इस अवधि के दौरान कुल संग्रहीत राशि ₹ 10,000/- (दस हजार रूपए केवल) प्राप्त की गई।

7.9 ई-नीलामी की स्थिति जिसमें अखिल भारतीय नीलामी शामिल :-

पहली बार भारत में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का शुभारंभ हुआ। अन्य चाय उत्पादनकारी देशों में मैनुअल ढंग अर्थात् “आउट क्राई” प्रणाली के मार्फत नीलामी के माध्यम से चाय का विक्रय जारी रहा।

चाय की ई-नीलामी से फायदे :

- वेब आधारित नीलामी के चलते विक्रेताओं की व्यापक प्रतिभागिता।
- किसी भी नीलामी सभागार में सीमित जगह के कारण सीमित

संख्या में कायिक नीलामी प्रणाली में बोलीकर्ता/क्रेताओं की व्यापक प्रतिभागिता हेतु ई-नीलामी सुविधा प्रदान करती है।

- ई-नीलामी न्याय संगत मूल्यों को आश्वस्त करती चूंकि ई-नीलामी उत्पाद के गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक वांछित मूल्य स्तर पर आवश्यक उत्पाद क्रय करने हेतु क्रेता/बोलीकर्ता को सुविधा प्रदान करता है, उक्त उत्पाद के सामग्रिक मांग-पूर्ति स्तर को देखता है एवं किसी भी समय पर क्रय हेतु प्राप्त उत्पाद हेतु क्रेता के उच्चतम आवश्यकता सीमा के स्तर को सुविधा प्रदान करना।

- नीलामी क्रय सूचना के प्रसारण में सुधार।
- पूर्व नीलामी, नीलामी पद्धति व नीलामी कार्यकलापों के लिए संव्यवहार समय व लागत में कटौती।
- नीलामी इतिहास व उसके विश्लेषण का आसानी से उपलब्धिकरण हेतु क्रेताओं व अन्य स्टॉक होल्डरों को योजना मुहैया कराना।

17 जून, 2009 से चूर्ण कोटि के चाय हेतु 100 प्रतिशत ई-नीलामी के सीधे प्रसारण का प्रारंभ हो गया था। इसके अतिरिक्त 8 अप्रैल, 2010 से सीटीसी पत्ते की चाय हेतु 100 प्रतिशत ई-नीलामी का प्रारंभ हो गया है।

तालिका-3 लाईव ई-नीलामी का विवरण निम्नवत है:-

नीलामी केन्द्र	लाईव ई-नीलामी की स्थिति
कोलकाता	20/21 जुलाई 2011 से अर्थोडाक्स चाय पत्ती हेतु, 3 अप्रैल 2010 से सीटीसी पत्ती हेतु, मई 2012 से काँगड़ा चाय, एवं सभी चूर्ण हेतु 100% लाईव ई नीलामी
गुवाहाटी	5 जनवरी 2010 से सीटीसी पत्ती एवं अर्थोडाक्स पत्ती चाय एवं 20 मई 2009 से सभी चूर्ण चाय हेतु 100% लाईव ई-नीलामी
सिलीगुड़ी	8 अक्टूबर 2010 से पत्ती एवं चूर्ण चाय दोनों के लिए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक नीलामी
जलपाईगुड़ी	9 मई 2012 से पत्ती एवं चूर्ण चाय दोनों के लिए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक नीलामी
कोचीन	14 जुलाई 2009 से पत्ती एवं चूर्ण चाय दोनों के लिए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक नीलामी
कूनूर	7 जुलाई 2009 से पत्ती एवं चूर्ण चाय दोनों के लिए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक नीलामी
कोयम्बटूर	8 मई 2009 से पत्ती एवं चूर्ण चाय दोनों के लिए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक नीलामी
	** दार्जिलिंग पत्ती दस्ती तौर पर बेची जाती है।



तालिका-4 वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान ई-नीलामी के द्वारा चाय का विक्रय :-

नीलामी केन्द्र	अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013		अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012	
	मात्रा	मूल्य		मात्रा
कोलकाता लीफ	103996593.29	153.49	107907080.18	125.00
कोलकाता डस्ट	37498939.28	150.62	41944804.31	118.19
कुल कोलकाता	141495532.57	152.73	149851884.49	123.49
गुवाहाटी लीफ	85431633.66	135.76	85683596.70	109.01
गुवाहाटी डस्ट	36266906.23	140.16	39696837.46	106.67
कुल गोवाहाटी	121698539.89	137.07	125380434.16	108.26
सिलिगुड़ी लीफ	80943229.40	125.59	81141247.81	105.26
सिलिगुड़ी डस्ट	12516622.95	121.53	13111786.48	94.55
कुल सिलिगुड़ी	93459852.35	125.04	94250334.29	103.77
कोचीन लीफ	8984343.00	108.19	9227524.30	78.66
कोचीन डस्ट	48264992.30	100.51	46866858.90	82.09
कुल कोचीन	57249335.30	101.72	56094383.20	81.52
कूनूर लीफ	41084443.30	88.62	38242125.10	62.62
कूनूर डस्ट	16121132.25	90.79	16421421.04	65.62
कुल कूनूर	57205575.55	89.23	54663546.14	63.52
कोयम्बटूर लीफ	7425508.00	87.71	6343101.80	61.64
कोयम्बटूर डस्ट	11305031.40	92.40	11151559.20	67.27
कुल कोयम्बटूर	18730539.40	90.54	17494661.00	65.23
जलपाईगुड़ी लीफ	1756576.90	110.35		
जलपाईगुड़ी डस्ट	112936.50	104.88		
कुल जलपाईगुड़ी	1869513.40	110.02		
कुल योग	491708888.46	127.73	497737943.28	102.56

अखिल भारतीय नीलामी :-

टी बोर्ड फिलहाल अखिल भारतीय नीलामी की ओर आगे बढ़ ही है। जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक नीलामीयों को समान ऑनलाईन नीलामी मंच पर लाया जा सके ताकि सभी चाय नीलामी इस मंच द्वारा किया जा सके। ऐसे समान ऑनलाईन नीलामी मंच में सभी भौगोलिक बाधाओं को पार करने की क्षमता रखता है एवं भारत में चाय नीलामी/प्राथमिक चाय विपणन हेतु समान बाजार क्षेत्र को सुनिश्चित करता है।



भूमिका :-

- भारत में चाय की प्राथमिक विपणन हेतु समान बाजार क्षेत्र को सुनिश्चित करना तथा भूगोलीय बाधाओं को पार करने की क्षमता रखता है।
- चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश (2003) की धारा 13(1) (सी) यह वर्णित करता है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी देश के विभिन्न भागों में आयोजित सार्वजनिक चाय नीलामी की पद्धति में एकसमानता लाने के लिए निदेश जारी कर सकता है।

फायदे :-

- अखिल भारतीय ई-नीलामी किसी भी पंजीकृत क्रेता/विक्रेता को देश में कहीं से भी भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है।
- देश के विभिन्न केन्द्रों से नीलामीकर्ताओं की सहभागिता को बढ़ाता है जिससे प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार होता है।
- क्रेता एकल विंडो के द्वारा विभिन्न प्रकार के चायों की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे।

7.10 क्रेताओं का पंजीकरण

टीएमसीओं 2003 के खण्ड (4(1)) में यह अनुबंध है कि कोई भी क्रेता (भारत में चाय व्यापार के स्थान सहित) टी बोर्ड द्वारा अनुज्ञापित सार्वजनिक चाय नीलामी से चाय क्रय नहीं करेगा अथवा चाय के विनिर्माता से प्रत्यक्ष रूप से नहीं खरीदेगा जब तक कि उसके पास टी बोर्ड से प्राप्त विधिमाम्य पंजीकरण न हो।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र जो टी बोर्ड द्वारा एक बार ही प्रदान किया जाता है निलंबन नहीं होने की स्थिति तक विधिमाम्य रहता है। समीक्षाधीन अवधि

तालिका- 5, चाय में अनुज्ञेय स्वाद

स्वाद	% वजन द्वारा (अधिकतम)
वैनिलीन	8.5
इलायची	2.8
अदरक	1.0
बर्गामोट	2.0
नींबू	1.6
दालचीनी	2.0
उपयुक्त स्वादों का परस्पर मिश्रण	प्रत्येक स्वाद की मात्रा ऊपर विनिर्दिष्ट परिमाण से अधिक नहीं होनी चाहिए।

के दौरान 130 क्रेताओं ने टी बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त किया। कुल संग्रहीत राशि रू. 3,25,000/- (तीन लाख पच्चीस हजार रूपए केवल) थी।

7.11 स्वादयुक्त चाय विनिर्माताओं का पंजीकरण

घरेलू बाजार में स्वादयुक्त चाय की बिक्री लम्बे समय तक बन्द रही। इसका कारण नीलगिरि चाय एम्पोरियम बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश थे। भारत सरकार ने घरेलू बाजार में स्वादयुक्त चाय की बिक्री के मामले की जाँच की तथा खाद्य मानक की केन्द्रीय समिति के विशेषज्ञों से सलाह परामर्श करने के बाद चाय में अतिरिक्त स्वाद मिलाने को स्वीकार किया।

तदोपरान्त, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 7 दिसम्बर, 1994 को एक अधिसूचना सं. जी एस आर 847 (ई) के द्वारा पी.एम.ए. नियम, 1955 को संशोधित कर दिया। इस संशोधन के प्रावधानों के अनुसार स्वादयुक्त चाय बिक्री की शर्तें निम्नलिखित रूप में अधिसूचित की गई हैं।

i) स्वादयुक्त चाय केवल उन विनिर्माताओं द्वारा बेची जाएगी या विक्रय के लिए उपलब्ध करवा जाएगी जो टी बोर्ड द्वारा पंजीकृत हैं। लेबल पर पंजीकरण संख्या का उल्लेख होना चाहिए।

ii) इसे केवल पैकेटकृत अवस्था में बेचा जाना चाहिए जिसमें लेबल घोषणा निम्नवत हो (अ) स्वादयुक्त चाय स्वीकृत स्वाद का सामान्य नाम/प्रतिशत/पंजीकरण संख्या शुरूआत दौर में केवल एक ही स्वाद अर्थात् वैनिलीन ही 8.5 प्रतिशत की वजन तक स्वाद मिलाकर बेचने की अनुमति घरेलू बाजार के लिए दी गई थी। तत्पश्चात् भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. जीएसआर 689 (ई) दिनांक 26/10/1995 जारी कर वैनिलीन के अलावा कुछ और स्वाद मिलाने की अनुमति दे दी है एवं उन तत्वों को चाय के स्वाद में मिलाने की प्रतिशत का उल्लेख निम्नवत है :-



परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएफए नियम को दिनांक 11/10/1999 को अधिसूचना सं. जीएसआर 694 (ई) जारी कर पुनः संशोधित किया जिसकी प्रभावी तिथि 11/4/2000 है। उक्त अधिसूचना का उद्देश्य सभी प्राकृतिक स्वादों एवं प्राकृतिक स्वादों का अर्क पृथक रूप से अथवा संयुक्त रूप से मिलाने की अनुमति प्रदान करना शामिल है। “प्राकृतिक स्वाद एवं प्राकृतिक स्वादयुक्त अर्क” की परिभाषा उप नियम (ए) अथवा पीएफए नियम 63 में दर्शाया गया है। अन्य शर्तों जो उक्त अधिसूचना में विहित है वह यह है कि “स्वादयुक्त चाय विनिर्माताओं को स्वादयुक्त चाय के विपणन के पूर्व अपना पंजीकरण टी बोर्ड के समक्ष कराना अनिवार्य होगा”।

दिनांक 11/10/1999 में जारी अधिसूचना में निहित उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के पत्र सं. पी-1501/5/97 - पीएच (फूड) दिनांक 18/2/2000 में निम्नलिखित शर्तों को नियमबद्ध किया है :

क) चाय में स्वाद के प्राक्कलन हेतु कार्यविधि की आपूर्ति टी बोर्ड को विनिर्माताओं द्वारा किया जाएगा।

ख) सत्यापन हेतु सेण्ट्रल फूड लैबोरेटोरीज में विनिर्माता द्वारा आपूर्ति की गई कार्यविधि की जाँच की जाएगी।

ग) तदनुपरान्त विनिर्माताओं का पंजीकरण किया जाएगा।

वस्तुतः दिनांक 11/10/1999 को किए गए संशोधन का उद्देश्य वर्तमान प्रक्रिया के साथ संयोजन कर चाय स्वाद के इस्तेमाल के दायरे को बढ़ाने के

लिए एवं पीएफए के नियम 63 में उल्लिखित परिभाषा अपरिवर्तनीय है जो कि चाय सहित सभी खाद्य मद के लिए प्रयोज्य है। पीएफए नियम के नियम 63 में उल्लिखित परिभाषा से भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि खाद्य पदार्थ में जानवर मूल के स्वाद का प्रयोग करना, किन्तु जहाँ चाय का प्रश्न है वहाँ यह स्वाद मिलाया नहीं जा सकता क्योंकि इसे टी बोर्ड से पंजियन की शर्त लागू होती है एवं टी बोर्ड कभी ऐसे स्वाद को मिलाने की इजाजत नहीं देगा।

फिर भी, ऐसी शंकाओं से परहेज करने के लिए परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने पुनः पीएफए नियम में संशोधन एक अधिसूचना सं. जीएसआर 770 (ई) दिनांक 4/10/2000 जारी कर किया है। इसका उद्देश्य यह था कि केवल उन “प्राकृतिक स्वाद एवं प्राकृतिक स्वादयुक्त अर्क” का प्रयोग करना जो कि पौधों के मूल की सामग्री से प्रत्यक्ष प्रसंस्करण के लिए प्राप्त किया गया या तो मानव खपत के लिए प्रसंस्करण अथवा उनके प्राकृतिक स्वरूप से प्राप्त किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान 35 विनिर्माता टी बोर्ड सह सुगंधित चाय के रूप में पंजीकृत है एवं इस प्रयोजन हेतु कुल एकत्रित शुल्क रु. 2,01,000/- (दो लाख एक हजार रूपए) थी।

7.12 विस्तार/प्रतिस्थापना रोपण परमिट :

टी बोर्ड की अनुज्ञापन शाखा वर्तमान चाय संपदाओं का विस्तार तथा प्रतिस्थापन रोपण हेतु परमिट प्रदान करती है। नवागतों को भी चाय रोपण हेतु परमिट जारी किये जाते हैं। ऐसे परमिट चाय अधिनियम तथा चाय नियम के ढाँचे के अन्तर्गत प्रदान किए जाते हैं।

तालिका -6 वर्ष 2012-13 के दौरान जारी परमितों की स्थिति निम्नवत है:

कार्यालय-वार	विस्तार परमिट		प्रतिस्थापन परमिट	
	संख्या	(क्षेत्र हेक्टेयर में)	संख्या	(क्षेत्र हेक्टेयर में)
उत्तर भारत	3	32.21	40	1045.22
दक्षिण भारत	शून्य	शून्य	02	30.00
कुल अखिल भारत	3	32.21	42	1075.22

चाय रोपण हेतु अनुमति :

चाय संपदाओं के स्वाभित्व में परिवर्तन के अभिलेखीकरण सहित नवागत के रूप में चाय संपदाओं के पक्ष में चाय रोपण हेतु अनुमति अनुज्ञापन शाखा प्रदान कर रही है।



तालिका -7 वर्ष 2012-13 के दौरान रोपण चाय हेतु प्राप्त अनुमति की स्थिति निम्नवत है :

अ. अखिल भारत में चाय बागान का पंजीकरण	कुल	
	सं.	(क्षेत्र हेक्टर में)
क) गैर पारम्परिक चाय उत्पादन क्षेत्र (10.12. हे. तक)	162	340.17
ख) गैर पारम्परिक चाय उत्पादन क्षेत्र (10.12) हे.के ऊपर)	0	0
ग) अन्य गैर पारम्परिक चाय उत्पादन क्षेत्र (10.12) हे. तक)	635	997.101
घ) अन्य गैर पारम्परिक चाय उत्पादन क्षेत्र (10.12) हे. के ऊपर)	6	188.943

आ. स्वामित्व में परिवर्तन			कुल	
क्षेत्र	संख्या	राशि (₹)	संख्या	राशि (₹)
उत्तर भारत	08	40000/-	11	70000/-
दक्षिण भारत	03	30000/-		

7.13 चाय भंडारण अनुज्ञापन

चाय भंडारण (अनुज्ञापन) आदेश 1989 के तहत जारी चाय भंडारण अनुज्ञापन की देख-रेख अनुज्ञापन शाखा करती है।

क्षेत्र	₹ 1000/- पर जारी स्वच्छ अनुज्ञापन		₹ 200/- की दर से नवीकृत अनुज्ञापन		कुल
	संख्या	राशि (₹)	संख्या	राशि (₹)	
उत्तर भारत	38	38000/-	73	14600/-	52600/-
दक्षिण भारत	10	10000/-	48	9600/-	19600/-
कुल	48	48000/-	121	24200/-	72200/-

7.14 चाय परीक्षण प्रयोगशाला का सूचीयन

वर्ष 2012-13 के दौरान 01 नए चाय परीक्षण प्रयोगशाला के सूचीयन से कुल एकत्रित राशि ₹ 20,000/- (एक लाख तीस हजार केवल) थी। एवं 13 मामलों का नवीकरण किया गया एवं एकत्रित राशि ₹ 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार केवल) थी।



7.15 चाय परिषद

चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 एवं चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 की परिधि के तहत टी बोर्ड कई ऐसे उपाय लागू करती है ताकि विभिन्न देशों में बेहतरीन गुणवत्ता की चाय का निर्यात सुनिश्चित किया जा सके। भारत को चाय के मुख्य उत्पादक के रूप चाय निर्यात बाजार में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। अन्य देशों से बढ़त के क्रम में, जहाँ तक चाय निर्यात का संबंध है, टी बोर्ड ने चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 तथा चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 लागू किया है ताकि प्रस्तावित राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके। चाय परिषद, एक संस्थागत तंत्र है जिसमें सभी स्टेकहोल्डर एक अधिदेश सहित निर्यात एवं आयात प्रक्रिया में गुणवत्ता को महत्व देती है। इसकी संकल्पना टी बोर्ड द्वारा की गई थी। यद्यपि,

भारतीय भूमि से बेहतरीन गुणवत्ता की चाय के निर्यात के साथ ही देश से बाहर गुणवत्ता की चाय के आयात को आगे सुनिश्चित करने के लिए टी बोर्ड ने दो स्वतंत्र सलाहकारी निकायों को विकसित किया है तथा उत्तर भारत हेतु चाय परिषद एवं दक्षिण भारत हेतु परिषद, जो चाय के निर्यात एवं आयात का निरीक्षण करेगी एवं टी बोर्ड को समस्याओं के समाधान हेतु सलाह देगी।

उत्तर भारत हेतु चाय परिषद के मुख्य अध्यक्ष टी बोर्ड है, जबकि दक्षिण भारत हेतु चाय परिषद के मुख्य कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कूनूर है। दोनों ही परिषदों में चाय उद्योग से संबंधित सदस्य है जिसमें उत्पादक, निर्यातक एवं दलाल सदस्य शामिल है।

यह प्रक्रिया 01 जून 2013 से चालू होगा।



सांख्यिकी

प्रस्तावना

चाय बोर्ड की सांख्यिकी शाखा का प्राथमिक कार्य – उद्योग के सभी पहलुओं के संबंध में परिवहन एवं समावलोकन कर सांख्यिकी सूचना संग्रह करना तथा कृषि, उत्पादन, उत्पादकता, देश में उत्पादित चाय की किस्मों, प्राथमिक बाजार मूल्य, निर्यात एवं निर्यात हेतु गंतव्य स्थल, कर एवं चाय पर लगने वाले उपकर, चाय रोपण से संबद्ध श्रमिकों की नियुक्ति आदि के अंतर्गत सभी सूचनाओं को एकत्रित करना है। ऐसी सूचनाएं बोर्ड एवं उद्योग तथा भारत सरकार की नीति निर्णय प्रक्रिया में आवश्यक अभिसूचना उपलब्ध करवाता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य बिक्री कर, केन्द्रीय कर, निर्यात प्रोत्साहन, आयात-निर्यात नीति, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 इत्यादि की भी जाँच सांख्यिकी शाखा में होती है।

प्रकाशन :

सांख्यिकी शाखा का प्रकाशन यथा “चाय सांख्यिकी” जो चाय उद्योग, व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय चाय की परिस्थिति संबंधी समस्त सूचनाओं को संग्रह कर व्यापक रूप से तैयार किया जाता है।

साप्ताहिक नीलामी मूल्य, मासिक उत्पादन एवं निर्यात संबंधी सूचनाओं को बोर्ड के वेबसाइट www.teaboard.gov.in पर अपलोड किया जाता है।

चाय मूल्यों का अनुवीक्षण :

सांख्यिकीय शाखा क्रमशः रोपण फसलों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, को नीलामी मूल्य की अपेक्षित सूचनाओं का अनुवीक्षण उपलब्ध कराता है। विभिन्न शहरों/नगरों में चाय का खुदरा मूल्य का अनुवीक्षण भी सांख्यिकी शाखा द्वारा किया जाता है।

कर एवं शुल्क :

उत्पाद शुल्क : इंस्टैंट चाय पर 10 प्रतिशत यथा मूल्य जो कि शीर्ष 2101.20 के तहत आता है।

निर्यात शुल्क : शुन्य

आयात शुल्क : निर्यातान्मुख इकाई (इओयू) एवं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) इकाईयों द्वारा पुनः निर्यात के प्रयोजन हेतु आयातित चायों पर आयात शुल्क शून्य है। यद्यपि, घरेलू बाजार हेतु आयातित चायों पर प्राथमिक आयात शुल्क का 100 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अधिभार तथा प्राथमिक शुल्क एवं अधिभार पर 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क को आकर्षित करेगा (मार्च 2002 से)। प्रति कैलेण्डर वर्ष में श्रीलंका से 15 मि.कि.ग्रा. की मात्रा तक आयातित चाय पर प्राथमिक शुल्क का 7.5 प्रतिशत की रियायत के अलावा अन्य सामान्य अधिकार लागू रहेगा।

चाय उपकर : चाय. अधिनियम, 1953 की धारा 25(1) के तहत भारत में सभी चाय उत्पादनों पर उपकर लागू होता है। उपकर की दर दार्जिलिंग चाय पर 20 पैसे और अन्य सभी चायों पर 50 पैसे लगाया गया था।



2012-13 के दौरान चाय उद्योग एवं व्यवसाय की स्थिति


31.12.2012 तक क्षेत्रवार व 2012-13 में उत्पादन

राज्य/जिला	चाय के अधीन क्षेत्र (हजार हेक्टर में)	उत्पादन 2012-13 (मिलियन कि.ग्रा.)
असम	270.92	535.57
कछार	33.48	52.57
असम	304.40	588.14
दार्जिलिंग	17.82	10.09
डुआर्स	72.92	160.16
तराई	49.70	117.07
पश्चिम बंगाल	140.44	287.32
अन्य उत्तर भारतीय राज्य (त्रिपुरा, उत्तराखंड, बिहार, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम सहित)	12.29	17.92
कुल उत्तर भारत	457.13	893.38
तमिलनाडू	69.62	171.93
केरल	35.01	63.76
कर्नाटक	2.22	6.00
कुल दक्षिण भारत	106.85	241.69
अखिल भारत	563.98	1135.07

गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में चाय का उत्पादन

(मि.किग्रा. में)


वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
2010-11	728.52	238.21	966.73
2011-12	865.59	229.87	1095.46
2012-13	93.38	241.69	1135.07



2012-13 के दौरान भारत में श्रेणीवार चाय का उत्पादन


(मि.किग्रा. में)

श्रेणीवार	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
सी टी सी	827.61	195.07	1022.68
आर्थोडॉक्स (दार्जिलिंग + हरी)	65.77	46.62	112.39
कुल	893.38	241.69	1135.07



भारत से चाय का निर्यात
मात्रा मि.किग्रा में, रू. करोड़ में मूल्य, इकाई मूल्य रू./किग्रा.

वर्ष	उत्तर भारत			दक्षिण भारत			अखिल भारत		
	मात्रा	मूल्य	ई. मू.	मात्रा	मूल्य	ई. मू.	मात्रा	मूल्य	ई. मू.
2010-11	115.02	2045.21	177.81	98.77	950.58	96.24	213.79	2995.79	140.13
2011-12	118.74	2337.39	196.85	95.61	967.43	101.19	214.35	3304.82	154.18
2012-13	131.45	2907.34	221.17	84.78	1098.59	129.58	216.23	4005.93	185.26






भारत में चाय आयात

वर्ष	मात्रा (मि.कि.ग्रा)	सीआईएफ मू. (रु. करोड़)	इकाई मूल्य (रु./कि.ग्रा)
2010-2011	19.26	186.82	97.02
2011-2012	19.21	186.04	96.85
2012-2013	21.90	282.56	129.02

नीलामी में चाय का मूल्य :

वर्ष	उत्तर भारत		दक्षिण भारत		अखिल भारत	
	मात्रा. (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु. /कि.ग्रा.)	मात्रा. (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु. /कि.ग्रा.)	मात्रा. (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु. /कि.ग्रा.)
2010-11	330.47	120.18	150.11	68.37	526.58	105.40
2011-12	390.34	117.01	151.49	70.26	541.83	103.94
2012-13	362.09	142.09	150.27	93.75	512.36	127.91





चाय संपदाओं पर श्रमिकों की भूमिका :

राज्य	स्थायी श्रमिक			अस्थायी श्रमिक			कुल (स्थायी + अस्थायी)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
उत्तर भारत	310936	332868	643804	156087	226465	382552	467023	559333	1026356
दक्षिण भारत	30819	44795	75614	7444	13005	20449	38263	57800	96063
अखिल भारत	341755	377663	719418	163531	239470	403001	505286	617133	1122419

2012 में प्रमुख चाय उत्पादक देशों की उत्पादन की हिस्सेदारी

देश	2012	कुल उत्पादन (%) में हिस्सेदारी
चीन	1789.75	38.70
भारत	1126.33	24.36
केन्या	369.56	7.99
श्रीलंका	328.40	7.10
वियतनाम	190.00	4.11
तुर्की	147.00	3.18
इंडोनेशिया	137.25	2.97
बांगलादेश	62.16	1.34
मालावी	42.49	0.92
यूगाण्डा	57.94	1.25
तंजानिया	32.28	0.70
अन्य	341.47	7.38
कुल	4624.63	100.00



2012 में प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा निर्यात में हिस्सेदारी

देश	2012	कुल उत्पादन (%) में हिस्सेदारी
केन्या	430.21	24.22
चीन	321.79	18.11
श्रीलंका	306.04	17.23
भारत	208.26	11.72
वियतनाम	150.00	8.44
आर्जेन्टीना	76.84	4.33
इंडोनेशिया	70.07	3.94
यूगाण्डा	52.27	2.94
मालावी	41.83	2.35
तंजानिया	27.78	1.56
जिम्बाबे	8.00	0.45
बंगलादेश	1.51	0.08
अन्य	81.91	4.61
कुल	1776.51	100.00

स्रोत : आईटीसी वार्षिक बुलेटिन, 2013

बिक्री चाय का विश्व नीलामी मूल्य :

वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय मूल्य (यूएस\$/कि.ग्रा)					
	भारत	बांगलादेश	श्रीलंका	इंडोनेशिया	केन्या	लिम्बे
2010	2.29	2.61	3.28	1.82	2.54	1.58
2011	2.23	2.14	3.25	1.97	2.72	1.61
2012	2.28	2.40	3.07	1.97	2.88	1.70

चाय का वैश्विक मांग एवं आपूर्ति

वर्ष	वैश्विक उत्पादन	प्रत्यक्ष वैश्विक खपत	(+) या (-)
2010	4200	4053	147
2011	4453	4285	168
2012	4624	4440	184

स्रोत : आईटीसी वार्षिक बुलेटिन, 2013



श्रम कल्याण

प्रस्तावना

टी बोर्ड की श्रम कल्याण शाखा, चाय रोपण कर्मियों एवं उनके आश्रितों के हितार्थ मानव संसाधन विकास योजना का कार्यान्वयन करती है। योजना के माध्यम से विस्तृत सहयोग अनुपूरक प्रकृति की है और ये उन क्षेत्रों पर लागू होता है जहाँ रोपण श्रम अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं। समर्थित गतिविधियाँ बोर्ड के तीन शीर्षों के तहत आती है जैसे (1) स्वास्थ्य (2) शिक्षा एवं (3) प्रशिक्षण।

1. स्वास्थ्य

इस शीर्ष के तहत निम्नलिखित बिन्दु हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

1. चाय बागान में स्थित अस्पतालों एवं चाय बागान के समीपस्थ क्षेत्र में स्थित सामान्य अस्पतालों, निदानशालों द्वारा चिकित्सा उपस्कर/उपसाधन के प्रापण हेतु।

2. विशेषकर अपरंपरागत चाय क्षेत्रों में रोगियों को बागान से अस्पताल ले जाने हेतु एम्बुलेन्स का क्रय।

3. गंभीर बीमारियों जैसे-कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग इत्यादि के लिए रोपण कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा।

4. असम में चयनित चाय बागानों में यूनीसेफ प्रकार के शौचालय का निर्माण

5. उन संस्थानों के लिए पूंजीगत अनुदान जो चाय बागान जनसमूहों में से शारीरिक विकलांग व्यक्तियों हेतु पुनर्वास एवं चिकित्सा केन्द्र चलाते हैं।

6. विकलांग व्यक्तियों हेतु काठ की बैशाखी, कैलीपर जूते, कृत्रिम अंग (लकड़ी), श्रवण यंत्र, व्हील कुर्सी तथा हाथ से चलाए जाने वाले तिपहिया साईकिल आदि खरीदने हेतु सहायता।

वर्ष 2012-13 के दौरान उपलब्ध कराए गए सहयोग का विवरण निम्नवत है:

	इकाई/लाभार्थियों की सं.	रु/करोड़
i) यूनीसेफ मॉडल शौचालय	1600 इकाई	0.96
ii) अस्पताल/चिकित्सा निदानशाला का निर्माण	11 इकाई	0.44
iii) एम्बुलेंस	3 सं.	0.10
iv) असम के सोनीतपुर जिला में रोपण कर्मियों हेतु पेय जल शोधक की आपूर्ति	42090 निवास घरें	5.11
v) चिकित्सा उपस्कर	1 सं.	0.08
vi) विकलांग व्यक्तियों हेतु सहायता	1834 सं.	0.34
कुल	7.03	

पुनर्वास तथा चिकित्सा केन्द्र का विवरण जिन्हें अनुदान प्रदान किया गया है, निम्नवत है

1. **एस.बी.दे सेनेटोरियम** बोर्ड ने क्षयरोग से पीड़ित रोपण कर्मियों तथा उनके आश्रितों हेतु दार्जिलिंग, कार्सियांग, के एस.बी.दे सेनेटोरियम में 5 विस्तर आरक्षित कराए। उत्तर बंगाल में ये विस्तर चाय उत्पादक संघों को आबंटित किए जाते हैं जो इसके रखरखाव प्रभार का 1/3 भाग का बहन करते हैं। शेष 2/3 भाग टी बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है।

2. **रामलिंगम टी. बी. सेनेटोरियम** क्षय रोग से पीड़ित चाय बागान कर्मियों तथा उनके आश्रितों हेतु तमिलनाडू, पेरूनदुराई के रामलिंगम टी.बी.सेनेटोरियम में 17 विस्तर आरक्षित किए गए हैं। अस्पताल में ठहराव प्रभार को समय समय पर परिशोधित किया जाता है। 1.4.2011 से लागू प्रभार प्रति रोगी प्रति विस्तर की दर रु 92/- और एकमुश्त प्रवेश शुल्क रु 25/- है।

3. **कालिम्पोंग अनुमण्डलीय अस्पताल**: चाय संपदा के पार्श्वस्थ में चाय बागान कर्मियों एवं उनके आश्रितों के कुष्ठ रोग को उपचार हेतु कुष्ठ रोग स्कंध में 3 विस्तर आरक्षित किया गया है।

4. **लायन, के. के. सहारीया अस्पताल, डिब्रुगढ़ असम** : नजदीकी चाय संपदा के रोगियों सहित चाय संपदा के चाय रोपण कर्मियों



और उनके आश्रितों के रोगियों के उपचार सुविधा हेतु चिकित्सा उपस्कर के क्रय हेतु वर्ष के दौरान रु. 8.00 लाख की धनराशि का पूंजीगत अनुदान विनिर्मुक्त किया गया था।

5. **रौकलमुडी गार्डेन हॉस्पिटल, मुरुगली स्टेट बालपराड़े, तमिलनाडु** वर्ष के दौरान चिकित्सा उपस्कर के क्रय हेतु रु 2,13,735/- की धनराशि विनिर्मुक्त की गयी थी।

6. **लायन्स आई अस्पताल, जोरहाट:** वर्ष के दौरान अस्पताल भवन निर्माण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रु 1,54,613/- की धनराशि विनिर्मुक्त की गई।

1. शिक्षा :

चाय बागान कर्मियों की संतानों को प्राथमिक स्तर से आगे स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों, तथा पेशेवर संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षा वृत्तिका दी जाती है। रु 20,000/- प्रति वर्ष की सीमित वास्तविक ट्यूशन शुल्क और रु 20,000/- प्रति वर्ष तक सीमित छात्रावास प्रभार का 2/3 भाग का भुगतान किया जाता है। प्रति परिवार दो बच्चों को वृत्तिका दी जाती है बशर्ते कि पारिवारिक आय प्रति माह रु 10,000/- से अधिक न हो।

कक्षा X और XII में कम से कम 70-75% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रमशः रु 2,000/- तथा रु 2,500/- की दर से पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है बशर्ते कि परिवार की वार्षिक आय रु 1,20,000/- से अधिक न हो।

छात्रों को रु 1,000/- प्रति वर्ष की दर से पुस्तक और पोशाकों के लिए भी अनुदान दिया जाता है।

2.1 स्काउटिंग एवं गार्डिंग :

इस योजना का उद्देश्य रोपण कर्मियों के बच्चों में अनुशासन आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, भयमुक्ति की भावना पैदा करना और स्काउटिंग एवं गार्डिंग क्रियाकलापों को विकसित करना है। वित्तीय सहायता के अंतर्गत है: (1) चाय रोपण क्षेत्र में जिला स्काउट/गार्ड संगठकों हेतु वेतन एवं यात्रा भत्ता (2) विविध प्रशिक्षण कैम्पों के आयोजन हेतु प्रभार (3) चाय बागान के स्काउट/गार्ड/कब/बुलबुल हेतु पोशाक अनुरूप अनुदान (4) रैलियों, रैली सह कैम्पों, कैम्पों, जम्बुरी आदि के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने स्काउट व गार्डिंग क्रियाकलाप हेतु रु 0.19 करोड़ की राशि संवितरित की। वर्ष के दौरान 4774 सहभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

2.2 क्रीड़ा :

जिला स्तर/राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा आयोजनों में भाग लेने हेतु चाय बागान कर्मियों एवं उनके बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2012-13 के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण निम्नवत है।

	छात्रों/व्यक्तियों की सं.	रु/करोड़
i) शिक्षावृत्तिका	4512 छात्र	3.50
ii) नेहरू पुरस्कार	475 छात्र	0.09
iii) पुस्तक एवं पोशाक अनुदान	6035 छात्र	0.60
iv) टी बोर्ड छात्रवृत्ति	198 छात्र	0.02
v) स्काउट एवं गार्ड हेतु सहयोग	4774 व्यक्ति	0.19
vi) क्रीड़ा गतिविधि	27 व्यक्ति	0.01
vii) 11 वीं योजना अवधिके पूंजीगत अनुदान के लंबित मामले	5 ईकाईयों	0.68
कुल		5.09

2.3. स्कूल/महाविद्यालय/होटल भवन का निर्माण

11वीं योजना अवधि के दौरान संस्वीकृत पूंजीगत अनुदान के विरुद्ध लंबित दावों के पक्ष में वर्ष के दौरान निम्नलिखित संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था। 12 वीं योजना के बाद से विषयगत गतिविधियों हेतु अनुदान को बंद कर दिया गया है।

1. **सिमकुना साईं जूनियर हाई स्कूल, घूम, दार्जिलिंग:** कक्षा के निर्माण हेतु अनुदान की तृतीय/अंतिम किस्त के रूप में रु 1,92,025 की राशि विनिर्मुक्त किया गया था।
2. **बोरहट बी.पी.बी.मेमोरियल कॉलेज, पी.ओ. बोरहट, असम:** कार्यालय सह कक्षा के निर्माण हेतु अनुदान की तृतीय किस्त के रूप में रु 1,86,375 की राशि विनिर्मुक्त किया गया।
3. **समागुडी जूनियर कॉलेज, समागुडी असम:** कॉलेज भवन के निर्माण हेतु अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में रु 6.00 लाख की राशि विनिर्मुक्त की गई।
4. **श्री बांगुर हाई स्कूल, डिब्रुगढ़, असम :** स्कूल भवन निर्माण हेतु अनुदान का द्वितीय किस्तके रूप में रु 1,80,075/- की राशि विनिर्मुक्त की गई।
5. **जेडीएसजी कॉलेज (जोगानन्दा देवा सत्राधीका स्वामी कॉलेज) बोकारक्ट, असम:** कक्षा कमरा के निर्माण हेतु अनुदान का प्रथम किस्त के रूप में रु 4,37,500/- की राशि।



6. नाकाचारी जुनीयर कॉलेज, नाकाचारी, जोरहट, असम: कॉलेज भवन के निर्माण हेतु पुंजीगत अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में रु 6,30,000/- की राशि।
7. फिलोबाडी हाई स्कूल, तिनसुकिया, असम : विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण हेतु अनुदान की द्वितीय किस्त के रूप में रु 2,22,057/- की राशि।
8. कुमबरग्राम हाई स्कूल, कछार, असम : स्कूल भवन हेतु अनुदान की द्वितीय किस्त के रूप में रु 2,10,000/- की राशि।
9. टाईगबीर हेम बरुआ कॉलेज, जाम गुरीहट, सोनितपुर : कॉलेज भवन हेतु पुंजीगत अनुदान की तृतीय किस्त के रूप में 2,00,000/- की राशि।
10. शिक्षा संघ हाई स्कूल, लेबोंग दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल : स्कूल भवन हेतु अनुदान का द्वितीय किस्त के रूप में 3.00 लाख की राशि।
11. जुधाबीर हाई सेकेण्डरी स्कूल, दार्जिलिंग, स्कूल भवन हेतु अनुदान की द्वितीय किस्त के रूप में रु 2,99,250/- की राशि।
12. रंगाचकुवा हाई सेकेण्डरी स्कूल, सोनितपुर असम : स्कूल भवन हेतु अनुदान की तृतीय किस्त के रूप में रु 3,00,000/- की राशि।
13. सोनारी कॉमर्स कॉलेज, सोनारी, शिवसागर असम: कॉलेज भवन हेतु अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में रु 5,50,033/- की राशि।
14. कालीघोला एम.ई. स्कूल, उदलगुड़ी असम : स्कूल भवन हेतु पुंजीगत अनुदान की प्रथम किस्त (50%) के रूप में रु 5,62,275/- की राशि।
15. देव पब्लिक स्कूल पालमपुर: स्कूल भवन हेतु पुंजीगत अनुदान की द्वितीय किस्त के रूप में रु 3,00,000/- की राशि।
16. रवीन्द्रनाथ एच. एस. स्कूल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल: स्कूल भवन हेतु अनुदान की द्वितीय किस्त के रूप में रु 2,86,52/- की राशि।
17. डोलोनगुड़ी एच.एस. स्कूल, सोनितपुर, असम: स्कूल भवन हेतु अनुदान की तृतीय किस्त के रूप में रु 1,17,235/- की राशि।
18. सेंट एण्टोनी हाई सेकेण्डरी स्कूल, कूनूर: स्कूल भवन हेतु अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में 6,00,000/- की राशि।
19. घूम गर्लस एच.एस. स्कूल, घुम, दार्जिलिंग: स्कूल भवन हेतु अनुदान की द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में रु 6,00,000/- की राशि।

2.4. जलपाईगुड़ी पॉलीटेक्निक संस्थान में भर्ती:

जलपाईगुड़ी पॉलीटेक्निक संस्थान, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में

डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान चाय बागान कर्मियों की संतानों को भर्ती कराने हेतु तीन सीटें आरक्षित की गई हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इन आरक्षित सीटों पर चाय बागान कर्मियों के तीन-बच्चों को उनके प्रतिभा के आधार पर चयनित किया गया।

3. प्रशिक्षण :

वर्ष के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे: मोबाईल व सीडी/डीवीडी मरम्मत, फेब्रीकेशन, थैला निर्माण, प्लम्बींग, राजगीरी, इलेक्ट्रीकल/टीवी मरम्मत, बढईगीरी, दो खान शौचालय का निर्माण, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, एस ड्राग्स, मध्यजन्य रोग इत्यादि में प्रशिक्षण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। चाय बागान कर्मियों की 9638 संतानों ने पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया।

चाय बागान कर्मियों साथ ही साथ उनके बच्चों हेतु बोर्ड के उपलब्ध विविध कल्याणकारी उपायों के प्रति कर्मियों में जागरूकता सृजन हेतु अनेकों जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं। अभियान में 633 व्यक्ति उपस्थित हुए।

आईआईपीएम, आईटीए, टीएआई, डीटीए, कृषि विश्व विद्यालय तथा टीआरए के सहयोग से चाय बागान प्रबंधकों के हितार्थ वर्ष के दौरान अनेकों बैठकें/संगोष्ठियाँ आयोजित की गई थी। 588 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।

वर्ष 2012-2013 के दौरान प्रशिक्षण हेतु किए गए व्यय का विवरण निम्नवत है:

	लाभार्थियों की सं.	रु/करोड़
i) नई दक्षता में कर्मियों हेतु अल्पकालीन प्रशिक्षण	9638 व्यक्ति	0.20
ii) कर्मियों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु अभियान का आयोजन	693 व्यक्ति	0.39
iii) बैठकें/संगोष्ठियाँ	588 व्यक्ति	0.04
कुल		0.63

लेखा वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए व्यय का सारांश

क्रियाकलाप	रु/करोड़
1. स्वास्थ्य	7.03
2. शिक्षा	5.09
3. प्रशिक्षण	0.63
4. विविध व्यय	1.56
कुल	14.31



हिन्दी कक्ष

प्रस्तावना

26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होते ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिन्दी भारत संघ की राजभाषा बनी। भारत सरकार को यह दायित्व दिया गया कि वह राजभाषा हिन्दी का प्रचार एवं विकास इस प्रकार करें कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिन्दी भाषा के प्रयोग हेतु सतत प्रयास करना अति आवश्यक था। अपनी स्थापना के समय से ही बोर्ड का हिन्दी कक्ष राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके तहत बनाये गए नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य का दायित्व निभा रहा है।

10.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन

वर्ष 2012-13 के दौरान रा. भा. अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में विहित सभी प्रलेख द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक साथ जारी किए गए।

10.3 हिन्दी पुस्तकों का क्रय

राजभाषा कार्यान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने तथा हिन्दी शिक्षण हेतु संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए हिन्दी कक्ष द्वारा एक हिन्दी पुस्तकालय चलाया जा रहा है। वर्ष के दौरान मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ₹ 35,000 की पुस्तकें खरीदी गईं। इनमें संदर्भ साहित्य एवं शब्दावली/कोश आदि सम्मिलित है।

10.4) हिन्दी में पत्राचार

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिये गए। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सघन प्रयास किये गए।

10.5) हिन्दी में रिपोर्टें

संसद में रखे जानेवाले सभी प्रतिवेदन जैसे वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि हिन्दी में भी तैयार किए गए। इसके अलावा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें एवं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें भी हिन्दी में तैयार किए गए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यान्वयन, कार्यालय गृह मंत्रालय, राजभाषा, कोलकाता को इनका नियमित रूप से प्रेषण किया गया।

10.6) हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

वर्ष के प्रत्येक तिमाही के दौरान उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान अथवा प्रवीणता प्राप्त है, को राजभाषा कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों से आगत प्रवक्ताओं ने सत्र संचालित किए। इसके फलस्वरूप कर्मिकों में व्यवहारिक/प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रति अभिरूचि पैदा हुई।

10.7) हिन्दी प्रशिक्षण

बोर्ड के अप्रशिक्षित कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ कर्मचारियों को प्रवीण और प्राज्ञ के लिए नामित किया गया।

10.8) हिन्दी सप्ताह का आयोजन

राजभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा कामकाज में इसे बढ़ावा देने हेतु मार्च, 2013 में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए।

10.9) 2012-13 हेतु वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन

राजभाषा संकल्प 1967 के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रसार एवं विकास और कार्यालयी उद्देश्य हेतु इसके क्रमिक प्रयोग में गति लाने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम जारी करता है। वर्ष 2012-13 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम की एक कड़ी है जिसके द्वारा कार्यालयी संव्यवहार में हिन्दी के प्रयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। निर्धारित लक्ष्यों की कुछ हद तक प्राप्ति हुई है। फिर भी बोर्ड में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना जारी है।

10.10) बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित हुईं, जिसमें उपयोगी निर्णय लिए गये।



10.11) द्विभाषी कम्प्यूटरों का प्रावधान

समीक्षाधीन वर्ष में बोर्ड के मुख्यालय में सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी साफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए।

10.12) कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी प्रयोग हेतु प्रोत्साहन योजना

हिन्दी के प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से टी बोर्ड ने मुख्यालय साथ ही साथ भारत में क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रोत्साहन योजना का प्रचार एवं प्रसार किया। अधिकारी एवं कर्मचारी इस योजना से लाभांवित हुए। 18 कर्मचारियों ने इस योजना में हिस्सा लिए और कुछेक कर्मचारियों के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

10.13) तिमाही प्रगति रिपोर्ट

टी बोर्ड, मुख्यालय द्वारा नियंत्रित सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों ने विहित प्रपत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट भेजी। इनकी समीक्षा हुई तथा कमियों को दूर करने हेतु कार्रवाई की गई।

10.14) क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण

वर्ष 2012-13 के दौरान टी बोर्ड के मुख्यालय के कतिपय अनुभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली का निरीक्षण किया गया।

10.15) विशेष उपलब्धियाँ

वर्ष के दौरान बोर्ड वेबसाईट का द्विभाषिकरण कर लिया गया। टी बोर्ड मुख्यालय, कोलकाता को राजभाषा के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।



आपूर्ति शाखा

टी बोर्ड, चाय उद्योग को विभिन्न इनपुटों यथा, रासायनिक उर्वरक एवं अन्य इनपुटों की अधिप्राप्ति, आवागमन एवं संवितरण संबंधी मामलों में सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए हैं।

1. उर्वरक :

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आवश्यकता के आधार पर टी बोर्ड द्वारा चिह्नित चाय उद्योग के लिए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा उर्वरक आबंटित किया जाता है। चाय बागानों का आबंटन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है, पहली खरीफ के लिए (अप्रैल से सितम्बर) एवं दूसरी रबी के लिए (अक्टूबर से मार्च)।

आपूर्ति :

बोर्ड सहित में उपलब्ध सूचना के अनुसार चाय बागानों में प्रयोग किये जाने वाला अन्यतम महत्वपूर्ण उर्वरक में नियंत्रित उर्वरक (यथा यूरिया) पश्चिम बंगाल (तथा उत्तर पूर्वी) के चाय बागानों को निम्नलिखित विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति किया गया यथा (1) इंडियन फामर्स फर्टिलाइजर को-अपरेटिव लिमिटेड (आईएफएफसीओ) (2) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (वीवीएफसीएल) एवं (3) नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एनएफसीएल) जो निम्नवत है। प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 अवधि के दौरान प्रत्येक के द्वारा असम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल के चाय बागानों को आपूर्ति की गई यूरिया की मात्रा नीचे सारणी में दी गई है :-

(मै.ट. में आँकड़े)

उर्वरक	वर्ष 2012-13 के दौरान आपूर्ति यूरिया की मात्रा							
	असम		पश्चिम बंगाल		त्रिपुरा		कुल	
विनिर्माता/आपूर्ति कर्ता का नाम	उर्वरक	न्यूट्रियेन्ट	उर्वरक	न्यूट्रियेन्ट	उर्वरक	न्यूट्रियेन्ट	उर्वरक	न्यूट्रियेन्ट
बीवीएफसीएल	51,366.3	23628.5	5056.2	2326.0	539.3	248.0	56,961.8	26,202.5
एनएफसीएल	---	---	6830.0	3142.0	6,830.0	3,142.0
कुल	51,366.3	23628.5	11,886.2	5468.0	539.3	248.0	63,791.8	29,344.5



2. रॉक फॉस्फेट

एक अन्य महत्वपूर्ण उर्वरक (अर्थात् रॉक फॉस्फेट) जिसे सामान्यतः मसूरी फॉस तथा पुरुलिया फॉस भी कहा जाता है, चाय बागानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मसूरी फॉस की आपूर्ति सामान्यतः मेसर्स पाईराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड (पीपीसीएल) द्वारा किया जाता है जबकि पुरुलिया फॉस की आपूर्ति पश्चिम बंगाल मिनरल डेवेलपमेन्ट व ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एम.डी.टी.सी.एल) द्वारा किया जाता है।

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान मसूरी फॉस की आपूर्ति पीपीसीएल द्वारा नहीं की गई। यद्यपि, पश्चिम बंगाल के तहत पूर्वी क्षेत्र एवं असम तहत उ. पूर्वी क्षेत्रों में पुरुलिया फॉस की आपूर्ति डब्ल्यूबीएमडीटीसीएल द्वारा की गई है :-

(मै.ट. में आँकड़े)

असम		पश्चिम बंगाल		कुल	
उर्वरक	न्यूट्रियेन्ट	उर्वरक	न्यूट्रियेन्ट	उर्वरक	न्यूट्रियेन्ट
---	---	710	155	710	155

नियंत्रित उर्वरक के अतिरिक्त आपूर्ति शाखा अनियंत्रित उर्वरक यथा एमओपी, डीएपी, एसएसपी, कम्प्लेक्सस आदि की कम पूर्ति की समस्याओं को भी देख रहा है जिसे असम व अन्य राज्यों (उत्तर पूर्वी अंचल के अधीन) व पश्चिम बंगाल (पूर्वी अंचल के अधीन) में प्रयोग किया जाता है।

3. अन्य गतिविधि :

आपूर्ति शाखा अनुप्रयोगों पर चाय उत्पादन कर्ताओं के बीच उर्वरक का वितरण पर सभा/बैठकों का आयोजन करती है एवं उर्वरक को की अंतिम पूर्ति जैसे मामलो को चाय बागानों से समय-समय पर उठाया जाता है।



मानव संसाधन विकास

टी बोर्ड, के मुख्यालय, कोलकाता के मानव संसाधन कक्ष एवं अन्य विभागों द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों, व चाय उद्योग के हितधारकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियाँ आदि समय-सम पर आयोजित की जाती है।

वर्ष 2012-13 के दौरान चाय बोर्ड के मानव संसाधन विकास सम्बंधी निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गई :-

1. नवम्बर, 2012 के दौरान 1.91 लाख रु की लागत पर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) द्वारा सांख्यिकीय पद्धतियों पर टी बोर्ड, मुख्यालय में 22 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2. सितम्बर से दिसम्बर 2012 के बीच 1.22 लाख रु.की लागत पर मेसर्स एक्स फैक्टर, कोलकाता द्वारा टी बोर्ड, मुख्यालय में 32 कर्मचारियों को अभिप्रेरक प्रशिक्षण दिया गया।

3. मई से नवम्बर, 2012 तक कोलकाता, जोरहाट, गोलाघाट, सिलीगुड़ी, बिन्नागुड़ी, डिब्रुगढ़ एवं सिल्चर में टी बोर्ड द्वारा चाय में खाद्य सुरक्षा मानकों व गुणवत्ता के रख-रखाव हेतु खाद्य सुरक्षा विनियमों पर सात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहाँ विनिर्माताओं, बीएलएफ, व्यवसायियों, नीलामीकर्ताओं ने भाग लिया।

4. 15 जून, 2012 एवं 15 दिसम्बर, 2012 में डीटीआर एवं डीसी द्वारा दार्जिलिंग के लघु चाय रोपणकर्ताओं के लिए दो कार्याशालाओं का आयोजन किया गया। चाय की खेती के विभिन्न पहलूओं से सम्बंधित तकनीकी विवरणों को लघु चाय रोपणकर्ताओं तक फैलाना इस कार्यशाला का उद्देश्य था। दार्जिलिंग से 100 से भी ज्यादा ल.चा.रो. ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

5. दिसम्बर, 2012 में प्रशासनिक व वित्तीय समामलों इत्यादि से सम्बद्ध बोर्ड के एनपीएस (नयी पेंशन योजना) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एनएसडीएल द्वारा किया गया, जिसमें टी बोर्ड, मुख्यालय के दो विभागों से दो 02 कर्मचारियों ने भाग लिया।

6. बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लाभार्थ हृदय व मधुमेह रोग हेतु मुफ्त स्वास्थ्य जाँच कैम्प का आयोजन बोर्ड के सभागार में 12.01.2013 में किया गया। स्वास्थ्य जाँच का आयोजन पियरलेस अस्पताल, कोलकाता द्वारा किया गया। स्वास्थ्य जाँच का आयोजन पियरलेस अस्पताल, कोलकाता द्वारा किया गया।



सतर्कता प्रकोष्ठ

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। सतर्कता प्रकोष्ठ के सामग्रिक कार्यकलापों को मुख्य सतर्कता अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन किया जा रहा है। उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सतर्कता प्रकोष्ठ के कुल दो कार्याधिकारी हैं। सतर्कता प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य है सरकार/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित करना, जिसे नियमित रूप से अनुपालित किया जाता है। सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के साथ-साथ सरकार को मासिक व तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। मुख्य सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशानुसार बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के सलाह पर निविदा और निवारक सतर्कता संबंधी सभी पहलुओं का अनुसरण बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड के विधि अधिकारी ही सतर्कता अधिकारी के रूप

में कार्य करते हैं जो संपर्क प्रबंधन कार्य के लिए उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ बोर्ड के सामग्रिक सतर्कता निगरानी का भी कार्य करता है। सतर्कता प्रकोष्ठ का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य; केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना है, जिसमें चाय बोर्ड के सभी कार्याधिकारियों को चाय बोर्ड की बुनियादी सतर्कता मिशन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए दक्षता एव पारदर्शिता रूपी शपथ-संदेश के माध्यम से उन्हें शपथ दिलायी जाती है। वर्ष के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जिसपर अनाम शिकायती होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज की तिथि तक कोई भी सतर्कता मामला इस प्रकोष्ठ में लंबित नहीं है।



विधि प्रकोष्ठ पर वर्ष 2012-13 हेतु रिपोर्ट (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

चाय बोर्ड का विधि प्रकोष्ठ, विधि अधिकारी के अधीन कार्य करता है। उनकी सहायता अन्य कर्मचारीयों द्वारा की जाती है। चाय बोर्ड का विधि प्रकोष्ठ बोर्ड के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अग्रेषित सभी विधिक मामलों का पर्यवेक्षण करता है। प्रकोष्ठ बोर्ड के सॉलिसिटर मेसर्स फॉक्स एंड मण्डल, राजेश खेतान एंड कं०, के. एण्ड एस. पार्टनर्स व अन्य विधिक सलाहकारों के साथ बोर्ड की और से सम्पर्क स्थापित करता है। यह प्रकोष्ठ बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी सभी मामलों की भी देखभाल करता है, कानूनों के अधीन इसमें बोर्ड द्वारा पंजीकृत भारत एवं विदेश में

विभिन्न लोगो चिह्न/शब्द चिह्न शामिल है। यह प्रकोष्ठ नियत समय के भीतर सूचना का अधिकार 2005 के तहत आवेदनों के निपटान व अपील करने के लिए उत्तरदायी है साथ ही मंत्रालय को मासिक एवं वार्षिक विवरण भेजने के लिए भी उत्तरदायी है। दिनांक 01.04.2012 तक 44 मामले लंबित थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पाँच नए मामले आए जिनमें पाँच का निपटारा किया जा चुका है इनमें से चार मामले बोर्ड के विरुद्ध गए एवं दिनांक 31.03.2013 तक कुल मामलों की संख्या 44 थी।



अनुलग्नक - I

01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान सदस्यों की तालिका :-

1. श्री एमजीवीके भानू, आईएएस, अध्यक्ष, टी बोर्ड, 17.11.2011 से। अंबालावयल-673593 वाइनाद, केरल
2. मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, असम सरकार, दिससुप, गुवाहाटी-6 17. श्री रजिन्द्र सिंह ठाकुर, पी.ओ. -खलेट, तहसील - पालमपुर, जिला - कांगड़ा, पिन - 176061, हिमाचल प्रदेश
3. सचिव (निवेश संवर्धन), उद्योग विभाग, केरल सरकार, सचिवालय, निरूवनथपुरम, केरल - 695001 18. श्री शंकर मालाकार, अध्यक्ष, दार्जीलिंग जिला काँग्रेस समिति, बाबूपाड़ा, सिलीगुड़ी, जिला - दार्जीलिंग, पिन -734001, पश्चिम बंगाल
4. आयुक्त व सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतला - 799001 19. श्री कोशी बेबी, गुहलूर बाजार, नीलगिरि-जिला, पिन - 643212, तमिलनाडु
5. मुख्य सचिव, सुक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग विभाग, तमिल नाडु सरकार, चेन्नई - 600009 20. श्री ए. के. मोनी, पूर्व विधायक, टॉप स्टेशन रोड, मुन्नार, पी. ओ.-इडुक्की, पिन-685612, केरल
6. मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, 4, कैमेक स्ट्रीट, कोलकाता - 700017 21. श्री आलोक चक्रवर्ती, सचिव, आईएनटीयूसी, पश्चिम बंगाल शाखा, "पुतुल घर" दूर्गापुरी, सिलीगुड़ी, पी.ओ.-प्रधान नगर, पिन - 734001, पश्चिम बंगाल
7. मुख्य सचिव, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला - 171002, हिमाचल प्रदेश 22. श्री. डी. पी.राय, सदस्य, पश्चिम बंगाल विधान सभा, जलपाईगुड़ी-785101, पश्चिम बंगाल
8. श्री पी. विश्वनाथन, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा, एफ-9, बार्शल ब्लॉक, वसुंधरा, रेसिडेन्शियल एनक्लेव, अंदालपुरम, मौराई - 625003 तमिल नाडु 23. श्री समीर राय, स्टेशन रोड, जलपाईगुड़ी - 735101, पश्चिम बंगाल
9. श्री राजेन गोहेन, संसद सदस्य, लोकसभा, 185, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001 24. श्री एस. रामू, पीएचडी, डोडाकोम्बो टी फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, स्नौडोन टी फैक्ट्री, सं-9, स्पिंगफीसड, कूनूर - 643101, नीलगिरि, तमिल नाडु
10. श्री तारिनी कान्त राय, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा, 198, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली - 100001 25. डॉ. अजित कुमार अगरवाला, अगरवाला हाउस, सेकेण्ड माइलस्टोन, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी
11. श्री दिनेश कु. शर्मा, नायब अध्यक्ष, टी बोर्ड, एवं सभापति, अखिल असम लघु चाय रोपण संस्थान, लचित नगर, पोस्ट-रूपाई साईडिंग-786153, जिला-तिनसुकिया, असम 26. श्री एम. चंद्रकांत, एमडी, गोलाचा टी प्लानटेशन प्राइवेट लिमिटेड, क्रं.सं.-169, द आइलैंड, प्लैट-इ/216, वाकड़ पेट्रोल पंप के विपरीत, वाकड़, पुणे - 411057
12. अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ, "रॉयल एक्सचेंज", 6, एन.एस. रोड, कोलकाता - 700001 27. श्री हिरणय बोरा, घर सं. - 36, तरुण नगर, बाइ लेन-4, गुवाहाटी, असम-781005
13. श्री जी. जे अनचरील, सभापति दक्षिण भारत संगठित रोपण संघ, "ग्लोबलव्यू" कूनूर-643101, नीलगिरि, तमिलनाडु 28. श्री अंशुमन कनोरिया, 10, प्रिंसेप स्ट्रीट, कोलकाता - 700022
14. श्री जे. एल. बूटेल, कांगड़ा घाटी लघु चाय रोपण संघ, कांगड़ा घाटी टी इस्टेट, गोपालपुर, जिला-कांगड़ा, पिन -176059 हिमाचल प्रदेश 29. श्रीमती बरनाली दे मोहन्ता, सी/ओ-श्रमती गीता दे, दे लॉज, नजरुल सारणी, आश्रम पाड़ा, सिलीगुड़ी, पिन-734401
15. श्री अक्षय कुमार राजखोवा, 4-ए, अदिति अपार्टमेंट, मानिकनगर, बाय-लेन 2 (दायें), गुवाहाटी - 781005, असम 30. श्रीमती चित्रा रमेश, 801, ए ब्लॉक, आरएनएस शांति निवास अपार्टमेंट, टुमकुर रोड, यशवंतपुर, बेंगलुरु - 560022
16. श्री पी. वी. बालचंद्रन, अध्यक्ष : जिला काँग्रेस समिति, पी.ओ. नारिकुंडु, 31. संजीव सरिन, क्षेत्रीय अध्यक्ष - दक्षिण एशिया, टाटा ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड-62, III क्रॉस, II फेज, इंडस्ट्रियल सबअर्ब, यशवंतपुर, बेंगलुरु



बोर्ड के विशेष अतिथि :-

1. प्रतिनिधि, भारत सरकार, बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, 'उद्योग भवन' नई दिल्ली-110 107
2. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई), 'एनईडीएफआई हाउस', जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006, असम
3. अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ, 6, एन. एस. रोड, कोलकाता - 700001
4. श्री बिजय गोपाल चक्रवर्ती, अध्यक्ष, कांफेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल टी ग्रोवर्स एसोसिएशन (सीआईएसटीए), 20, कॉलेज पाड़ा, पी.ओ. व जिला - जलपाईगुड़ी, पिन - 735101, पश्चिम बंगाल
5. अध्यक्ष, यूनाइटेड रोपण संघ, दक्षिण भारत (उपासी - चाय समिति), 'ग्लिनव्यू', कूनूर - 643101, नीलगिरी, तामिलनाडु
6. अध्यक्ष, दार्जिलिंग चाय संघ (डीटीए), 6, एन. एस. रोड, कोलकाता
7. श्री डि.पी. महेश्वरी, अध्यक्ष, चाय अनुसंधान संघ (टीआरए), 113, पार्क स्ट्रीट, 9 वां तल, कोलकाता -700016
8. श्री विद्यानंद बारकाकोटी, संयुक्त फोरम, एटीपीए, एनईटीए व बीसीपी, ए.टी. रोड, ताराजन, जोरहाट, पिन - 785001, असम
9. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टी ट्रेडर्स एसोसिएशन (एफएआईटीटीए), गिरनार कम्प्लेक्स, कुरेशी नगर कुरई पूर्व, मुम्बई-400 070
10. निदेशक (प्रवर्तन) भारत सरकार, फुड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई), स्वास्थ्य एवं पिरवार कल्याण मंत्रालय, 'एफडीए भवन', कोल्हा रोड, नई दिल्ली-10002

(वर्ष 2012-2013 की अवधी के दौरान कार्यपालक समिति की सभा 22-06-2012, 25-09-2012 एवं 31-03-2013 को आयोजित हुई थी)



अनुलग्नक - II

वर्ष 2012-2013 के लिए स्थायी समिति का गठन (31 मार्च, 2013 तक)

I. कार्यपालक समिति :-

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, (पदेन अध्यक्ष, समिति)
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा, नायब अध्यक्ष, टी बोर्ड सभापति, अखिल असम लघु चाय, लचित नगर, पोस्ट-रूपाई साईडिंग - 786153 तिनसुकिया, असम
3. श्री राजेन गोहेन, संसद सदस्य, लोक सभा, 185, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली - 110011
4. श्री जे. एल. बूटेल, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड, एवं अध्यक्ष, कांगड़ा चाय रोपण समिति, कांगड़ा घाटी चाय भू - संपत्ति, गोपालपुर, जिला-कांगड़ा, पिन - 176059, हि०. प्र.
5. श्री डी. पी राय, सदस्य, पश्चिम बंगाल विधान सभा, जलपाईगुड़ी - 785101, पश्चिम बंगाल
6. अध्यक्ष, भारतीय चाय संगठन, "रॉयल एक्सचेंज", 6, एन.एस. रोड, कोलकाता - 700001
7. श्री शंकर मालाकार, अध्यक्ष, दार्जिलिंग जिला कॉंग्रेस समिति, सदस्य एआईसीसी, बाबूपाड़ा, सिलीगुड़ी, पिन-734001, पश्चिम बंगाल
8. श्री कोशी बेबी, 11/157 पुदुमाना, कालीकट रोड, गुडलूर बाजार, पी.ओ. - 643212, नीलीगीरी जिला, तमिल नाडु
9. श्री अंशुमान कनोरिया, 10, प्रिंसेप स्ट्रीट, कोलकाता - 700072

(वर्ष 2012-2013 की अवधि के दौरान कार्यपालक समिति की सभा 22-06-2012, 25-09-2012, 01-12-2012 एवं 31-03-2013 को आयोजित हुई थी)

II. श्रम कल्याण समिति :-

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, (पदेन अध्यक्ष, समिति)
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा, नायब अध्यक्ष, टी बोर्ड, एवं सभापति, अखिल असम लघु चाय रोपण संस्थान, लचित नगर, पोस्ट रूपाई साईडिंग-786153, जिला-तिनसुकिया, असम
3. श्री तारिनी कान्त रा, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा, 198, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-100001
4. श्री रजिन्द्र सिंह ठाकुर, खलेट टी एस्टेट, पी.ओ। - खलेट, तहसील-पालामपुर, जिला-कांगड़ा, पिन-176061, हिमाचलप्रदेश
5. श्री ए. के. मोनी, पूर्व विधायक, टॉप स्टेशन रोड, मुन्नार, पी.ओ - इडुक्की, पिन-685612, केरल
6. श्री आलोक चक्रवर्ती, सचिव, आइएनटीयूसी, पश्चिम बंगाल शाखा, "पुतुल घर" दूर्गापुरी, सिलीगुड़ी, पी. ओ. - प्रधान नगर, पिन-734001, पश्चिम बंगाल
7. श्री एस. रामु, पीएचडी, डोडाकोम्बो टी फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, स्नौडोन टी फैक्ट्री, सं-9, स्पिंगफील्ड, कूनूर-643101,
8. श्रीमती बरनाली दे मोहन्त, मार्फत-श्रीमती गीता दे, दे लॉज, नजरूल सारणी, आश्रम पाड़ा, सिलीगुड़ी, जिला-दार्जिलिंग, पिन-734401
9. श्री अक्षय कुमार राजखोवा, 4-एफ, अदिति अपार्टमेंट, मानिकनगर, बाय-लेन २(दायें), गुवाहाटी-781005, असम

(वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान श्रम कल्याण समिति की बैठकें 22-06-2012, 25-09-2012, 01-12-2012 एवं 31-03-2013 को आयोजित हुई थी)



III. विकास समिति

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, (पदेन अध्यक्ष, समिति)
2. अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ, “राँयल एक्सचेंज”, 6, एन. एस. रोड, कोलकाता - 700001
3. श्री जी. जे अनचरील, सभापति दक्षिण भारत संगठित रोपण संघ, “ग्लोबलव्यू” कूनूर-643101, नीलगिरिज, तमिलनाडु
4. डॉ. अजित कुमार अगरवाला, अगरवाला हाउस, सैकंड माइलस्टोन, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी
5. श्री समीर राय, स्टेशन रोड, जलपाईगुड़ी - 735101, पश्चिम बंगाल
6. श्री एस. रामू, पीएचडी, डोडाकोम्बो टी फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, स्नौडोन टी फैक्ट्री, सं-9, स्पिंगफील्ड, कूनूर-643101, नीलीगिरी, तमिल नाडु
7. श्री हिरण्य बोरा, घर सं.-36, तरुण नगर, बाइ लेन-4, गुवाहाटी, असम-75005

(वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान विकास समिति की बैठकें 22-06-2012, 25-09-2012, 01-12-2012 एवं 31-03-2013 को आयोजित हुई थी)

IV. चाय संवर्धन समिति :-

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, पदेन अध्यक्ष, समिति
2. श्री पी. विश्वनाथन, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा, एफ-9, वर्षा ब्लॉक, वसुंधरा, रेजिडेन्शियल एंकलेव, अंदालपुरम, मदुरई-625003, तमिल नाडू
3. श्री संजीव सरिन, क्षेत्रीय अध्यक्ष - दक्षिण एशिया, टाटा ग्लोबल बेवेरेजेज लिमिटेड-62, III. क्रॉस, II फेज, इंडस्ट्रियल सबअर्ब, यशवंतपुर, बेंगलुरु
4. श्री पी. वी. बालयंद्रन, अध्यक्ष, जिला कॉंग्रेस समिति, पो-कालयपट्टा उत्तर, पिन-673122, बाइनाद, केरल
5. श्री एम. चंद्रकांत, प्रबंध निदेशक, गोलचा टी प्लानटेशन प्राइवेट लिमिटेड, क्र.सं.-169, द आइलैंड, फ्लैट-ई/216, वाकड़ पेट्रोल पंप के विपरीत, वाकड़, पुणे-411057
6. श्रीमती चित्रा रमेश, 801, ‘ए’ ब्लॉक, आरएनएस शांति निवास अपार्टमेंट, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बेंगलुरु-560022
7. श्री अंशुमन कनोरिया, 10, प्रिंसेप स्ट्रीट, कोलकाता - 700072

(वर्ष 2012-13 के अवधि के दौरान चाय संवर्धन समिति की बैठकें 22-06-2012, 25-09-2012, 01-12-2012 एवं 31-03-2013 को आयोजित हुई थी)



V. उत्तर भारत हेतु अनुज्ञापन समिति (07 सदस्य)

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, पदेन अध्यक्ष, समिति
2. श्री राजेन गोहेन, संसद सदस्य, लोक सभा, 185, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011
3. श्री हिरण्य बोरा, घर सं.-36, तरुण नगर, बाइ लेन-4, गुवाहाटी, असम-785005
4. श्री ए. के. राजखोवा, 4-एफ, अदिति अपार्टमेंट, मानिकनगर, बाय-लेन 2(दायें), गुवाहाटी-781005, असम
5. श्री डी.पी. राय, सदस्य, पश्चिम बंगाल विधान सभा, जलपाईगुड़ी 785101, पश्चिम बंगाल
6. श्रीमती बरनाली दे मोहन्त, मार्फत-श्रीमती गीता दे, दे लॉज, नजरुल सारणी, आश्रम पाड़ा, सिलीगुड़ी, जिला-दार्जिलिंग, पिन-734401
7. श्री जे.एल. बूटेल, उप अध्यक्ष, टी बोर्ड, एवं अध्यक्ष, कांगड़ा चाय रोपण समिति, कांगड़ा घाटी चाय भू-संपत्ति, गोपालपुर, जिला-कांगड़ा, पिन-176059, हि०, प्र.

(2012-13 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई, चूँकि उत्तर भारत हेतु अनुज्ञापन समिति निष्क्रिय थी, 25-09-2012 को पुनः गठन किया गया)

VI. दक्षिण भारत हेतु अनुज्ञापन समिति (04 सदस्य)

1. श्री एस. रामू, पीइचडी, डोडाकोम्बो टी फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, स्नौडोन टी फैक्ट्री, सं-9 स्पिंफील्ड, कूनूर-643101, नीलीगीरी, तमिल नाडू
2. श्री कोशी बेबी, 11/157 पुठुमाना, कालीकट रोड, गुडलूर बाजार, पी.ओ.-643212, नीलीगीरि जिला, तमिल नाडू
3. श्री पी. वी. बालचन्द्रन, अध्यक्ष, : जिलाकाँग्रेस समिति, पो कालयपट्टा उत्तर, पिन-673122, वाइनाद, केरल
4. श्री एम. चंद्रकांत, प्रबंध निदेशक, गोलचा टी प्लैंटेशन प्राइवेट लिमिटेड, क्र.सं.-169, द आइलैंड, फ्लैड-इ/216, वाकड़ पेट्रोल पंप के विपरीत, वाकड़, पुणे-411057

समिति के उध्यक्ष का चुनाव बाद में किया जाएगा)

2012-13 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई, चूँकि उत्तर भारत हेतु अनुज्ञापन समिति निष्क्रिय थी, 25-9-2012 को पुनः गठन किया गया)



अनुलग्नक - III

भारत तथा विदेशों में स्थित टी बोर्ड कार्यालयों का पता :

भारत में स्थित कार्यालय

कोलकाता :

टी बोर्ड, 14, बीटीएम सारणी, कोलकाता - 70001, दूरभाष : 033-22351331/फैक्स : 033-22215715,
ई-मेल : secy@teaboard.gov.in/secyboard@gmail.com
वेबसाइट : www.teaboard.gov.in

नई दिल्ली

टी बोर्ड, 12/2, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड,
नई दिल्ली - 110011, दूरभाष व फैक्स : 011-23074179
दूरभाष : 011-23070322
मोबाइल : 09811100236
ई-मेल : askkala50@indi0atimes.com/
asitkala50@gmail.com

कूनूर :

कार्यापालक निदेशक, टी बोर्ड, शेलवूड कुनूर क्लब रोड,
पोस्ट बॉक्स न.-6, कूनूर-643101, जिला-नीलगिरी, (दक्षिण भारत),
दूरभाष : 0423-2230316, फैक्स : 0423-2232332
ई-मेल : teaboardcoonoor@rediffmail.com

कोची :

संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक, टी बोर्ड, इन्दिरा गांधी रोड, विलिंगडन आइलैंड,
कोची - 682003, केरल,
दूरभाष : 0484-2666523/2340481
फैक्स : 0484-2666648
ई-मेल : jcls@teaboard.gov.in

कोट्टायम :

सहायक निदेशक, चाय विकास, टी बोर्ड, कॉलेज रोड,
कोट्टायम - 686001, केरल, दूरभाष : 0481-2567391,
फैक्स : 0481-2301223,
ई-मेल : teaboard.kottayam@gmail.com

चेन्नई :

कल्यान संपर्क अधिकारी (दक्षिण), टी बोर्ड, 139, एल्डाम्स रोड,
(2री मंजिल), चेन्नई -600018,
टेलीफैक्स : 044-24341650,
दूरभाष : 044-25672754
ई-मेल : teaboardchennai@vsnl.net

गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक, उत्तर पूर्व आंचलिक कार्यालय, हाउसफेड
कॉम्प्लेक्स, 5वां तल, बेलतला बशिष्ठ रोड, दिसपुर,
गुवाहाटी : 781006, दूरभाष : 0361-2234253
फैक्स : 0361-2234251
ई-मेल : teaboardghy@hotmail.com

जोरहाट :

उप निदेशक, चाय विकास (रोपण), टी बोर्ड, टी रिसर्च एसोशिएशन
कॉम्प्लेक्स, सिनामारा, जोरहाट - 785001, असम
दूरभाष : 0376-2360066/फैक्स : 2360068
ई-मेल : teaboardjorhat@gmail.com

डिब्रूगढ़ :

उप निदेशक, चाय विकास (रोपण), टी बोर्ड, पश्चिम चौकीदिंगी,
टी.आर. फुकन रोड, डिब्रूगढ़-786001,
टेली फैक्स : 0373-2322932
ई-मेल : teaboarddibrugarh@gmail.com

तेजपुर :

सहायक निदेशक, चाय विकास, टी बोर्ड, मिशन चाराली, व्यापार एवं
उद्योग भवन के विपरीत, पी.ओ. : डेकारगॉव, तेजपुर - 784501,
जिला - सोनीतपुर, असम, दूरभाष : 03712-255664,
ई-मेल : teaboardtezipur@yahoo.com

सिल्चर :

सहायक निदेशक, चाय विकास, टी बोर्ड, क्लब रोड,
सिल्चर - 788001,
जिला - कछार, असम, दूरभाष : 03842-232518
ई-मेल : silchar tboard@rediffmail.com

अगरतला :

सहायक निदेशक, चाय विकास, अखवाड़ा रोड, फायर ब्रिगेड, चौमुहानी,
अगरतला - 799 001, त्रिपुरा (पश्चिम),
दूरभाष : 0381-2314639/0381-2324182

सिलीगुड़ी :

उप निदेशक, चाय विकास (रोपण), शहीद भगत सिंह कमर्शियल
कॉम्प्लेक्स, (3 तल), 2nd माडल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी,
पश्चिम बंगाल, दूरभाष / फैक्स : 0353-2544778/2540209
ई-मेल : kkbkolkata@gmail.com



जलपाईगुड़ी :

सहायक निदेशक, चाय विकास, टी बोर्ड, उषाशी भवन,
हाकिमपाड़ा, पीओ व जिला : जलपाईगुड़ी - 735101,
पश्चिम बंगाल, दूरभाष : 03561-225146
ई-मेल : teaboardjal@gmail.com

पालमपुर :

सहायक निदेशक, चाय विकास, टी बोर्ड, मिशन रोड,
पालमपुर-176061, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश,
दूरभाष : 01894-230524
फैक्स : 01894-231748
ई-मेल : csmtboard@gmail.com

दार्जिलिंग (डीटीआर व डी.सी.) :

परियोजना निदेशक, टी बोर्ड, आचार्य भानू पथ,
कार्सियांग - 734 203, दार्जिलिंग,
दूरभाष - 0354-2330287
फैक्स : 0354-2330218 (फैक्स व दूरभाष)
ई-मेल : tea2darjeeling@yahoo.co.in

मुंबई :

अधीक्षक, टी बोर्ड, रेशम भवन, 78, वीर नरीमन रोड,
मुंबई - 400020, टेलीफैक्स : 022-22041699, जी.एच(दूरभाष) :
2367 5401
ई-मेल : mumtea@vsnl.net

गुडलूर :

टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉ-ऑपरेटिव बैंक के सामने, मैसूर रोड,
गुडलूर - 643 212, नीलगिरी, तमिल नाडू,
दूरभाष : 04262-262316
ई-मेल : teaboardgudalur@gmail.com

कुमिली :

टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हाई रेंज प्लाजा, 2 तल, के. के. रोड,
कुमिली, ईदुक्की जिला, केरल - 685 509,
दूरभाष : 04869-222628
ई-मेल : teaboard.kumily@gmail.com

इटानगर :

टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राइवेट रेसीडेंस, 2 तल, किंगकप स्कूल के
निकट, वी. आई. पी. रोड, इटानगर, पी.ओ. : इटानगर,
अरुणाचल प्रदेश - 791 111
ई-मेल : sanjibrajbongshi@gmail.com

लघु चाय उत्पादक विकास निदेशालय, डिब्रूगढ़

“विजय भवन” अमोला पट्टी, पी.ओ. - डिब्रूगढ़, जिला : डिब्रूगढ़, असम,
पिन : 786001, दूरभाष : (0373) 2324982/2328941
फैक्स : (0373) 2325506

कोयम्बटूर :

टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, टी बोर्ड सेंटर कॉम्प्लेक्स,
12/278, मेट्टपल्लयम रोड, पी. ओ. - जी. एन. हिल,
कोयम्बटूर - 641029, दूरभाष : 04222908494
ई-मेल : teaboardcoimbatore@gmail.com

तिरुमला :

टी नूक, सी.आर.ओ. (जी) कार्यालय के निकट,
(रेलवे आरक्षण काउंटर के विपरीत),
तिरुमला -517504, आंध्र प्रदेश

विदेशस्थित कार्यालय :

यूनाइटेड किंगडम

श्री मंगत राम शर्मा, आईएएस, निदेशक, चाय संवर्धन,
टी बोर्ड ऑफ इंडिया,
इंडिया हाउस, आल्डविच, लंदन-डबल्यूसी 2बी 4एनए,
दूरभाष : 0044207-2402394,
फैक्स : 0044207-2402533,
आवास : 01372476967
मोबाईल : 00447788420995,
आवास : 4, कैरीक गेट, इशर, सर्रे, केटी109 एनई, यूके,
ई-मेल : teaboardlon@aol.com

दूबई :

श्री मनीष शर्मा, आईपीएस, निदेशक, चाय संवर्धन, टी बोर्ड ऑफ इंडिया,
पी.ओ। बाँक्स न. 2415, फ्लैट सं. 5, अल अब्बास बिल्डिंग्स,
बैंक स्ट्रीट, बुर दुबई, दुबई यूएई,
दूरभाष : 009714 35226125/ 3522613
फैक्स : 0097143522615
मौबाइल : 0097154575283, 513275
ई-मेल : teaboard@emirates.net.ae

मॉस्को :

निदेशक, चाय संवर्धन, टी बोर्ड, ऑफ इंडिया, मार्फत-भारतीय दूतावास,
4, वोरोंत्स्वो पोलये, रशियन फ़ेडरेशन, मॉस्को,
दूरभाष : 007095-9171657
फैक्स : 007095-9163724, आवास : 007095-2543743
ई-मेल : teaboard@com2com.ru